इकाई 15 रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा : विधा परिचय और परिभाषाएँ
15.3 रेडियो की अन्य विधाएँ और रूपक
15.4 रेडियो रूपक का इतिहास और भारत में उसका विकास
15.5 रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा का वर्गीकरण
15.6 श्रोतावर्ग की पहचान
15.7 विषय
15.8 अवधि
15.9 अनुसंधान और संदर्भ सामग्री
15.10 भाषा
15.11 अनुवाद
15.12 शीर्षक
15.13 भेंटवार्ताएँ
15.14 सूत्रधार (वाचक स्वर)
15.15 प्रस्तुतकर्ता
15.16 संगीत और ध्वनि प्रभाव
15.17 उद्घोषणा
15.18 रूपकों का अखिल भारतीय कर्यक्रम
15.19 सारांश
15.20 प्रश्न

15.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम रेडियो प्रसारण की एक प्रमुख विधा रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा के आलेख लेखन के विषय में विचार करने जा रहे हैं। रेडियो रूपक एक ऐसी विधा है जिसमें रेडियो की लगभग सभी विधाओं का समावेश हो सकता है। इसमें नाटकीयता भी होती है और विशेषज्ञों के विचार भी शामिल होते हैं। रूपक में संगीत और ध्वनि प्रभावों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार रूपक तैयार करने के लिए रेडियो की सभी विधाओं का ज्ञान आवश्यक है, इन्हीं पक्षों पर हम इस इकाई में विचार करेंगे।

15.1 प्रस्तावना

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा रेडियो प्रसारण की अतिविशिष्ट विधा है। इस विधा में आलेख लेखन निरंतर अभ्यास के बाद ही किया जा सकता है। यह विधा रेडियो प्रसारणों की अन्य विधाओं से किस तरह भिन्न और प्रभावशाली है यह जानकारी प्राप्त करने के बाद आप कुशलतापूर्वक रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा के आलेख तैयार कर सकेंगे।

रेडियो रूपकों का इतिहास तथा विकास, आलेख लेखन और प्रस्तुति के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण और स्वरों के चुनाव के मूलभूत तत्व आपको एक कुशल रचनाधर्मी और प्रसारणकर्ता के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे। रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा विधा का लेखन और प्रस्तुति सरल भी है और कठिन भी। सरलता और प्रभावशाली होना ही इसका गुण है और कल्पनाशीलता तथा तथ्यों का सुरुचिपूर्ण संयोजन और प्रस्तुति चुनौती भरा काम। कल्पनाशीलता, संगीत और ध्वनिप्रभावों का

चयन, उपयुक्त स्वर वाले कलाकारों की पहचान, वाक्यों का लेखन, और शब्दों के द्वारा ध्वनि चित्रों के निर्माण के साथ ही शुद्ध उच्चारण इस विधा के प्राण हैं। शब्द मंत्र है - इसका प्रभाव इस विधा की सशक्त प्रस्तुति से उभरकर सामने आता है।

यह एकदम तय है कि सिर्फ पढ़ने से रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा विधा के आलेख नहीं लिखे जा सकते। इस विधा का जानकार होने के लिए रेडियो रूपकों और डॉक्यूड्रामा कार्यक्रमों को सुनने और बार-बार सुनने के साथ ही इस विधा में पारंगत लोगों से विचार-विमर्श परम आवश्यक है। क्योंकि ये कार्यक्रम आँखों के लिए नहीं कानों के माध्यम से आपके दिल और दिमाग को प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं इसलिए आपको रेडियो श्रोता बनना होगा। एक अच्छा रेडियो श्रोता एक अच्छा रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा लेखक तथा प्रस्तुतकर्ता बन सकता है।

15.2 रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा : विधा परिचय और परिभाषाएँ

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा रेडियो प्रसारण की अन्य विधाओं के समान ही एक विधा है। लेकिन अन्य विधाओं से इस विधा का रूप बहुत भिन्न है। रेडियो रूपक प्रसारण की एक मात्र विधा है जिसका जन्म रेडियो के कारण ही संभव हुआ है। अर्थात् रेडियो इस विधा की जन्म स्थली है और रेडियो ही इसके माता-पिता हैं।

रेडियो में आप वार्ताएँ सुनते हैं, कविताएँ सुनते हैं, नाटक सुनते हैं, संगीत के कार्यक्रम सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, परिचर्चाएँ और भेंटवार्ताएँ सुनते हैं, आँखों देखा हाल सुनते हैं आदि-आदि। ये सब विधाएँ रेडियो के आगमन से पूर्व भी विद्यमान थीं। लेकिन रेडियो रूपक विधा नहीं थी।

प्रसारण विशेषज्ञों का मानना है कि रेडियो रूपक को परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता। रेडियो रूपक में रेडियो प्रसारण की सभी विधाओं का समावेश है।

डॉक्यूड्रामा रेडियो रूपक विधा का एक नया संस्करण है। रेडियो रूपक में सबसे आधारभूत या कहें कि प्राण, तथ्य होते हैं। यदि तथ्य नहीं है तो रूपक नहीं है। रूपक में गप या फैंटेसी को प्रस्तुति की एक तकनीक के रूप में तो काम में लाया जा सकता है लेकिन इन पर आधारित रेडियो रूपक नहीं हो सकता।

रेडियो रूपक की जो सर्वमान्य परिभाषा दी जाती है वह है - "तथ्यों की नाटकीय प्रस्तुति।"

तथ्य ही वह आधारभूत सामग्री है जिस पर रूपक का तानाबाना बुना जाता है। जो तथ्य नहीं है वह रूपक का अंग नहीं है।

कुछ परिभाषाएँ

"रेडियो रूपक लेखन एक तकनीकी काम है।"

"रेडियो रूपक लेखक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि श्रोता कार्यक्रम को केवल एक बार सुनता है।"

"रेडियो रूपक में प्रस्तुतकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेखक और प्रस्तुतकर्ता को मिलकर शब्दों के चित्र बनाने की कला आनी चाहिए।"

"लिखे हुए शब्द को उसके सही भाव और अर्थ के साथ ध्वनि देना सरल नहीं होता।"

- श्री जी सी अवस्थी
"ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया"

विषय और थीम को रेडियो रूपक में प्राथमिकता देनी चाहिए। लेखन और प्रस्तुति की कला विषय और थीम पर हावी न हो जाए अन्यथा रूपक के प्रसारण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

"रेडियो रूपक का प्राथमिक ध्येय श्रोताओं को जानकारी देना और मनोरंजन करना है।"

"एक अच्छे रेडियो रूपक में विषय के दोनों ही पक्ष समान रूप से उजागर होने चाहिए।"

"रेडियो रूपक तथ्यों पर आधारित होते हैं इसलिए लेखक जितना अधिक श्रम नए नए तथ्यों की खोज में लगाएगा रूपक उतना ही प्रभावशाली बन पाएगा।"

"रेडियो रूपक के लिए भेंटवार्ताओं का बहुत महत्व होता है। भेंटवार्ता के चयन से लेकर रिकार्डिंग तक का काम लेखक और प्रस्तुतकर्ता को मिलकर करना चाहिए।"

"रेडियो रूपक विधा से जुड़े लोग अपने साथ कैसेट टेपरिकार्डर हमेशा रखें। कैसेट टेप रिकार्डर सेवक भी हैं और हथियार भी।"

- स्टेनले फील्ड
"प्रोफेशनल ब्राडकास्ट राइटर हैंडबुक"

रेडियो रूपक लेखक को सरल भाषा में लिखने का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए जिससे सभी वर्ग के श्रोता रुचि से आपके श्रम का लाभ उठा सकें। क्लासिकल संदर्भ, कम प्रचलित शब्द और अस्पष्ट विचारों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए।

जो प्रसारण श्रोता के सिर के ऊपर से निकल जाए वह बुरा प्रसारण है, असफल लेखन है और अलोकप्रिय कार्यक्रम।

रेडियो रूपक का आलेख प्रिंट मीडिया से अलग होना चाहिए। न केवल भाषा की दृष्टि से बल्कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी।

रेडियो रूपक का उद्देश्य स्पष्ट और संदेश सीधा सीधा होना चाहिए।

"रेडियो रूपक का फोकस जनसाधारण की रुचि पर केंद्रित होना चाहिए।"

- एड राऊट
"डामेंशन्स ऑफ ब्रॉडकास्ट एडीटोरीलाइजिंग"

पत्रकारिता की सफलता की कुंजी पाँच श्क ९ में निहित है - (1) कौन (2) क्या (3) कहाँ (4) क्यों और (5) कब।

सूचना रोचकता लिए हुए हो। लिखने से पहले धरती का कानून जान लेना चाहिए।

"हम क्या सुनाना चाहते हैं और श्रोता क्या सुनना चाहता है - इन दोनों के बीच समन्वय की कला ही एक प्रसारणकर्ता का गुण होना चाहिए।"

- डॉ. नारायण मेनन
"द कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन"

"रेडियो रूपक प्रसारण में तकनीक को आलेख पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

- पाल रोथा

"गपशप कभी भी रेडियो रूपक में शामिल नहीं की जा सकती।"

"यह कहा जा सकता है कि रेडियो रूपक में रेडियो प्रसारण की सभी विधाओं और तकनीकों का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है और लेखक-प्रस्तुतकर्ता को इनका उपयोग करके अपने प्रसारण को सूचनाप्रद और मनोरंजक बनाना चाहिए।"

- लियोनेल फील्डन

"रेडियो रूपक शुद्ध रूप से रेडियोजनित है। यह लेखक और प्रस्तुतकर्ता के लिए अपनी रचनाधर्मिता को उजागर करने के लिए एक सशक्त उपकरण है।"

- लारेंस गिलियन
"बीबीसी रिपोर्ट"

"इसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन और भविष्य के समाज के लिए मानसिक रूप से श्रोताओं को तैयार करना जिससे वे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें।"

- विद्यालंकार समिति की रिपोर्ट का अंश

"तथ्य सत्य का पर्याय कभी नहीं होता। फिर भी रेडियो रूपक में तथ्य सत्य से साक्षात्कार का हेतु होते हैं।"

- श्री कृष्णचंद्र शर्मा "भिक्खु"
भूतपूर्व महानिदेशक : आकाशवाणी

"रूपक कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके द्वारा देश का आम नागरिक अपनी बात, अपने विचार और अपने सुझाव अपनी ही आवाज में प्रस्तुत करता है। जबकि अन्य कार्यक्रमों में विशेषज्ञ या अनुभवीजन उसके बारे में बात करते हैं।"

- श्री अमृतराव शिन्दे
भूतपूर्व महानिदेशक : आकाशवाणी

"आकाश के नीचे और धरती के ऊपर संभवतः ऐसा कोई विषय नहीं हैं जो रूपक विधा के जरिए आपको न दिया जा सके। रूपक विधा सृजन का सुख है।"

- श्री रमानाथ अवस्थी
प्रख्यात कवि एवं भूतपूर्व चीफ प्रोड्यूसर - रूपक, आकाशवाणी महानिदेशालय

वस्तुतः रेडियो रूपक एक बोलती किताब है - समय के साक्ष्य और समाज के प्रतिबिंब की किताब।

रूपक रेडियो का प्रजातंत्र है। अनुशासन के बिना प्रजातंत्र भीड़ है उसी तरह लेखन और प्रस्तुति की अनुशासनबद्ध लय के बिना रूपक शोर है।

रेडियो प्रसारण ध्वनियों का आकाश है और रूपक ध्वनियों का इन्द्रधनुष।

डॉक्यूड्रामा

रूपक विधा में आलेख लेखन और प्रस्तुति के लिए प्रयोग करने की असीम संभावनाएँ हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। रेडियो रूपक के लिए तथ्यों का संग्रह कई प्रकार से किया जा सकता है। विषय के विशेषज्ञों की भेंटवार्ताएँ, प्रभावित व्यक्तियों के विचार, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य संदर्भ स्रोतों से जानकारी का संकलन पूर्व में रिकार्ड की गई सामग्री का उपयोग तथा विषय के अनुरूप जानकारी को सूत्रधार तथा अन्य स्वरों के सहयोग से प्रस्तुत करना। इस प्रस्तुति में सूत्रधार अथवा सहायक स्वर पात्र भी हो सकते हैं और किसी कथा अथवा घटना के पात्र भी हो सकते हैं।

किंतु जब कथ्य और तथ्य पात्रों और संवाद के रूप में बहुलता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तब वह डॉक्यूड्रामा बन जाता है। अर्थात् ऐसा नाटक जिसमें तथ्यों की प्रस्तुति की गई है। जबकि रूपक में तथ्यों की प्रस्तुति नाटकीय ढंग से होती है। रूपक और डॉक्यूड्रामा में नाटकीय अंशों के अनुपात के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। दोनों में ही तथ्यों की प्रमाणिकता मुख्य आधार है।

एक उदाहरण

जब यह कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लालकिले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था - तब पंडित नेहरू की आवाज सुनाई जाती है। यह जरूरी है कि पंडित नेहरू की आवाज में वे ही अंश सुनाए जाएँ जो उन्होंने उस दिन कहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाज तो पंडित नेहरू की हो लेकिन किसी और दिन की।

डॉक्यूड्रामा में भी यदि पंडित नेहरू को पात्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है तो नाटक के समान लेखक की पंसद के डायलॉग उनसे कहलवाए जाएँ। पात्र जो भी संवाद बोले वह प्रमाणिक होना चाहिए।

15.3 रेडियो की अन्य विधाएँ और रूपक

रेडियो प्रसारण को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। इनके लिए विभिन्न विधाओं में कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समाचार, वार्ता, भेंटवार्ता, बातचीत, प्रश्नोत्तर, परिचर्चा, परिसंवाद, नाटक, रूपक, कविता, गीत, संगीत, रेडियो रिपोर्ट, पत्रिका कार्यक्रम, कम्पेयर्ड कार्यक्रम, आँखों देखा हाल, धारावाहिक, गीतों भरी कहानी आदि।

उपर्युक्त सभी विधाओं में से रूपक एक ऐसी विधा है जिसमें अन्य सभी विधाओं का समावेश हो सकता है। रूपक में वार्ता का अंश शामिल किया जा सकता है भेंटवार्ताएँ तो होती ही हैं, बातचीत, प्रश्नोत्तर, परिचर्चा और परिसंवाद, नाटक, कविता, गीत, संगीत, रिपोर्टिंग, आँखों देखा हाल और विभिन्न स्रोतों से आवश्यक अंशों का जो लिखित रिकार्डेड दोनों ही हो सकते हैं का समावेश। रूपक धारावाहिक भी हो सकते हैं। इनकी प्रस्तुति गीतों पर आधारित भी हो सकती है।

जहाँ वार्ता में एक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, वहीं भेंटवार्ता में दो व्यक्ति होते हैं। परिचर्चा में प्रायः तीन से चार व्यक्ति भाग लेते हैं और परिसंवाद में भी चार से पाँच व्यक्ति। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रायः विशेषज्ञ अपने अनुभवों के आधार पर बात करते हैं। जिनके बारे में बात करते हैं उनकी आवाज इन कार्यक्रमों में नहीं होती। नाटक में भी मूल व्यक्ति नहीं होता बल्कि पात्र उस व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। जबकि रूपक कार्यक्रम में आम आदमी की भागीदारी उसी की आवाज में होती है। इसलिए रूपक को अति विश्वसनीय माना जाता है। एक रूपक में अनेक राज्यों के, अनेक क्षेत्रों के व्यक्तियों (आम आदमी और विषय के जानकार) के विचार शामिल किए जा सकते हैं। अन्य कार्यक्रमों में जरूरी होता है कि सभी भाग लेने वाले एक ही भाषा बोलें जबकि रूपक कार्यक्रमों में यह बंधन नहीं रहता। एक व्यक्ति मराठी में, दूसरा गुजराती में और तीसरा तमिल और चौथा बंगला में अपनी बात कह सकता है। भले ही यह रूपक हिंदी

अथवा अंग्रेज़ी अथवा किसी अन्य भाषा में क्यों न तैयार किया जा रहा हो। सुपरइम्पोज तकनीक के माध्यम से श्रोताओं को जानकारी मिल जाती है।

रूपक में संगीत और ध्वनि प्रभावों के प्रयोग से रोचकता बनी रहती है। श्रोता के सामने शब्दों के चित्र बनते रहते हैं।

उदाहरण के लिए नदी स्नान की चर्चा चल रही है। संवाद अथवा कथन के पार्श्व में नदी के प्रवाह की ध्वनि, नदी के घाट पर स्नान करने वालों की आवाजें, भजन अथवा आरती के ध्वनि प्रभावों के द्वारा श्रोता को लगता है कि वह नदी के वातावरण का अहसास कर रहा है। इसी तरह टेलीफोन पर बातचीत को स्थापित करने के लिए टेलीफोन पर बात करने की टोन से स्पष्ट होता रहता है कि आप टेलीफोन के दृश्य से ध्वनि साक्षात्कार कर रहे हैं।

रूपक में सूचना, शिक्षा, जानकारी, संदर्भ और मनोरंजन सब कुछ शामिल किया जा सकता है। फिर भी यह प्रश्न बार-बार उठता है कि जो बात एक व्यक्ति, एक वार्ता अथवा भेंटवार्ता के माध्यम से कही जा सकती है उसके लिए रूपक की आवश्यकता क्यों है?

इसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं। चिकित्साशास्त्रियों, मनोविश्लेषकों और मानव स्वभाव के अध्ययनकर्ताओं ने वर्षों के अनुसंधान के बाद यह सिद्ध किया है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और किसी भी कथन को वह लम्बे समय तक नहीं सुन पाता। विविधता मन की चंचलता को बाँधती है और भटकने से रोकती है। रूपक में विविधता होती है। अनेक स्वर होते हैं, नाटकीय अंश होते हैं, भेंटवार्ताएँ होती हैं, संगीत और ध्वनि प्रभाव होते हैं। कोई भी अंश एक या दो मिनट से अधिक अवधि वाला प्रायः नहीं होता। इस कारण श्रोता को रूपक सुनने में रास आता है और प्रसारण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उद्देश्य है जानकारी पहुँचाना। जागरूक करना। शिक्षित करना। प्रेरित करना। चेतना जगाना। जिस तरह छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से, खिलौनों की सहायता से पढ़ाया जाता है उसी तरह अन्य विधाओं की अपेक्षा रूपक विधा के माध्यम से जानकारी पहुँचाना अधिक प्रभावशाली पाया गया है।

नाटक के बारे में एक बार श्रोता कह सकता है कि यह तो कहानी है सच्चाई नहीं। लेकिन रूपक के बारे में तो हर कथन सच होता है। जो संदर्भ दिए जाते हैं उनके नाम बताए जाते हैं, स्रोत बताया जाता है और व्यक्ति विशेष की स्वयं की आवाज होती है। प्रामाणिकता और तथ्य विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और उनका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए रूपक विधा में कार्यक्रमों का प्रसारण बढ़ता जा रहा है। डॉक्यूड्रामा के द्वारा नए-नए द्वार खुल रहे हैं।

15.4 रेडियो रूपक का इतिहास और भारत में उसका विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रेडियो प्रसारण के आविष्कार से एक नई क्रांति का जन्म हुआ। 1899 से 1910 का काल रेडियो प्रसारण की असीम संभावनाओं को तलाशता रहा। 1899 में इंग्लैंड से फ्रांस तक बेतार के तार द्वारा मार्कोनी ने संदेश भेजकर सभी को आश्चर्य चकित कर दिया। फिर अटलांटा के पार संदेश भेजकर इसकी असीमित शक्ति का और परिचय मिला। दुनिया में तहलका मच गया।

भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में 1927 के वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है जब बंबई और कलकत्ता में प्राइवेट ट्रांसमिटरों ने काम करना शुरू किया। 1930 में सरकार ने इन्हें अपने हाथ में ले लिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया। 1936 में इसका नाम बदल कर आल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा।

दुनिया के लगभग सभी केंद्र रूपक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कहीं इसे डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है, कहीं फीचर कार्यक्रम कहा जाता है और कहीं डॉक्यूमेंट्री फीचर कार्यक्रम कहा जाता है।

रेडियो प्रसारण की तरह रेडियो रूपक विधा का जन्म और विकास भी विदेश में हुआ। डॉक्यूमेंट्री शब्द का पहली बार प्रयोग सन् 1926 में जान ग्रियरसन द्वारा किया गया। डॉक्यूमेंट्री - फ्रेंच भाषा के शब्द दक्यूमेंतायर से बना है। इसका अर्थ होता है - यात्रा वृत्तांत। जान ग्रियरसन ने डॉक्यूमेंट्री की परिभाषा इन शब्दों में दी है - यह जीवंत दृश्य और जीवित तथ्य का फोटोग्राफ है।

ऑल इंडियो रेडियो के पहले डायरेक्टर जनरल श्री लियोनेल फील्डन द्वारा 1939 में तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपक विधा के विकास की अनेक संभावनाएँ हैं लेकिन भारत में इसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है और न ही इसकी तैयारी के लिए आवश्यक उपकरण हैं।

रेडियो रूपक का विकास दूसरे महायुद्ध के समय हुआ। युद्ध के मैदान से भेजी गई रिपोर्ट्स, स्थल रिकार्डिंग्स, भेंटवार्ताएँ, ध्वनि प्रभाव और जानकारी के साथ ही टिप्पणियों के समावेश ने प्रसारण की इस शक्तिशाली और प्रभावशाली विधा की असीम सीमाओं को पहचाना और सफलतापूर्वक उपयोग किया। तब से इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है और नए-नए आयाम खोजे जा रहे हैं।

भारत में रूपक विधा का विकास पचास के दशक में हुआ। 1956 से पहले समाचार सेवा प्रभाग के अंतर्गत ही रूपक कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। किंतु 1956 में राष्ट्रीय स्तर पर रूपक कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग आकाशवाणी महानिदेशालय में अंग्रेज़ी रूपक एकांश की स्थापना हुई और श्री मेलवेल डिमेलो इसके प्रभारी बने। सन् 1964 में हिंदी में रूपक तैयार करने के लिए केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश की स्थापना हुई और श्री शिवसागर मिश्र इसके प्रभारी बनाए गए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार किए जाने वाले रूपक कार्यक्रमों का प्रसारण मूल रूप से हिंदी में होता है और आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्र इन रूपकों का अनुवाद करके अपने-अपने प्रदेश की मुख्य भाषाओं में प्रसारण करते हैं। अनेक रूपकों का प्रसारण विदेश सेवा प्रभाग द्वारा अनेक विदेशी भाषाओं में भी किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में लगभग 33 से 36 रूपक प्रसारित किए जाते हैं। इनके प्रसारण का दिन और समय भी निर्धारित है। भारतीय रूपक कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरूवार को रात साढ़े नौ बजे से किया जाता है। इसकी अवधि आधा घंटा होती है और इसे दिल्ली ए तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रत्येक माह के तीसरे गुरूवार को रात दस बजे से आधा घंटा अवधि के लिए रूपकों की विशेष श्रृंखला का प्रसारण होता है। इसे भी दिल्ली ए तथा अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाता है।

रेडियो विधाएँ

प्रत्येक तिमाही के पाँचवे गुरूवार को रात साढ़े नौ बजे से भारत दर्शन रूपक श्रृंखला का प्रसारण होता है। इसकी अवधि भी आधा है घंटा और इसे भी आप दिल्ली ए तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं। इन रूपकों को आकाशवाणी के अनेक केंद्र सीधे रिले करते हैं।

आकाशवाणी के लगभग सभी प्रसारण केंद्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रूपक कार्यक्रम तैयार करते हैं। अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रमों के लिए भी आकाशवाणी के अनेक केंद्रों पर रूपक तैयार कराए जाते हैं।

आरंभ में धार्मिक त्योहारों, पर्वों, पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित रूपक कार्यक्रम तैयार किए गए। स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े प्रसंगों ने रूपक विधा को नई ऊँचाई और लोकप्रियता दी। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न पहलुओं और आम नागरिक की भागीदारी, महापुरुषों की जीवनियाँ, सांस्कृतिक विरासत तथा राजनैतिक चेतना के विषय प्रमुखता से लिए गए। परिवार कल्याण, मातृ-शिशु कल्याण, नयी औद्योगिक बस्तियाँ, बाँध, कारखाने, जन समस्याएँ, कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी और सामाजिक परिवर्तन में बाधक रूढ़ियों के प्रति जनआंदोलन को केंद्र में रखकर कार्यक्रम तैयार किए गए। कृषि विषयक रूपकों ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। सफल किसानों के अनुभव, वैज्ञानिकों की सलाह, नयी तकनीक, नए उपकरण, बैंकों से कर्ज और सहायता के साथ ही शंकाओं तथा जिज्ञासाओं के समाधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

1962, 1965 और 1971 के युद्ध के दिनों में प्रसारित किए गए रूपक कार्यक्रम युद्ध के मैदान में जाकर, दुश्मन की गोलियों की बौछारों के बीच बंकरों में रहकर जीवंत रिकार्डिंग करके तैयार किए गए।

रूपकों ने केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व ही नहीं निभाया बल्कि सरकार और जनता के बीच पुल का काम भी किया है।

जन समस्याओं की ओर नीति निर्धारकों और कार्यपालिका अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया और अनेक समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता पहुँचाई। नीति निर्धारक जान सके कि किसी योजना अथवा नियम के प्रति जनभावना कैसी है।

अनेक रूपक श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रसारित किए गए। जैसे महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को केंद्र में रखकर रूपक कार्यक्रम तैयार किए गए। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित रूपक श्रृंखला प्रसारित की गई।

आजादी के पचास वर्ष रूपक श्रृंखला का प्रसारण एक और मील का पत्थर है। इस श्रृंखला का उद्देश्य आजादी के समय हम कहाँ थे, पचास वर्षों में किसने कितनी प्रगति की है और किन किन क्षेत्रों में हमें सफलताएँ प्राप्त नहीं हो सकी हैं और क्यों तथा भविष्य की क्या योजनाएँ हैं।

भारत दर्शन रूपक श्रृंखला के अंतर्गत देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पूजा स्थलों की जानकारी प्रसारित की गई। देश की प्रमुख नदियों के बारे में रोचक जानकारी से पूर्ण

एक रूपक श्रृंखला का प्रसारण किया गया। देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित लोक नाट्य शैलियों पर आधारित रूपक श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है।

विज्ञान विषयक रूपकों का हिंदी में प्रसारण एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसकी सभी ओर प्रशंसा की गई है। रोबोट, लेसर किरणें, अंतरिक्ष, समुद्र विज्ञान, बायोटेक्नॉलाजी, डी एन ए, रेडियोलॉजी, पेड़ पौधों से पेट्रोल, शल्य चिकित्सा, कम्प्यूटर वायरस, पनडुब्बी, रोगों की पहचान आदि विषयों पर रोचक कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने के लिए लेखक विषय से संबंधित संस्थाओं और विशेषज्ञों से भेंट करने के लिए तथा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएँ करते हैं। प्रत्येक रूपक में आवश्यकतानुसार कम से कम चार राज्यों की प्रतिनिधि भेंटवार्ताएँ अवश्य शामिल की जाती हैं। जिन राज्यों तथा स्थानों की यात्राओं पर लेखक अथवा केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के सदस्य नहीं जा पाते हैं वहाँ की रिकार्डिंग स्थानीय आकशवाणी केंद्र की सहायता से प्राप्त की जाती है।

रेडियो रूपक प्रसारण साहित्य की एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित विधा बन चुकी है। इसके लेखकों और प्रस्तुतकर्ताओं का एक विशिष्ट वर्ग तैयार हो चुका है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के पाठ्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। देश के अनेक शहरों में लेखन और प्रस्तुति के लिए प्रशिक्षण संस्थाएँ काम कर रही हैं। सर्वत्र रेडियो रूपक, डॉक्यूड्रामा और टेलीविजन डॉक्यूमेंटरी तथा डॉक्यूड्रामा लेखकों और प्रस्तुतकर्ताओं की माँग बढ़ती जा रही है।

रूपक का लेखन एक श्रमसाध्य, चुनौती भरा, कल्पनाशीलता लिए हुए सृजनात्मक सुख देने वाला काम है।

15.5 रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा का वर्गीकरण

रूपकों के वर्गीकरण की एक परिपाटी है; जैसे ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, पद्य, संगीत, जीवन वृत्तांत, वृत्त रूपक आदि। रूपक तो रूपक ही रहेगा आप उसे चाहे जो नाम दे दें। रूपक के प्राण तथ्यों की प्रस्तुति में बसते हैं। जब तक तथ्य पर आधारित कार्यक्रम नाटकीय रूप से तैयार किए जाते रहेंगे वे रूपक ही कहलाएँगे। अंग्रेज़ी में सिर्फ फीचर शब्द के स्थान पर डॉक्यूमेंट्री फीचर की संज्ञा प्रयोग में लायी जाती है। आजकल समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अनेक फीचर लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

ऐतिहासिक रूपक कहने के पीछे संभवतः यही उद्देश्य रहता है कि श्रोता एकदम जान जाए कि यह रूपक किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व अथवा घटना अथवा संदर्भ पर आधारित है। पद्य रूपक कहने के पीछे भी यही भावना रहती है कि इसमें सूत्रधार अपनी बात को गद्य के स्थान पर पद्य में प्रस्तुत करता है और कविता के माध्यम से कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है। संगीत रूपक का भावार्थ भी यही होता है कि प्रस्तुति संगीतमय है; गीतों को आधार बनाया गया है। यदि उद्घोषणा में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रस्तुति पद्यमय अथवा संगीतमय है तो फिर अलग से पद्य रूपक अथवा संगीत रूपक

कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किंतु विविधता और प्रयोग रूपक की अपनी अलग पहचान बनाते हैं इसलिए इसे स्वीकार कर लिया जाता है।

रूपक तो रूपक रहेगा जब तक वह तथ्यों की पृष्ठभूमि पर आधारित रहेगा।

15.6 श्रोतावर्ग की पहचान

रूपक ही नहीं किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए पहली शर्त है उसके श्रोता वर्ग की सही-सही पहचान। रूपक के लिए विषय का चुनाव, अवधि, प्रसारण समय, भाषा का स्तर आदि का निर्धारण बाद में होता है जबकि सबसे पहले तय करना होता है कि कार्यक्रम किस श्रोता समुदाय या वर्ग के लिए तैयार करना है।

सबसे पहले किस आयु वर्ग के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाना है यह तय होना चाहिए। मान लीजिए कार्यक्रम किशोर वर्ग के लिए है तो फिर प्रश्न उठता है कि प्रसारण का क्षेत्र कौन सा है? महानगरीय - दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, या नगरीय - कोटा, भोपाल, इंदौर, राँची, कोयम्बटूर, पांडिचेरी अथवा अन्य कोई नगर या ग्रामीण अंचल जैसे जैपुर (उड़िसा), जगदलपुर (मध्य प्रदेश), चाईंबासा (बिहार), नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश), भुज (गुजरात) या अन्य कोई स्थान क्योंकि महानगर में रहने वाले किशोर की मानसिक आयु और समझ की व्यापकता मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात अथवा अन्य किसी आदिवासी क्षेत्र के किशोर से भिन्न होगी। इस भिन्नता को ध्यान में रखे बिना विषय का निर्धारण सरल नहीं होगा। जो विषय महानगर में आम हो सकते हैं वे पिछड़े क्षेत्र के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम महानगर के किशोरों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है; वहीं फ्रिज के बारे में जानकारी पर आधारित रूपक आदिवासी क्षेत्रों के लिए लगभग निरर्थक या अनुपयोगी होगा। इसी तरह खेती संबंधी जानकारी पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत कम उपयोगी।

विषय का चुनाव श्रोतावर्ग पर निर्भर करता है। यदि श्रोता वर्ग सामान्य नागरिक है तो फिर चुनाव में आसानी हो जाती है। श्रोताओं की रुचि और उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सभी विषय सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए एक समान उपयोगी नहीं होते।

इसी प्रकार अवधि का निर्धारण भी श्रोता समूह की जानकारी के बाद निर्धारित होता है। बच्चों को लिए आधा घंटा की अवधि बहुत अधिक होती है। इसी तरह भाषा का स्तर भी श्रोता समूह पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा रूपक बनाने की पहली सीढ़ी श्रोता वर्ग को जानना है।

15.7 विषय

रूपक के लिए विषय कोई बाधा नहीं है। दुनिया के हर विषय पर रूपक तैयार किए जा सकते हैं। गोबर से लेकर अंतरिक्ष तक, समुद्र की गहराई से लेकर आकाशगंगा तक - रूपक के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाए जा सकते हैं। रूपक एक ऐसी विधा है जो

कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल भाषा में सभी आयु वर्ग और क्षेत्रों के निवासियों तक मनोरंजक और प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने में सक्षम है।

विषय का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। जनरुचि, समय, देशकाल, प्रचलित विधि-विधान, जनभावनाएँ आदि की गहराई से समझ आवश्यक है। जैसे सूर्यग्रहण की जानकारी पर आधारित रूपक का प्रसारण यदि चन्द्रग्रहण के समय किया जाए तो उपयुक्त नहीं होगा।

हर प्रसारण संस्था की और देश-प्रदेश की आचार संहिता होती है। जैसे आकाशवाणी की आचार संहिता में कहा गया है कि मित्र राष्ट्रों की आलोचना, किसी भी धर्म और समुदाय पर कटाक्ष, हिंसा को भड़काने, न्यायालयों की अवमानना आदि पर कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐसे विषय रूपक कार्यक्रमों के लिए भी वर्जित होते हैं। किंतु युद्ध के समय जब किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो तब स्थितियाँ बदल जाती हैं। अतः लेखक और प्रस्तुतकर्ता को आचार संहिता की जानकारी आवश्यक होती है।

किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप सरकार की नीतिगत कार्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों, भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही आदि को उजागर नहीं कर सकते। इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं है। किंतु प्रसारण माध्यम से केवल एक पक्ष को ही प्रस्तुत करने की नीति का पालन नहीं किया जाता बल्कि दोनों ही पक्षों को अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है।

कोई भी कार्यक्रम तैयार करते समय उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए। कोई भी कथन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है अथवा निरर्थक, इसका निर्धारण सरल नहीं होता। प्रत्येक रूपक किसी एक विषय के किसी एक अथवा कुछ पक्षों को लेकर ही तैयार किए जा सकते हैं। एक ही रूपक में विषय को पूर्ण रूप से समेटना संभव नहीं होता।

15.8 अवधि

अवधि का निर्धारण भी श्रोतावर्ग के निर्धारण पर निर्भर करता है। आम तौर से सामान्य श्रोताओं और राष्ट्रीय स्तर के प्रसारणों की अवधि तीस मिनट होती है। तीस मिनट की अवधि रेडियो प्रसारण के लिए कम नहीं होती। तीस मिनट तक श्रोताओं को बाँधकर रखना सरल नहीं होता।

बच्चों के लिए रूपक कार्यक्रम लगभग 10 मिनट अवधि के, महिलाओं के लिए पन्द्रह मिनट अवधि के तथा समूह श्रोताओं जैसे किसानों, कामगारों आदि के लिए बीस मिनट अवधि के रूपक प्रायः प्रसारित किए जाते हैं।

किस श्रोता समूह के लिए कितनी अवधि पर्याप्त होती है इसका निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। श्रोता अनुसंधान संगठन द्वारा देश के विभिन्न भागों में विचारों को इकट्ठा करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उसी आधार पर कार्यक्रमों की अवधि का निर्धारण होता है।

एक उदाहरण से बात और स्पष्ट हो सकती है। जिस प्रकार सम्राट अशोक के बारे में कक्षा 6 के विद्यार्थी को भी बताया जाता है और बी ए के पाठ्यक्रम में भी सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होती है। दोनों ही स्तरों की जानकारी में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक उसी तरह विभिन्न श्रोता समूहों के लिए कार्यक्रमों की अवधि, विषय, भाषा और जानकारी का स्तर निर्धारित किया जाता है।

15.9 अनुसंधान और संदर्भ सामग्री

जिस तरह नाटक के लिए कहानी एक प्रकार से कच्चा माल होती है उसी तरह से रूपक के लिए विषय के विभिन्न पक्षों की जानकारी आवश्यक होती है। जानकारी प्राप्त करने के अनेक स्रोत होते हैं। विशेषज्ञों से चर्चा, पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएँ, रेकार्डेड सामग्री और संदर्भ के अन्य स्रोतों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करके उससे रूपक लेखक प्रसारण के योग्य आलेख तैयार करता है। रूपक के लिए तथ्य आवश्यक हैं इसलिए जरूरी है कि तथ्यों की प्राप्ति प्रामाणिक स्रोतों से हो। तथ्यों को आलेख का अंग बनाने से पहले कई तरह से जाँच परख लिया जाए। अविश्वसनीय अथवा कम विश्वसनीय स्रोतों से संदर्भ प्राप्त न किए जाएँ। इनके लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। रूपक का लेखन एक अलग विधा है और अनुसंधान तथा संदर्भ जुटाना हर लेखक के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए।

संदर्भ सामग्री कहाँ से प्राप्त की जाए यह जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। जानकार यही सलाह देते हैं कि तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए जानकारी का स्रोत भी विश्वसनीय होना चाहिए। सरकार अथवा सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों को आधार बनाया जाना उचित होता है। हर पुस्तक और हर पत्रिका प्रामाणिक ही हो यह जरूरी नहीं है। जब भी किसी ऐसे लेखक और प्रकाशक की पुस्तक से संदर्भ लेने की आवश्यकता पड़ जाए जिसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है तो अपने तथ्यों की जाँच किसी अन्य स्रोत से भी कर लें। जहाँ तक हो सके प्रतिष्ठित लेखक और प्रकाशक पर ही विश्वास करें।

अनेक ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए विदेशी पुस्तकों और प्रकाशनों से सहयोग की आवश्यता हो जाती है। ऐसी स्थिति में विदेश में प्रकाशित हर पुस्तक या संदर्भ को प्रामाणिक मानने की भूल न करें। संयुक्त राष्ट्र संघ और सहयोगी संस्थाओं के प्रकाशनों से संदर्भ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा देखने में आया है कि अनेक देशों में अनेक संस्थाएँ जानबूझकर ऐसी सामग्री विदेशों में पहुँचाती हैं जो भ्रम पैदा करती हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करती हैं।

ख्यातिप्राप्त पुस्तकालयों से संदर्भ सामग्री प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है और वहाँ काम करने वाले सहर्ष आपकी सहायता करते हैं।

ध्वनियों के लिए आकाशवाणी का अभिलेखागार है जिसमें हजारों की संख्या में टेप्स में रिकार्ड की गई सामग्री उपलब्ध है। महान नेताओं के भाषण, विचार, भेंटवार्ताएँ तथा उनके संबंध में विद्वानों के विचार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कार्यक्रमों के टेप्स तथा बहुमूल्य ध्वनि दस्तोवज उपलब्ध हैं। साहित्यकारों, कलाकारों, समाजसेवियों और वैज्ञानिकों की आवाज का भंडार भी आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय में हैं।

देश की महत्वपूर्ण घटनाओं की ध्वनि रिकार्डिंग बहुमूल्य निधि है। उदाहरण के लिए 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई कार्यवाही, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा लाल किले से संबोधन, महात्मा गांधी की प्रार्थना सभाएँ, अंटाकर्टिका अभियान दल के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की टेलीफोन पर हुई बातचीत और स्क्वा. लीडर राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बातचीत जैसे अनेक अति महत्वपूर्ण टेप्स उपलब्ध हैं।

15.10 भाषा

रेडियो रूपक की भाषा कैसी हो? इस संबंध में सभी प्रसारणकर्ताओं का एक मत है कि भाषा सरल हो। ऐसे शब्द और वाक्य लिखे जाएँ जो उच्चारण करने पर लिखे हुए न लगें बल्कि बोलने का आभास दें। रेडियो प्रसारण को आप केवल एक बार सुन पाते हैं। लिखे हुए को तो आप बारबार पढ़ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं किंतु प्रसारण में ऐसा संभव नहीं है। जिस सुने हुए शब्द के अर्थ आसानी से पता न हों उनका प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता। अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में कठिनाई पैदा करते हैं इसलिए रेडियो आलेखों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर कठिन शब्द का सरल पर्याय मिल जाता है। वाक्य छोटे हों। संवाद भी बहुत बड़े न हों। भेंटवार्ताओं के अंश भी अधिक अवधि वाले न हों। यदि भेंटदाता ने कुछ कठिन अथवा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है तो वाचक अथवा सूत्रधार के माध्यम से उसका भावार्थ बतलाना ठीक रहता है।

रेडियो प्रसारण साहित्य है अथवा नहीं, यह भी कल तक बहस का मुद्दा था लेकिन आज नहीं। सभी रचनाधर्मी साहित्यकार किसी न किसी रूप में प्रसारण विधाओं से जुड़े रहे हैं और वे सभी मानते हैं कि रेडियो प्रसारण का अपना अलग महत्व और व्यक्तित्व है। रेडियो प्रसारण के लिए लिखना थोड़ा कठिन है लेकिन जो लिखा जाता है वह करोड़ों लोगों तक पहुँचता है। रेडियो लेखन साहित्य का नया महत्वपूर्ण अध्याय है।

जब विज्ञान विषय पर आलेख किया जाता है तब थोड़ी कठिनाई महसूस की जाती है। लेकिन इसका एक सरल उपाय है। कठिन शब्दों का सरल भाषा में भावार्थ बता देना। क्योकि हम सभी का उद्देश्य श्रोताओं तक जानकारी पहुँचाना है और यदि जानकारी पहुँचाने में भाषा बाधा है तो हम सफल नहीं हैं।

एक उदाहरण है - नेता द्वारा चुनाव के समय वोट की अपील। सभा में उपस्थित सभी लोगों तक नेता अपनी बात पहुँचाने में सफल होते हैं। और वही नेता चुने जाने पर जब संसद में, विशेषज्ञों की सभा में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करते हैं तब उनकी भाषा बदल जाती है। यही बात एक रेडियो प्रसारणकर्ता को ध्यान में रखनी होगी।

15.11 अनुवाद

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा के आलेख और कार्यक्रम तैयार करते समय अनुवाद की आवश्यकता पड़ जाती है। उदाहरण के लिए आपको कोई संदर्भ देना है जो सिर्फ अंग्रेजी या अन्य किसी भारतीय प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध है तब उसका समावेश किस तरह किया जाए। क्या शब्दानुवाद किया जाए अथवा भावार्थ दिया जाए? जो भी स्थिति

हो हमें एक बात याद रखना है कि अनुवाद, अनुवाद न लगे। जिस भाषा में आप कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और जिस अंदाज में आपने आलेख लिखा है उसी भाषाई अंदाज में अनुवाद भी होना चाहिए। अनुवाद के लिए प्रायः शब्दकोश की सहायता ली जाती है। शब्दकोश की सहायता से परहेज नहीं करना चाहिए किंतु रूपक की आत्मा के साथ वह अनमेल न लगे। यदि अनुवाद से ऐसा लगे कि बात नहीं बन रही है तो फिर भावार्थ दे देना चाहिए और सूत्रधार से कहलवा देना चाहिए कि भावार्थ प्रस्तुत है क्योंकि हम तथ्य को तोड़ने मरोड़ने के अधिकारी नहीं हैं।

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा में अनेक बार अन्य भाषाओं में रिकार्ड की गई सामग्री का समावेश किया जाता है। इनका समावेश जहाँ एक विविधता और प्रामाणिकता देता है वहीं भाषा का अपरिचय कठिनाई पैदा करता है। इसलिए रेडियो रूपकों और डॉक्यूड्रामा में "सुपरइम्पोज" विधि काम में लाई जाती है। सुपरइपोज का अर्थ है - पार्श्व में मूल स्वर हल्का हल्का सुनाई देता रहता है और ऊपर से जिस भाषा में कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें अनूदित स्वर सुनाई देता है। आरंभ में एक दो पंक्तियाँ मूल भाषा में शामिल कर ली जाती हैं और इस प्रकार अंत में अनुवाद की समाप्ति के बाद मूल स्वर में एक दो पंक्तियाँ उभार दी जाती हैं।

15.12 शीर्षक

शीर्षक का चुनाव कठिन काम है। इस बारे में एक राय नहीं है। अनेक प्रसारणकर्ता मानते हैं कि रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा का शीर्षक आकर्षक और विषय को एकदम स्पष्ट करने वाला सपाट नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोता के मन में जिज्ञासा जागे और वह कार्यक्रम को सुने।

कुछ प्रसारणकर्ताओं की मान्यता है कि बदलते समय में आकर्षक शीर्षक उतना महत्व नहीं रखता जितना विषय और सामग्री। यदि शीर्षक आकर्षक भी हुआ तो उद्घोषणा के सुनते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है फिर जिज्ञासा कहाँ रहती है? शीर्षक विषय को एकदम स्पष्ट करने वाला होना चाहिए।

शीर्षक का निर्धारण किसी बंधे हुए नियम के तहत नहीं हो सकता। विवेक ही सबसे बड़ा नियम है। यहाँ फिर से श्रोता समूह की याद आती है। शीर्षक का निर्धारण भी श्रोता समूह को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले प्रसारण का शीर्षक, प्रतीकात्मक ठीक नहीं होगा और उसी तरह सामान्य श्रोता को एकदम सपाट शीर्षक संभवतः आकर्षित न भी करे। अनुभव में यह आया है कि आलेख लिखते-लिखते अनेक शीर्षक ध्यान में आ जाते हैं फिर उनमें से उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कर लेना चाहिए वरना अपने साथियों से भी चर्चा करके शीर्षक का चुनाव किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कुछ रूपकों के विषय और शीर्षक

	विषय	शीर्षक
1)	मलयालम के महाकवि कुमारन आशान के जीवन पर आधारित	स्नेह गायक
2)	शराब की लत	कड़वा घूंट
3)	कबीर के जीवन दर्शन पर आधारित	ढाई आखर प्रेम का
4)	पीने के पानी की समस्या	बिन पानी सब सून

5)	अल्पसंख्यकों की समस्याएँ और कल्याण योजनाएँ	गिनती कम, अधिकार बराबर
6)	राजस्थान नहर	एक और भागीरथी
7)	फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम वक्तव्य पर आधारित	आखिरी सलाम
8)	खादी ग्रामोद्योग	टूटे न चरखे का तार
9)	सौ वर्ष से अधिक आयु वालों का जीवन	सौ बसंत
10)	नेहरूजी और बच्चे	पंखुरियाँ गुलाब की
11)	आयुर्वेद की लोकप्रियता	फिर आयुर्वेद की ओर
12)	श्रमिकों के जीवन पर आधारित	विकास के सहयात्री
13)	साम्प्रदायिक एकता	मिट्टी का धरम
14)	पेड़ पौधों से पेट्रोल	पेट्रोल की फसलें
15)	एड्स बीमारी की जानकारी	मौत का दूसरा नाम एड्स
16)	वृद्धजनों की आपबीती	चौथे पहर की धूप

15.13 भेंटवार्ताएँ

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा की प्रमाणिकता के लिए भेंटवार्ताएँ आवश्यक अंग हैं। एक तरह से भेंटवार्ताएँ रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा के लिए आधार सामग्री है।

भेंटकर्ता का चयन विषय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए रक्षा विषय पर रूपक तैयार किया जा रहा है तो इसके लिए आजादी के समय हम रक्षा के क्षेत्र में कहाँ थे, इसकी जानकारी चाहिए। यह जानकारी रूपक के लेखक अपने आलेख में सूत्रधार के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, भूतपूर्व सैन्य अधिकारी, रक्षा पत्रकार अथवा किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो रक्षा विषय पढ़ाते हों - से भेंटवार्ता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फिर बात आती है कि हमने पिछले पचास वर्षों में कितनी प्रगति की है, आत्मनिर्भर हुए हैं, नए नए अनुसंधान किए हैं और कौन-कौन से नए हथियार विकसित किए हैं। इसके लिए रक्षा अनुसंधान संगठन भारत सरकार के रक्षा सलाहकार और विशेषज्ञों के विचार रिकार्ड किए जा सकते हैं। भविष्य की योजनाओं के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, रक्षा सलाहकार या योजना आयोग के उपाध्यक्ष अथवा निर्देशक से चर्चा की जा सकती है। आम आदमी की राय भी ली जानी चाहिए। भेंटवार्ताओं के लिए पहले से प्रश्नावली तैयार करना होती है। भेंटकर्ताओं से संपर्क करके उन्हें प्रश्नावली भेज दी जाती है और अवधि तथा जिस भाषा में रिकार्डिंग अपेक्षित है, की जानकारी भी भेजना उचित होता है। भेंट लेने वाले को पहले से ही विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना होता है तभी वह सक्षमता के साथ प्रतिप्रश्न पूछ सकता है।

भेंटवार्ताओं की रिकार्डिंग से पूर्व अपने उपकरणें की जाँच करना न भूलें, और हाँ, जिस व्यक्ति की रिकार्डिंग करने आप जा रहे हैं उस व्यक्ति का पूरा और सही नाम, पद आदि ठीक से जान लें। निर्धारित समय से पाँच मिनट पहले पहुँच जाएँ।

15.14 सूत्रधार (वाचक स्वर)

रेडियो रूपक या डॉक्यूड्रामा के लिए सूत्रधार अथवा वाचक स्वर आवश्यक होता है। हिंदी रूपकों में एक महिला और एक पुरुष स्वर तथा अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों में एक ही स्वर आम तौर से प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने स्वर एक कार्यक्रम में होने चाहिए

इसका कोई बंधा हुआ नियम नहीं है। यह विषय और आलेख की माँग पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई आलेख ऐसे विषय पर आधारित है जिसमें अनेक संदर्भ शामिल किए गए हैं। भेंटदाताओं ने जो जानकारी दी है उसके अतिरिक्त भी जानकारी देना आवश्यक है। प्रतिनिधि स्वरों का प्रयोग किया गया है और अनुवाद भी शामिल किए गए हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य वाचक स्वरों के अतिरिक्त सहायक स्वरों की भी आवश्यकता पड़ती है।

पहले मुख्य वाचक स्वर अथवा सूत्रधार के चयन की बात करते हैं। यदि एक ही मुख्य स्वर रखा गया है तो यह महिला स्वर हो सकता है अथवा पुरुष स्वर। विषय पर इसके चयन का बहुत कुछ निर्भर करता है।

सूत्रधार तथा अन्य स्वरों के चयन के समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनके उच्चारण शुद्ध हों और भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हों। वाणी में नाटकीयता तो हो किंतु अतिनाटकीयता न हो। अतिनाटकीयता रेडियो रूपकों और डॉक्यूड्रामा पर विपरीत प्रभाव छोड़ती है। हर नाट्य कलाकार सूत्रधार की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं होता। सूत्रधार जब बोले तो लगे कि वह बात कर रहा है; यह नहीं लगना चाहिए कि वह संवाद बोल रहा है।

15.15 प्रस्तुतकर्ता

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा में प्रस्तुतकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आलेख लेखन से लेकर भेंटवार्ताओं की रिकार्डिंग तथा अनुसंधान और संदर्भ सामग्री का संकलन सब कुछ प्रस्तुतकर्ता के निर्देशन में ही होना चाहिए। वह टीम के कप्तान की तरह होता है। रूपक की सफलता का श्रेय पूरी टीम को होता है और असफलता का दोष प्रोड्यूसर के माथे पर आता है। यदि प्रस्तुतकर्ता आलेख लेखक भी होता है तब उसे दोनों ही दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। रूपक के विषय से लेकर, रूपरेखा आलेख लेखन, भेंटवार्ताओं की रिकार्डिंग, कलाकारों का चयन, संपादन और कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार करने तक प्रोड्यूसर केंद्र बिंदु में रहता है।

15.16 संगीत और ध्वनि प्रभाव

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा में उपयुक्त संगीत और उपयुक्त ध्वनि प्रभावों का प्रयोग असाधारण कला है। संगीत और ध्वनि प्रभावों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है। रूपक का विषय और शीर्षक से आरंभ कर संगीत चुनने में सहायता मिलती है। विषय यदि समुद्र से संबंधित है तो निश्चय ही पहाड़ी बांसुरी का प्रयोग रूपक को आरंभ करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि रूपक के विषय आदिवासी हैं तो पॉप म्यूजिक का प्रयोग रूपक का आरंभ संगीत नहीं बन सकता।

संगीत की आवश्यकता आरंभ और अंत के अलावा चेंज ओवर के लिए भी पड़ती है। जब हम किसी एक बात को कहते कहते दूसरी बात को आरंभ करते हैं तो विषयांतर के लिए संगीत के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। यह 5 से 10 सेकेंड तक की अवधि का होता है। कई बार श्पॉज ़ या मौन से भी चेंज ओवर किया जाता है।

रूपक के विषय की मांग के अनुरूप विशेष संगीत रचनाएँ भी तैयार कराई जाती हैं। जैसे कम्प्यूटर विषय पर रूपक तैयार किया जा रहा हो तो प्राचीन वाद्यों के स्थान पर

आधुनिक वाद्यों का प्रयोग उपयुक्त होगा। अनेक बार सांकेतिक संगीत भी काम में लाया जाता है।

ध्वनि प्रभाव रूपक को प्राणवान बनाते हैं, शब्द चित्र उपस्थित करने में सहायक होते हैं और श्रोताओं को स्थल विशेष का अहसास कराते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म की चर्चा के समय प्लेटफॉर्म का ध्वनि प्रभाव रोचकता भी पैदा करता है और श्रोताओं को स्थान की सूचना भी देता है। इस तरह जंगल की चर्चा करते समय जंगली जानवरों की आवाजों का ध्वनि प्रभाव श्रोताओं को सुखद लगता है।

ध्वनि प्रभाव का प्रयोग करते समय विशेषकर रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें। प्रायः पहले से रिकार्ड किए गए ध्वनि प्रभाव होते हैं। प्रयोग से पहले उनकी जाँच कर लेना चाहिए। जैसे दिल्ली की बात करते समय - पान बीड़ी माचिस सिगरेट की आवाजों वाला ध्वनि प्रभाव गलत होगा। क्योंकि दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर पान बीड़ी सिगरेट की आवाजें नहीं आतीं। समय बदल गया है। इस तरह अब सिग्नल डाउन नहीं होता, अप होता है। ट्रेन के आने जाने के लिए अब घंटी बजाकर संकेत नहीं दिए जाते - उद्घोषणाएँ होती हैं।

एक और उदाहरण। जंगल की बात करते हैं। आपने किसी जंगल का नाम लिया और फिर पीछे से पहले से रिकार्ड किया गया ध्वनि प्रभाव लगा दिया। तरह-तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनाई देनी लगीं। क्योंकि आपने उसी जंगल में जाकर ध्वनि प्रभाव की रिकार्डिंग तो की नहीं है, इसलिए हो सकता है कि जिन जानवरों की आवाजें आप सुना रहे हैं वे जानवर उस जंगल में होते ही न हों। प्रायः तथ्यों की ये गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आलेख लेखक को अपने आलेख में हर बात के निर्देश लिख देना चाहिए कि वह किस प्रकार का ध्वनि प्रभाव चाहता है।

एक उदाहरण :

रूपक का शीर्षक	धरती सौराष्ट्र की
उद्घोषक	प्रस्तुत है विशेष रूपक - धरती सौराष्ट्र की
ध्वनि प्रभाव	(गीर के जंगल में रिकार्ड की गई सिंह गर्जना)
वाचक	एशिया में यदि कहीं सिंह हैं तो केवल गीर के जंगलों में हैं।
ध्वनि प्रभाव	द्वारिका मंदिर में रिकार्ड की गई आरती
वाचक	बारह ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ और चार धामों में एक धाम द्वारिका
ध्वनि प्रभाव	गिरनार जैन मंदिर में रिकार्ड किया गया भजन
वाचक	मोक्ष पर्वत गिरनार। हजारों संगमरमरी जैन मूर्तियों का जगत प्रसिद्ध पवर्त-मंदिर प्रागंण पालिताना यहीं है।
ध्वनि प्रभाव	वैष्णव जन तो तेने कहिए की संगीत रचना का अंश
वाचक	वैष्णव जन तो तेने कहिए के गायक भक्त कवि नरसी मेहता, स्वामी नारायण, दयानंद सरस्वती जैसे संतों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म स्थलियाँ भी यही हैं।
ध्वनि प्रभाव	वैष्णव जन तो तेने कहिए के सुर उभरते हैं

वाचक	इतिहास के अनेक अनोखे अध्यायों की धरती है सौराष्ट्र। आइए सौराष्ट्र चलें।
ध्वनि	समुद्र के लहरों की गर्जना उभरकर पार्श्व में चलती रहती है।
संस्कृत शलोक	सौराष्ट्र पंचरत्नानि, नदी नारि तुरंगमः चतुर्थे सोमनाथश्चः पंचमय हरिदर्शनम्।
ध्वनि प्रभाव	समुद्र का ध्वनि प्रभाव उभरता है और संगीत के मिश्रित स्वरों के साथ वाचक स्वर के पार्श्व में चलता रहता है।
वाचक	गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र की धरती तीन ओर समुद्र से घिरी है। कृष्ण के कंठमाल की तरह। सूर्योदय और सूर्यास्त के आनंद की धरती। ताजे फूलों की सुगंध, धूप अगरबत्ती की महक और अपने अपने इष्टों की पूजा आराधना के स्वरों से गुंजित है धरती सौराष्ट्र की।
ध्वनि प्रभाव	विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाओं का मिश्रित अंश
वाचक	भारत की प्राचीनतम सभ्यता का अवशेष स्थल-लोथल। अशोक, रूद्रदमन और स्कन्दगुप्त के शिलालेख - इस क्षेत्र की गौरवगाथा के साक्षी हैं। इन्हें बांच रहे हैं पुरातत्व वेत्ता श्री एच.आर. जोशी
श्री एच आर जोशी (भेंटवार्ता का अंश)	(यथार्थ स्वर) ..... इस शिलालेख में लिखा गया है कि बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धार्मिक कार्य और व्यवहार योग्यता प्राप्त करने के लिए इसमें बताया गया है। प्राणी जीवन की पवित्रता के विकास के लिए आदमी का प्रयत्न करना चाहिए।
वाचक	रूद्रदमन ने जन कल्याण के लिए प्रचण्ड वायु वेग से टूट गए बांध को ठीक करवाया और स्कन्दगुप्त ने फिर से इसकी मरम्मत कराई। ये शिलालेख बाढ़, पानी, तूफान और हवा से नष्ट न हो जाएँ इसलिए जूनागढ़ के नवाब ने इनकी प्रतिकृतियाँ बनवाई थीं । आदि-आदि।

रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा में नाटक की तरह स्टॉक इफेक्टस के स्थान पर स्थल विशेष पर रिकार्ड किए गए ध्वनि प्रभाव काम में लाना बेहतर होता है।

15.17 उद्‌घोषणा

उद्‌घोषणा रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा का ही भाग होती है। इसमें मात्र कार्यक्रम की सूचना नहीं होती बल्कि श्रोता को कार्यक्रम सुनने के लिए विशेष रूप से नियंत्रित करने की कला होती है। उद्‌घोषणा की प्रस्तुति यदि प्रभावशाली है तो श्रोता कार्यक्रम सुनने के लिए अपना मन बना लेता है। इसलिए उद्‌घोषणा का लेखन बहुत सावधानी और मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

उद्घोषणा में केंद्र का नाम, कार्यक्रम का शीर्षक और विषय लेखक और प्रस्तुतकर्ता का नाम तो आरंभ में ही होता है और अंत में फिर से रूपक का शीर्षक दोहराया जाता है। रूपक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम बताए जाते हैं। किस व्यक्ति ने किस रूप में सहयोग दिया है उसका उल्लेख किया जाता है। संगीत रचना तैयार करने वाले संगीतकार का नाम, लेखक, सहायक, प्रस्तुतकर्ता और प्रस्तुतकर्ता के नाम होते हैं और अंत में होता है उस एकांश अथवा केंद्र का नाम जहाँ यह रूपक तैयार किया गया। रूपक के संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आप श्रोता को देना चाहते हैं उसका उल्लेख भी उद्घोषणा में किया जाता है।

उद्घोषणा

(.....)

सत्य का सूर्योदय

(.....)

(गांधी-जीवनवृत्त पर आधारित प्रथम रूपक)

प्रसारण तिथि : 31.1.1969

प्रसारण समय : रात साढ़े नौ बजे

प्रारंभिक उद्घोषणा

ये आकाशवाणी दिल्ली है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

(पॉज)

ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं गांधी शताब्दी समारोह से सम्बद्ध, श्री शिव सागर मिश्र लिखित, महात्मा गांधी-जीवनवृत्त पर आधारित रूपक माला का प्रथम पुरुष - "सत्य का सूर्योदय"।

आकाशवाणी की योजना है कि महात्मा जी के जीवनवृत्त को रूपकों के माध्यम से, तेरह खंडों में, प्रसारित किया जाए। इस रूपक माला का प्रारंभ हम आज से कर रहे हैं और इसका अंत होगा जनवरी, 1970 में। रूपक में महात्मा जी के उद्धरणों को पढ़ रहे हैं श्री ओम शिवपुरी।

तो लीजिए प्रस्तुत है महात्मा गांधी रूपक माला का प्रथम पुष्प - "सत्य का सूर्योदय"

(फेड इन मास्टर टेप)

अंतिम उद्घोषणा

"सत्य का सूर्योदय" - अभी आपने महात्मा गांधी रूपक माला का प्रथम रूपक सुना। इसमें महात्माजी के जीवन के, 2 अक्तूबर, 1869 तक के, वृत्तांत शामिल थे। इस रूपक माला के अंतर्गत, हर मास के अंतिम शुक्रवार को, इसी समय, एक रूपक प्रसारित किया जाएगा। अगला रूपक प्रसारित होगा 28 फरवरी, 1969 को, रात साढ़े नौ बजे।

"सत्य का सूर्योदय" में भाग लेने वाले कलाकार थे - सर्वश्री हरि कपूर, सुरेश शास्त्री, राजेंद्र वर्मा, राजगुप्त राजीव, सी.एस. नागर, रविमोहन खन्ना, जफर अहमद, आनंद शर्मा, लक्ष्मीनारायण भारद्वाज, राम मैनी, हरिकृष्ण वैश्य, बालक अभय कुमार, श्रीमती सरोज भार्गव और श्रीमती सुधा शिवपुरी।

श्लोक पाठ किया श्री धरणीकांत झा ने और छप्पय पढ़ने वाले थे श्री वसु भाई। भजनों का गायन किया श्री गोपाल जी रल्ला भाई एंड पार्टी ने और संगीत संरचना की थी अनिल विश्वास ने। प्रस्तुति सहायक थे सर्वश्री कैलाश चंद्र शर्मा, सिद्धिनाथ झा और श्रीमती भूषण बजाज। ध्वनि संपादक थे श्री रमेश चन्द्र पाण्डे।

लेखक, निदेशक और प्रस्तुतकर्ता श्री शिवसागर मिश्र।

यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।

15.18 रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम

"बिन पानी सब सून"

वीरेंद्र गोहिल

(कुंए से पानी निकालने वाले की आवाज़ - स्थल रिकार्डिंग वाला ध्वनि प्रभाव ... ओ ... ओ ... और ... रे .... औ .... पार्श्व में कुंए पर महिलाओं के स्वर, खाली बर्तनों की आवाज़ें और पानी भरने का ध्वनि प्रभाव)

वाचक यह आवाज़ राजस्थान के जोधपुर जिले के लोर्डिया गाँव के 350 फुट गहरे कुंए में से पानी निकालने वाले श्याम सुंदर की है। यह संकेत है उस व्यक्ति के लिए जो ऊंट से बंधी रस्सी के साथ 350 फुट दूर पहुंचा है। यह बताने के लिए कि पानी भरा चरस कुंए के मुंह पर आ गया है, रुक जाओ और ऊंट की काठी से बंधी रस्स्ती खोल दो।

(पार्श्व में श्याम सुंदर की आवाज, रस्सी और चरस आदि की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं)

वाचिका राजस्थान के कई एक गाँव समूहों के बीच पीने के पानी का एक ही साधन है - कुआं। जो कई सौ फुट तक गहरा होता है। रात दिन कुएं से पानी निकाला जाता है - फिर भी सभी को पानी नहीं मिल पाता। पानी की आस में लोग मीलों दूर से आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं ...। महिलाएँ और बच्चे आग उगलती धूप में घंटों पानी के लिए खाली बर्तन लिए खड़े रहते हैं।

वाचक ऐसा नहीं है कि ऐसे दृश्य केवल राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। देश के अनेक हिस्सों में और दुनिया के अनेक देशों में पीने के पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जूझ रही है। पूर्वी अफ्रीका में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार -

वाचिका केन्या के ग्रामीण इलाकों में बसे कोई 20 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन 6 घंटे केवल पानी प्राप्त करने में लगाते हैं। इस तरह महिलाओं के काम करने का एक तिहाई समय सिर्फ पानी के लिए खर्च हो जाता है। ज़रा सोचिए मानव शक्ति का यह कितना बड़ा अपव्यय है। और तो और घाना देश में पानी बहुत ऊँची कीमत पर बिक रहा है। अफ्रीका के कुछ शहरों में आमदनी का 10 प्रतिशत सिर्फ पानी खरीदने पर खर्च होता है।

वाचक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981-90 दशक को अंतर्राष्ट्रीय जल वितरण और स्वास्थ्य रक्षा दशक घोषित किया है। योजना की गंभीरता का अनुमान इसी तथ्य से लग जाएगा कि 1990 तक यदि सभी को यह सुविधा पहुंचानी है तो लगातार दस वर्षों तक प्रतिदिन 5 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाना होगा।

वाचिका हमारे यहाँ जल का अर्थ ही जीवन है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी का महत्व और उसकी कहानी हमारे जीवन की तरह ही जटिल और बहुत पुरानी है।

स्वर रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुस, चून।

वाचक पृथ्वी के विकास की कहानी पानी से ही शुरू होती है। लगभग सभी धर्मों में एक सी मान्यताएँ हैं कि दुनिया में पहले चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ

तक कि पृथ्वी को ब्रह्म राक्षस पाताल लोक में ले गया। भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह अवतार लिया था।

दुनिया की सभी मान्यताएँ पानी के पास ही जन्मी और विकसित हुई। इसलिए हमारे तीर्थ, व्यापारिक नगर प्रायः नदियों और समुद्र के किनारे ही बसे हैं।

वाचिका जल हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराओं की एकता का भी प्रतीक है। पानी की न कोई जाति है, न कोई धर्म, वह तो सभी के लिए समान रूप से जरूरी है। सूर्य को अर्ध्य अर्पित करते समय जिस श्लोक का पाठ होता है उसमें भारतीय एकता का समावेश है -

गंगे च यमुने चः
गोदावरी सरस्वती,
नर्मदे, कावेरी, सिंधु,
तरमेल संधिम् कुरु।

वाचक हमारे शरीर में कोई 65 प्रतिशत जल होता है। हर रासायनिक प्रक्रिया के लिए पानी चाहिए। सभी वनस्पतियाँ पानी की मोहताज हैं।

पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जलमय है। लेकिन पीने लायक पानी शायद एक प्रतिशत भी नहीं है। 69 प्रतिशत पानी समुद्रों में भरा है जो खारा है, जो न पीने काम का, न सिंचाई के काम का। दो प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में है।

वाचिका दुनियां की लगभग सभी प्रमुख नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, केवल एक प्रमुख नदी को छोड़ कर। वो है जार्डन नदी। इस तरह पीने योग्य पानी का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में ही चला जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष एक अरब 60 करोड़ हेक्टेयर मीटर नदी जल समुद्र में बह जाता है और साथ में ले जाता है, हमारे खेतों की उपजाऊ मिट्टी।

वाचक पानी का विनाशकारी रूप भी है। अनुमान के अनुसार केवल हमारे देश में ही प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ों से एक हजार करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है, न जाने कितने मनुष्य और पशु बह जाते हैं।

वाचिका पानी की हर बूंद की कीमत और उसका महत्व तो वे ही लोग जानते हैं जिन्हें प्यास भर पानी नहीं मिलता। रेगिस्तान, पहाड़ और पठारी इलाकों में रहने वालों से पूछिए तो सही - वे पानी को कितना प्यार करते हैं।

(गीत जोधपुर क्षेत्र में रिकार्ड किया हुआ।) बरसो मैया रे .....

नारी स्वर है मेघ बरसो - बरसो। माटी की आग बुझाओ।
जीवन दो है मेघ बरसो।

वाचिका पानी के अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों में सदियों से मेघ की स्तुति में गीत गाए जाते रहे हैं। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में एक गांव है लोर्डिया। यहाँ के निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिकिशन जी एक सरल कवि भी हैं।

हरिकिशन (यथार्थ स्वर) : (लोर्डिया) :

ठाकरियों बंधों घोड़ों रे, घन बेचों लोहार
जोशीरो बेचो टीपंण और
हरि ने बेंची गली नार।

नारी स्वर यानी ठाकुर जो है उसने अपना घोड़ा बेच दिया, लोहार था उसने अपना घर बेच दिए, जोशी ने अपना टीपणा बेच दिया परंतु जो बेचारा किसान था उसक पास बेचने को कुछ बचा नहीं था, उसने अपनी औरत को ही बेच दिया।

वाचक 60 वर्षीय वृद्ध महिला रुकमन - कुँए के घाट पर पानी भरने आयीं। उनसे पानी की तकलीफ के बारे में पूछा, तो कहने लगीं :

रुकमन **(यथार्थ स्वर) : (लोर्डिया, जोधपुर) :** पानी की घणी तकलीफ है रे भइया - यह पानी बावत न कोई - पानी मिले तो होय आराम कोई नहीं कपड़ा धोने में। न नहान गाँव में मिले कोई नहीं - पानी के कारण तो युग बीत गए मिला कुछ नहीं।

वाचिका पानी की गंभीर समस्या के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक चिंता को कुछ लोगों ने यह कहकर और गहरा कर दिया कि जिस गाँव में पानी नहीं मिलता वहाँ लोग अपनी लकड़ी ब्याहने से कतराते हैं। 66 वर्षीय मोहन लाल जी के शब्दों में :

मोहनलाल **(यथार्थ स्वर)** लड़की की शादी नहीं करते हैं कि दिन भर पानी में ही लगी रहती है और वो दूसरा काम भी क्या करे इसलिए लोग नहीं देते। पानी हो तो फसल भी अच्छी हो सब अच्छा हो। मज़दूर दल भी अच्छा काम करे। पानी पियो तो पानी से सब कुछ होता है, जल वहाँ जगदीश होता है।

वाचक जल जगदीश होता है। जल सचमुच जगदीश होता है। जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ जल की हर बूंद बेशकीमती होती है। भले ही वो बूँद गड्ढ़े में ही से क्यों न लेनी पड़ रही हो। फलोदी विकास खंड अधिकारी और आकाशवाणी जोधपुर के सहयोगी के साथ जब हम ऐसे ही तालाब के किनारे खड़े थे तो एक युवक ने बताया :

मोहनलाल **(यथार्थ स्वर)** ये पानी है तो इसमें बहुत गंदगी होती है, पेशाब कर देते हैं, पशु और ऊँट बैल वगैरह इसी के अंदर आ कर ही पेशाब करते हैं और यह पानी इसी ढंग से गंदा हो जाता है। कीचड़ पड़ा रहता है, दिन भर मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। यही पानी पीते हैं।

वाचक रेगिस्तानी क्षेत्र में यात्रा करते हुए जब एक जगह नलकूप दिखा तो वहाँ रुक गए। गाँव का नाम था चाचा। नलकूप के पास ही मुलाकात हुई सरपंच जनाब निजामुद्दीन से :

निजामुद्दीन **(यथार्थ स्वर)** बारह महीनों से पानी की कोई किल्लत नहीं है। कभी बंद दो जाए तो फिर दूसरी बात है। बाकी पानी पीने के लिए पानी बहुत है। ये ट्यूबवेल लाठी से पानी आता है। नलकूप से और यहाँ पानी पिलाते हैं। पहले तो अपने कुँए का कडुवा पानी मवेशी को पिलाते थे और हम जो है तो वो खोद के उससे पानी से गुजारा करते थे। पहले तो खतुडाई यहाँ आती थी चार मील से पानी पीने के लिए और कडुवा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था।

वाचक निजामुद्दीन साहब से पूछा कि ज़ै जिस दिन ट्यूबवेल का पानी मिला उस दिन कैसा लगा?

निजामुद्दीन **(यथार्थ स्वर)** जिस दिन यह पानी पहले से आया तो गाँव वाले इकट्ठा हो गए बड़ी खुशी मनाई क्योंकि हमारे तो सैकड़ों वर्षों से कोई पानी का सवाल ही नहीं था।

वाचक जैसलमेर के रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए पोखरण रुकते हैं। वहाँ हमारी भेंट होती है श्री पी.आर.एस. मेनन से :

श्री मैनन **(यथार्थ स्वर)** हमारे सब डिवीजन में यहाँ से कोई 38 माइल दूर सत्या कर के गाँव है। इस क्षेत्र में उस गाँव में खजासर गाँव से ट्यूबवेलों से पानी पहुँचा दिया गया है। इसलिए चारा और पानी, पानी दोनों ही उपलब्धि के कारण काफी दूर-दूर से यहाँ मवेशी आकर बस रहे हैं। उन गाँवों के कुल पशुओं की जनसंख्या 33 हजार है। 77 के पशु गणना के अनुसार, मगर, बाहर से आए हुए करीब 43 हजार हैं। उनके गोपालक भी उनके साथ में दूर-दूर से गाँव में आए हुए हैं। यह जो अभी जो केटल यह है जो पशुधन बाहर से आए हुए हैं। इनका राहत के हिसाब से दो तीन महीना कम से कम इस गाँव में पड़ाव रहेंगे।

वाचक हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है डावला। यहाँ ट्यूबवेलों की श्रृंखला है। हमारे साथ हैं जैसलमेर के जिला जन-संपर्क अधिकारी श्री ब्रज मोहन व्यास, बताते हैं :

श्री व्यास **(यथार्थ स्वर)** ये जो आप देख रहे हैं डालना, ये गाँव छः ट्यूबवेल की सीरीज़ आप देख रहे हैं। यह पानी का मुख्य स्रोत है जिले में जो जेसलमेर को जिसकी आबादी लगभग 20 हजार से उसको तो पानी की पूर्ति करता ही है लेकिन ऐसे दूरदराज गाँव जो यहाँ से 80-80 किलोमीटर दूर हैं, उसमें भी पानी नियमित रूप से यहाँ टैंकों से भरकर जाता है।

वाचक बीकानेर क्षेत्र के नवरंग देसर गाँव के जेठाराम बताते हैं - पानी क्या है, जहर है। वो भी घूंट घूंट गिन गिन कर पीते हैं।

जेठा राम **(यथार्थ स्वर** - राजस्थानी भाषा में)

वाचक राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए हम मिले रेगिस्तान विकास आयुक्त श्री विवेकानन्द ढौंढियाल से :

श्री ढौंढियाल **(यथार्थ स्वर)** राजस्थान में 11 जिले मरुस्थली जिले कहलाते हैं। इन सारे हिस्से, सारे जिलों में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में 24 हजार से ऊपर गाँव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या बहुत विकट है चार हजार गाँव इस वर्ष के प्रारंभ तक में ऐसे हैं, जिनमें कि पानी की समस्या का हल ढूंढा जा चुकेगा और बाकी सारे गाँव में भी यह आशा की जाती है कि यह इस प्लैन के अंत तक पानी की समस्या का हल हो जाएगा। आप सब यह जानते ही होंगे कि देश में सब से ज्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है और आप यह भी जानते होंगे कि शायद कि देहली वाले जो दूध पीते हैं, वो उसमें से ज्यादातर राजस्थान से आता है तो इन सबको देखते हुए यह जरूरी है कि हम जानवरों के पानी की समस्या का भी हल निकालें और वो उनकी जो स्कीम बनाई जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्या का हल भी इस योजना के अंत तक हो जाएगा।

वाचक राजस्थान के रेगिस्तान से अलग जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख इलाके में भी अपने किस्म का रेगिस्तान है। यहाँ भी पीने के पानी की बहुत किल्लत है। लेह के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बताते हैं :

फुनसोग **(यथार्थ स्वर)** लद्दाख बाकी मुल्क के रेगिस्तान इलाके से बिलकुल अलग नहीं है। यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा हैं। ठण्ड ज्यादा है। इस लिहाज से भी ... बाकी यह डेफीनेटली एक डेजर्ट है। अब इसमें पीने का पानी का किल्लत भी बहुत है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, इसमें जैसे वाटर सप्लाई स्कीम्स हमने शुरू किया था कि सिर्फ 1978 से हम फिफ्थ प्लान से तब से उसको हमने ऐसा एक्सपेण्ड किया है और अभी तक सोलह गाँव वाटर सप्लाई प्रोटेक्टिड सप्लाई के दायरे में आया है। तो उससे तकरीबन पाँच हजार आबादी को फायदा पहुँच रहा है। लेकिन सिक्स्थ प्लान में उसमें हमने प्रोग्राम ज्यादा एम्बिशियस रखा है और हमें उम्मीद है कि सिक्स्थ प्लान के आखिर तक हम यानी 1985 तक 109 गाँव में से लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन नवासी गाँव को पानी देने का हमारा प्रोग्राम है।

वाचक और ये शब्द चित्र है गोरखपुर के गाँव खासपुर का। पवहारी शरण के शब्दों में:

पवहारी शरण (यथार्थ स्वर) शाहपुर में दक्षिण दिशा में जो है घाघरा ... नदी है और पूरब दिशा और उत्तर में कुजानी नदी है। बरसात में हमारे यहाँ दोनों पूरा कुरा में भर जाता है और कोई दवा कोई इंतज़ाम उसका नहीं होता है वही गंदा पानी बरसात का हम लोग पीते हैं और इस समय गर्मी के सीजन में पानी सूख जाता है ... के चल आने पर और वो ही पानी हम पीते हैं और सिंचाई का साधन जो है हमारे यहाँ केवल पम्प सेट का ही है और वो भी न डीजल मिलने पर खेत भी न सींचा जा सकता है। कोई एक पानी सींचता है सींचता भी नहीं पाता। हमारे यहाँ पार साल कालरा की बहुत सी शिकायत हुई और चेचक इस समय भी चेचक की शिकायत है और कालरा की हमारे यहाँ ज्यादा है।

राम रक्षा **(यथार्थ स्वर)** हमारा नाम राम रक्षा है गाँव नगवा तहसील सदर गोरखपुर है साहब और पानी के ... कोई तकलीफ नहीं। पहिले इधर पहले दस साल के पहले साहब बड़ा बड़ ... बड़ी तकलीफ रहे कुँए सूख जात रहे हैं और वैसे कुँए दूर दूर रहत रहे, कुछ नज़दीक नहीं ...

वाचक और यह है पौड़ी गढ़वाल की कुमारी विद्यावती

विद्यावती **(यथार्थ स्वर)** पानी जो हम छः किलोमीटर दूर से लाती है वह पानी भी साफ नहीं होता है। लाचारी में पीना पड़ता है और पेट के कई रोग पालने पड़ते हैं। यद्यपि शासन ने पेयजल की समस्या के लिए नल लगा रखे हैं लेकिन उन पर वर्ष के सिर्फ तीन महिने ही पानी आता है। महिलाओं की समस्या पानी से इतनी जुड़ी है कि हमारी जिंदगी से इसे कभी क्या ही दूर किया जा सकेगा?

वाचिका किसी ने ठीक ही कहा था - पानी बिना जिंदगानी किस काम की। पानी और जिंदगी के रिश्तों को बेहतर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक श्री भगवती प्रसाद वर्मा ने प्रदेश की स्थिति बताई :

श्री वर्मा **(यथार्थ स्वर)** उत्तर प्रदेश में एक लाख पंद्रह हजार गाँव हैं जिसमें लगभग 37 हजार गाँव जो हैं, वो उनमें पानी का बहुत अभाव रहता है। शहरी क्षेत्र जो हैं, वो उनमें नार्मली पानी का नहीं, मगर अभाव रहता है। तो यह हमारे यह जो अभाव ग्रस्त गाँव हैं इनको हम सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं और उन 35 हजार गाँव में से 7 हजार गाँव को हम कवर कर चुके हैं बाकी गाँव को अभी कवर करना है और हमारा प्रयास लगातार जारी है कि हम जितने हमारे बाकी गाँव बचे हुए हैं उन सबको जो अभाव ग्रस्त गाँव हैं उनको तो कम से कम हम छठीं पंचवर्षीय योजना में कवर कर ही दें और बाकी बचेंगे उनको सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी करने का प्रयास है।

वाचक श्री वर्मा ने हमें बताया कि गाँव में बिजली का सप्लाई नियमित न होने से बहुत कठिनाई होती है इसके लिए गोबर गैस से चलने वाले संयंत्र लगाने की योजना है। यहाँ तक कि गंदे पानी से बायोगैस बनाकर जेनरेटर चलाने का प्रयोग किया गया है। हम सब उस जगह पहुँचे। वहाँ हमारी मुलाकात हुई श्री एम.ए. ज़ैदी से :

(जेनरेटर चलाने का ध्वनि प्रवाह पार्श्व में)

ज़ैदी (यथार्थ स्वर) ये डाइजेस्टर आप जो देख रहे हैं इसमें हमने गंदा पानी जमा करके और उससे बायोगैस पैदा की है और उस पैदा की गई बायोगैस से ये जेनरेटर चला रहे हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं यह जेनरेटर है, दूसरी तरफ जो देख रहे हैं, यह पंखा है और एक नया इंजन पेट्रोल का जिसे चलाने की योजना की जा रही है। यह तीनो पम्प बायोगैस से चल रहे हैं और 20 प्रतिशत डीजल और 80 प्रतिशत गैस से ये अपना काम कर रहे हैं।

वाचक गंदा पानी यानी जानलेवा पानी बीमारियों की जड़। तीसरी दुनिया के देशों में हर पाँच बच्चों में से तीन या चार की मृत्यु शैशवास्था में ही हो जाती है और इनकी मृत्यु के मुख्य कारणों में प्रमुख है प्रदूषित पानी।

वाचिका आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि प्रतिदिन दुनिया में कोई 25 हजार व्यक्ति गंदा पानी पीने के कारण मर रहे हैं। विकासशील देशों में होने वाली बीमारियों के विश्लेषण बताते हैं कि 80 प्रतिशत बीमारियाँ किसी न किसी रूप में गंदे पानी से जुड़ी हैं। डायरिया और मलेरिया ऐसी ही प्राण घातक बीमारियाँ हैं। पानी को प्रदूषित होने से रोकने और प्रदूषित पानी की निकासी पर बहुत जोर दिया जा रहा है।

वाचक उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी से जब हमने पूछा कि नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है तो उन्होंने बताया :

श्री द्विवेदी (यथार्थ स्वर) अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार नगर महा-पालिकाओं और नगर पालिकाओं से जो गंदे नाले निकलते हैं उनसे काफी नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। उसके अलावा उद्योग दूसरे ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनसे नदियों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का पानी गंदा होता है। बोर्ड द्वारा कई उद्योगों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। परंतु जहाँ तक नए उद्योगों का प्रश्न है उन्हें तो तब तक नया प्रोडक्शन करने की अनुमति नही दी जाएगी, जब तक वे अपने यहाँ शुद्धिकरण की व्यवस्था न लगा लें। प्रदेश में दो महानगर पालिकाएँ हैं

जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा अदालती कार्यवाही की जा रही है उनमें एक कानुपर और दूसरा है लखनऊ। इन्होंने यह वायदा किया है कि जल्दी ही ये अपने यहाँ शुद्धिकरण की व्यवस्था कर लेंगे। जहाँ तक मथुरा रिफायनरी का सवाल है जो केवल न अपने यहाँ पूरे शुद्धिकरण की व्यवस्था करेंगे बल्कि शुद्धिकरण के बाद वो अपने यहाँ से निकलने वाला सारा पानी केवल भूमि पर सिंचाई के लिए काम में लाएँगे।

वाचिका महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के ममूराबाद के निम्बा सोनार ने बताया कि ग्रामीणों ने मिलकर पीने के पानी की समस्या का समाधान निकालने में सहयोग दिया है :

श्री सोनार (यथार्थ स्वर) पहले पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। यहाँ तक कि पशुओं को पहले गंदा पानी पिलाना पड़ता था फलस्वरूप वे बीमार हो जाते थे। चारे की भी समस्या थी, इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए और फैसला किया और 3500 लीटर की एक टंकी बनाई। अब इस टंकी से पूरे गाँव को पानी मिलेगा।

वाचक इसी गाँव की एक महिला श्रीमती कलावती ने कहा :

श्रीमती कलावती (यथार्थ स्वर मराठी भाषा में) हमारे गाँव की आबादी पाँच हजार है और चार कुएँ हैं। जो 100 फुट तक गहरे हैं। ये कुएँ खुले हैं। कुओं पर ही बर्तन साफ किए जाते हैं और कपड़े धोये जाते थे। इससे पानी गंदा हो जाता था। क्योंकि कुएँ किसी की संपत्ति नहीं थे। तो कोई चिंता नहीं करता था। और बच्चे बीमार होते थे। कई बार कुओं पर झगड़े की नौबत भी आ जाती थी। लेकिन जब से गाँव वालों ने मिलकर पानी की टंकियाँ बना ली हैं। कुएँ से पानी टंकियों में पम्प से भरा जाता है और इससे हालत ठीक हो गई है।

वाचक गुजरात राज्य के खापर गाँव के निवासी श्री जोगी नरसी :

नरसी (यथार्थ स्वर - गुजराती भाषा में) बरसों के पहले अनुसार बने तकलीफ होती असुने। क्योंकि बरसात जो है वो बराबर ठीक नहीं तो कुएँ में तो मरुआ हमारी मोता अली होत सी वह बहुत मुश्किली थी पानी भरता का केम के 42-43 के पुस्तली यह तो रसी खते हैं न बीजो भाई पनो सुनो ... नाम से पानी भरना में और इतलो ... छई वे जो लो तो तो पानी भरता था घर। अब भगवान की दया है आने नर वन छयो छे इसलिए हमारा पानी सारो घनी।

वाचिका समस्या बहुत बड़ी है और सरकार कृत संकल्प है कि देश के सभी निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और गंदे पानी की निकास का समुचित प्रबंध हो। केंद्रीय आवास तथा निर्माण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एस.सी. पांडे ने हमें इस बारे में बतलाया :

पाण्डे (यथार्थ स्वर) वस्तुतः गाँव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। ऐसे गाँवों की संख्या इस समय लगभग 2 लाख है जिनमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा ध्येय यह है कि इन सब गाँवों में चालू छठीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। वर्ष 1980-81 में लगभग इस प्रकार के तीस हजार गाँवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी और हमने चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 36 हजार गाँव रखा है। हमने इसके लिए प्रावधान दो हजार सात करोड़ रुपये का किया है।

वाचक राष्ट्रसंघ के द्वारा प्रारंभ किए गए अंतर्राष्ट्रीय पेयजल दशक के बारे में श्री पाण्डे ने हमें बताया :

श्री पाण्डे (यथार्थ स्वर) इस दशक का हमारा लक्ष्य यह है कि पेयजल की सुविधा भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक को हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गाँव में रहता हो, उपलब्ध इस दशक के अंत तक हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 प्रतिशत सफाई का भी प्रावधान हो जाना चाहिए।

वाचक विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिल्ली स्थित कार्यालय में पर्यावरण स्वास्थ्य एकांश के प्रमुख श्री डी.वी. सुब्रह्मणियम :

श्री सुब्रहमणियम (यथार्थ स्वर) दुनिया के विकासशील देशों में जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग रहते हैं 26 प्रतिशत शहरी निवासियों को साफ पानी प्राप्त नहीं है और 47 प्रतिशत कोई सफाई सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 100 से 80 लोग रहते हैं 71 प्रतिशत को दूषित पानी भी हाजिर नहीं है और जहाँ तक सफाई का सवाल है वह न के बराबर है। दुनिया के सब देश कोशिश कर रहे हैं कि उनके देशवासियों को साफ और सुरक्षित पानी और सफाई सुविधाएँ मिलें। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दस सालों में दक्षिण पूर्व एशिया में करीबन चालीस हजार मिलियन डालर की जरूरत पड़ेगी अगर शताब्दी के टारगेट पूरे करने हों। वेसे तो यह इंवेस्टमेंट बहुत बड़ी है पर अगर देशों के कुल डेवलपमेंट बजट से नापा जाए तो बहुत थोड़ी है।

वाचिका जी हाँ, विश्वव्यापी इस समस्या के समाधान के लिए भारी धनराशि की जरूरत है। लेकिन यह धनराशि कई दूसरे कामों पर खर्च होने वाली धनराशि से भी कम है। मसलन 1979 में विकसित राष्ट्र हर पन्द्रह दिन में जितनी धनराशि सिर्फ हथियारों पर खर्च कर रहे थे, यह उससे भी कम है।

वाचक इस बारे में कुछ रोचक आँकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन पत्रिका में दिए गए हैंः

वाचिका आने वाले दस वर्षों में पूरी दुनिया को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और सफाई की सुविधा देने के काम पर होने वाला खर्च दुनिया के प्रति वर्ष मद्यपान पर होने वाले खर्च का एक अंश मात्र है।

स्त्री स्वर और तो और दुनिया के लोग इस राशि से 10 गुना अधिक राशि सिगरेट फूंक कर उड़ा देते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोपवासी इस धनराशि से कई गुना अधिक धनराशि केवल तनाव कम करने वाली और नींद लाने वाली गोलियों पर खर्च कर देते हैं।

वाचक वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कम से कम एक दो लीटर पानी प्रतिदिन तो चाहिए ही। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसारः

वाचिका पीने के लिए, साफ सफाई के लिए, भोजन बनाने तथा अन्य जरूरी कामों के लिए प्रतिदिन 20 से 50 लीटर पानी आवश्यक है। जब कि संपन्न देशों में और विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन पानी की खपत 200 से 400 लीटर प्रति व्यक्ति है।

वाचक आज की आवश्यकता केवल पीने योग्य पानी की ही नहीं रही बल्कि उसे गंदा होने से बचाने, उसका अपव्यय रोकने और उसके समुचित उपयोग की भी है। क्योंकि वैज्ञानिक चेतावनी के अनुसार आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद तेल की एक एक बूंद जैसी कीमती हो सकती है।

स्वर रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुस, चून।।

15.19 सारांश

रेडियो रूपक और डॉक्यूमेंट्री का आलेख लेखन अपने आप में एक अनुभव यात्रा होती है। इस अनुभव यात्रा में आनंद ही आनंद है। रचनाधर्मिता का सुख है। लेकिन जिस तरह पुस्तकें पढ़कर या भाषण सुनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता उसी तरह बिना अभ्यास किए रेडियो रूपक और डॉक्यूड्रामा का आलेख लेखन सरल नहीं होगा।

जहाँ भी आप रहते हैं अपने पास के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले रूपकों और डॉक्यूड्रामा कार्यक्रमों को सुनें। हो सके तो कैसेट पर रिकार्ड करके रख लें और इस विधा के जानकारों से चर्चा करें। दुनिया के सभी प्रतिष्ठित रेडियो प्रसारण केंद्र रूपक और डॉक्यूड्रामा प्रसारित करते हैं। उन्हें लगातार सुनते रहें। रूपक विधा के अनेक सूत्र हैं। हर सूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। रूपक लेखन एक चुनौती भरा लेखन है। इसका कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। इस विधा में प्रयोग करने की अनन्त संभावनाएँ हैं। कहते भी हैं कि चुनौती में ही उपलब्धियों का सुख छिपा रहता है।

सच तो यह है कि हर व्यक्ति के भीतर प्रतिभा की नदी बहती रहती है। उसमें लहरें उठती हैं। बस जरूरत है उन्हें सही दिशा में क्रियाशील करने की। यह चुनौती नहीं आनंद से साक्षात्कार हैं। हमारी शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों।

15.20 प्रश्न

1. रेडियो रूपक की विशेषताएँ बताते हुए इसकी तैयारी के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की चर्चा कीजिए।
2. रेडियो रूपक में विभिन्न विधाओं का समावेश क्यों और किस प्रकार किया जाता है? सोदाहरण उल्लेख कीजिए।

इकाई 16 रेडियो धारावाहिक

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 परिचय
16.3 प्रयोजन
16.4 श्रोतावर्ग की पहचान
16.5 आयाम और सावधानियाँ
16.6 लेखक, रूपांतरकार, अनुवादक और उद्घोषणाएँ
16.7 प्रस्तुतकर्ता
16.8 कलाकारों का चयन
16.9 संगीत और ध्वनि प्रभाव
16.10 प्रसारण की अवधि
16.11 लोकप्रियता का आकलन
16.12 कुछ उदाहरण
16.13 सारांश
16.14 प्रश्न

16.0 उद्देश्य

रेडियो प्रसारण में आए दिन नवीन प्रयोग होते रहते हैं। ये प्रयोग श्रोताओं तक अपनी बात को नए ढंग से पहुँचाने के लिए होते हैं। रेडियो प्रसारण में धारावाहिक रूप से कोई कहानी, उपन्यास, नाटक, रूपक, काव्य, महाकाव्य, जीवनी अथवा पाठ्यसामग्री आदि श्रोताओं तक पहुँचाई जाती है। इस विधा में मूल का तारतम्य नहीं टूटता है। पुराने और नए श्रोता दोनों ही लाभान्वित होते हैं।

इस इकाई का उद्देश्य रेडियो प्रसारण की इस प्रभावशाली विधा के विभिन्न आयामों से परिचय कराना है जिससे आप अभ्यास के द्वारा धारावाहिक का आलेख लेखन कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

पिछले कुछ दशकों से धारावाहिक ने रेडियो प्रसारण को लोकप्रिय बनाया है। समय सीमा के कारण किसी भी एक कार्यक्रम की अवधि बहुत लम्बी नहीं हो सकती है। लम्बी अवधि के कार्यक्रम श्रोताओं के लिए भी उपयोगी नहीं हो पाते और व्यस्तताओं के कारण लम्बी अवधि के कार्यक्रम रुचिपूर्वक सुने भी नहीं जाते। अनेक कथानक ऐसे हैं जिन्हें कम अवधि में प्रस्तुत करने से उनका प्रभाव नहीं पड़ता और अधूरापन सा लगता है। इसलिए प्रसारणकर्ताओं ने धारावाहिक रूप में कार्यक्रम प्रसारित करने की योजनाएँ बनाईं। इनका प्रसारण निर्धारित तिथि, समय और अवधि के लिए होता है। इससे प्रसारणकर्ताओं और श्रोताओं दोनों को ही आसानी होती है।

श्रोता अनुसंधान के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि धारावाहिक प्रसारणें को श्रोताओं ने पसंद किया है।

धारावाहिक प्रसारण के अनेक आयाम हैं। उनमें से महत्वपूर्ण आयामों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत है।

16.2 परिचय

आप रेडियो कार्यक्रम सुनते रहते हैं। याद कीजिए कि क्या कभी आपने कोई धारावाहिक कार्यक्रम सुना है?
क्या आपने महात्मा गांधी की जीवनी सुनी है?
क्या आपने पंडित जवारहलाल नेहरू की लिखी पुस्तक *डिस्कवरी ऑफ इंडिया* का हिंदी अनुवाद *भारत की खोज* धारावाहिक रूप में सुनी है?
क्या आपने विविध भारती प्रसारण सेवा में धारावाहिक रूप में कोई लम्बा नाटक सुना है?
क्या आपने *रामचरित मानस* प्रतिदिन धारावाहिक रूप में सुना है?

अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको धारावाहिक प्रसारण की आरंभिक जानकारी अवश्य है। और यदि आपका उत्तर श्न श् है तो समय निकाल कर रेडियो पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक कार्यक्रमों को अवश्य सुनें। इन कार्यक्रमों को सुनने से आपके सामने अनेक बातें स्वतः ही स्पष्ट होने लगेंगी और आपको धारावाहिक कार्यक्रमों के आलेख लिखने की प्रेरणा भी मिलने लगेगी।

आपने टेलीविजन पर धारावाहिक रूप में प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम देखे होंगे? उन्हें याद करें।

आपने समाचार पत्रों में अनेक किस्तों में छपने वाले लेख, कहानियाँ और उपन्यास के अंश पढ़े होंगे? उन्हें एक बार फिर से देखें।

अब आपके सामने धारावाहिक कार्यक्रमों की एक तस्वीर उभरी होगी। आपको अपनी पसंद की तस्वीर में अपनी पसंद के रंग भरना है।

16.3 प्रयोजन

हर प्रसारण का कोई न कोई विशेष प्रयोजन है। श्रोताओं को नई-नई जानकारी देना तो प्रमुख प्रयोजन होता ही है। कुछ प्रयोजन एकदम स्पष्ट होते हैं जबकि अनेक प्रयोजन अदृश्य होते हैं। अदृश्य प्रयोजनों का श्रोताओं के मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए *रामचरित मानस* के धारावाहिक प्रसारण की बात करें। जब पहली बार आकाशवाणी भोपाल से प्रतिदिन सवेरे की सभा में *रामचरित मानस* का प्रसारण आरंभ हुआ तो लोग तन्मय होकर उसे सुनते थे। अनेक परिवारों में *रामचरित मानस* की पुस्तक खोल कर रख ली जाती थी। अनेक श्रोता स्नान करने के बाद इस कार्यक्रम को सुनते थे। अनेक श्रोता हाथ जोड़ते थे, नमस्कार करते थे। साथ-साथ गाते भी थे। गायक कलाकारों का सभी ओर सम्मान हुआ था। हजारों की संख्या में श्रोताओं के पत्र आए थे। प्रसारण के पूर्व प्रसारित होने वाले प्रसंग के बारे में बताया जाता था और आज के प्रसंग की जानकारी दी जाती थी। कथा का क्रम टूटता नहीं था।

यह प्रसारण जनमानस की रुचि का था। इसके साथ भावनाएँ जुड़ी हुई थीं। रेडियो प्रसारण ने अदृश्य रूप से नैतिक आचरण, पारिवारिक दायित्व, भाइयों के प्रति प्रेम, कर्तव्य-बोध, बुरे काम के बुरे नतीजे, क्रोध, घमंड आदि राक्षसी प्रवृत्तियों और बुराइयों से उपजने वाले दुःख आदि का संदेश पहुँचाया।

इसी प्रकार हर धारावाहिक के प्रसारण के पूर्व यह जान लेना आवश्यक होता है कि इससे हमारा कौन सा प्रयोजन पूरा होगा। हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रसारण के पीछे। स्वस्थ मनोरंजन भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हर अच्छे उपयोगी प्रसारण में कोई न कोई संदेश निहित होता ही है। उसे कुशल कारीगर के समान सुरुचिपूर्ण ढंग से रेखांकित करने की कला सीखना ही धारावाहिक कार्यक्रम आलेख लेखन की कुंजी है। हमें अपना लक्ष्य और प्रयोजन नहीं भूलना है।

16.4 श्रोतावर्ग की पहचान

हर प्रसारण के लिए श्रोतावर्ग की पहचान अत्यंत आवश्यक है। रेडियो प्रसारण के लिए जब किसी लेखक को अनुबंध पत्र भेजा जाता है तब उसमें विषय, अवधि, प्रसारण तिथि और समय तथा कार्यक्रम किन श्रोताओं के लिए तैयार किया जाना है, इसका उल्लेख अवश्य रहता है। जब तक लेखक को अपने श्रोताओं की जानकारी नहीं होगी तब तक वह कलम नहीं उठा सकता। जैसे बच्चों को लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, कामगारों के लिए या फिर सामान्य श्रोताओं के लिए। इसी तरह लेखक को अपने प्रसारण क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी होना भी जरूरी है। प्रसारण क्षेत्र यदि ग्रामीण है तो वहाँ बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान भी जरूरी होता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी लेखक को लेखन में सहायता पहुँचाती है। कई बार तो कार्यक्रम के प्रसारण के समय की जानकारी भी लेखक के लिए अति उपयोगी सिद्ध होती है। मान लीजिए कोई कार्यक्रम रात की सभा में साढ़े दस बजे के बाद प्रसारित होना है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोताओं का समूह कौन सा होगा। आकाशवाणी की नेशनल चैनल प्रसारण सेवा पूरी रात कार्यक्रम प्रसारित करती है। देर रात की सभा में ट्रक-ड्राइवरों और होटल-ढाबा वालों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। निःसंदेह ऐसे कार्यक्रम हल्के फुल्के मनोरंजनयुक्त होंगे। ऐसे श्रोताओं के लिए उपयोगी सूचनाएँ और समाचार होंगे। हास्य नाटिकाएँ और चुटकुले होंगे।

ऐसे श्रोतावर्ग के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों का प्रसारण बहुत उपयोगी हो सकता है।

16.5 आयाम और सावधानियाँ

धारावाहिक प्रसारण में असीम संभावनाएँ हैं। सभी प्रकार के श्रोतावर्ग के लिए धारावाहिक रूप में प्रसारण रुचिकर हो सकता है। बच्चों को धारावाहिक रूप में कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। युवाओं को प्रसिद्ध खिलाड़ियों का जीवन परिचय दिया जा सकता है। किसान भाइयों को सफल किसानों के अनुभव बताए जा सकते हैं। क्लासिकल नाटकों को बिना संक्षिप्त किए सम्पूर्ण धारावाहिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। महापुरूषों की जीवनी पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण हो सकता है। किसी भी लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित धारावाहिक रेडियो प्रसारण हो सकता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का धारावाहिक नाट्य रूपांतर प्रस्तुत हो सकता है। कोई भी लेख, भाषण, अनुसंधान परक जानकारी, नवीनतम खोज - कुछ भी धारावाहिक रूप में प्रसारित हो सकता है।

धारावाहिक प्रसारण के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। जैसे, जरूरी नहीं है कि हर श्रोता ने आपके धारावाहिक को क्रम से सुना हो। इसलिए धारावाहिक के आरंभ में पूर्व की

घटनाओं की जानकारी देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अंत में यह बताना जरूरी होता है कि इस धारावाहिक का अगला भाग कब प्रसारित होगा।

श्रोताओं में धारावाहिक के प्रति जिज्ञासा बनी रहे इसके लिए धारावाहिक की प्रत्येक कड़ी का अंत ऐसे बिंदु पर होना चाहिए जिससे आगे क्या हुआ होगा यह जानने की अभिलाषा मन में बनी रहे।

धारावाहिक बहुआयामी विधा है।
धारावाहिक कार्यक्रमों के लेखकों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। जो लेखक श्रोताओं का मनोविज्ञान जानते हैं वे कौतुक और जिज्ञासा का पुट अपनी कहानी में अवश्य शामिल करते हैं। सीधी सपाट, रसहीन कहानी कभी धारावाहिक प्रसारण के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती। आज के समय में जबकि शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं और टेलीविज़न माध्यम की चुनौती सामने है तब रेडियो लेखक को अनेक चुनौतियों के लिए तैयार रहना होता है। इसलिए शब्दों का चयन, भाषा और कथानक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। लेखक को उस समय दुकानदार की भूमिका निभानी होती है। उसे ग्राहक की इच्छा के अनुरूप और मांग पर मनचाही वस्तु देना है न कि अपनी पसंद थोपना है। इसलिए आज के लेखक में एक अच्छे सेल्समैन के सभी गुण होने चाहिए।

धारावाहिक कार्यक्रम के लेखन की योजना बनाते समय अनेक सावधानियाँ रखनी होती हैं। यदि आप स्वयं ही मूल रूप से धारावाहिक की कथा और आलेख लिख रहे हैं तब श्रोता को ध्यान में रखना है और जब आप किसी प्रकाशित पुस्तक को आधार बनाकर धारावाहिक कार्यक्रम लिख रहे हैं तब श्रोता के साथ ही कॉपी राइट की स्थिति की सही सही कानूनी जानकारी आपको लेनी है। कहीं ऐसा न हो कि आपको अनुमति न मिले और अनुमति देने वाले इतनी अधिक धनराशि की मांग करें जो आपके बजट से बाहर हो।

कथा और पात्रों का चयन सावधानीपूर्वक करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कथा से मिलती जुलती कथा किसी और ने पहले से ही प्रसारित करा ली हो। पात्रों के नाम प्रतिष्ठित परिचित चरित्रों के नाम न हों, उनके बोलने के ढंग में किसी स्थापित व्यक्ति के बोलने के ढंग की नकल न हो। ऐसी घटनाएँ न हों जिससे किसी जाति या समाज या धर्म पर आक्षेप आता हो। आपने देखा होगा कि प्रायः कार्यक्रमों के आरंभ में यह उद्घोषणा कर दी जाती है कि प्रस्तुत कार्यक्रम किसी जीवित या मृत व्यक्ति के जीवन पर आधारित नहीं है और न ही कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना है।

16.6 लेखक, रूपांतरकार, अनुवादक और उद्घोषणाएँ

धारावाहिक कार्यक्रमों का लेखन सामान्य लेखक नहीं कर सकता। यह एक अलग विधा है। इसका अभ्यास और इसकी जानकारी रखने वाले लेखक ही किसी धारावाहिक प्रसारण की अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके लेखन के लिए विशेष प्रयासों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज के समय में प्रचलित धारावाहिक प्रसारणों में नाटकीय प्रस्तुति सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसलिए लेखक को नाट्य विधा से भलीभाँति परिचित होना आवश्यक है। नाट्य विधा से परिचय के अतिरिक्त रेडियो प्रसारणों की आवश्यकताओं का भी पर्याप्त ज्ञान चाहिए। क्योंकि हर साहित्यिक कृति

अथवा हर लेखन या हर रचना अपने मूलरूप में रेडियो के श्रोताओं के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। इसीलिए बराबर इस बात पर जोर दिया जाता है कि रेडियो के लेखन में सिद्धहस्त व्यक्तियों से ही धारावाहिक प्रसारण का आलेख तैयार कराया जाए।

यह भी हो सकता है किसी लेखक को कोई रचना पसंद है और उसे आधार बनाकर धारावाहिक प्रसारण करने की योजना है। तब यह आवश्यक होता है कि उस मूल रचना को रेडियो प्रसारण के लिए रूपांतरित कराय जाए। रूपांतरकार निश्चित रूप से रेडियो कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। रूपांतरकार पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक, मूल रचना की भावना को बचाए रखते हुए रेडियो श्रोताओं के लिए उपयोगी आलेख लिखना और दो, निश्चित अवधि को ध्यान में रखते हुए चरित्रों का चित्रण करना।

रेडियो प्रसारण के श्रोता अदृश्य होते हैं। सभी वर्ग समुदाय और आयु वर्ग के अतिरिक्त शहरी अथवा ग्रामीण होते हैं। सभी की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। सभी का ज्ञान भी समान नहीं होता है। इसलिए भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए।

यदि आलेख वैज्ञानिक विषय का है अथवा ऐसा है जिसमें विदेशी शब्दों का समावेश है तब रूपांतरकार को चाहिए कि वह मूल शब्द के साथ सरल अर्थ भी लिखे जिससे श्रोता समझ सकें। बोझिल शब्दावली प्रसारण के योग्य नहीं होती। इसी तरह जब किसी रचना को धारावाहिक रूप में फिर से लिखा जा रहा हो तब भाषा को सरल से सरल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि लिखे हुए शब्दों के अर्थ जानने के लिए तो आप डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन प्रसारण में तो आप उसे केवल एक ही बार सुनते हैं।

आलेख में काम में लायी गई संदर्भ सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप गंगा पर कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं तब गंगा का उद्‌गम कहाँ है, किन-किन प्रदेशें में से होकर गंगा बहती है, कौन-कौन से प्रमुख स्थान गंगा किनारे हैं, कहाँ-कहाँ जाकर मिलती है और गंगा की कितनी लम्बाई है। गंगा की महिमा, पौराणिक संदर्भ तथा अन्य जानकारियाँ सही हों।

कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके लिए शोध अनुसंधान की आवश्यकता हो। मूल रचना को सरल करने और आधुनिक संदर्भ जोड़ने के लिए विषय के विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक हो सकती है।

यह भी हो सकता है कि जिस रचना के आधार पर धारावाहिक का निर्माण किया जा रहा है उसकी भाषा प्रसारण की भाषा न हो। ऐसे समय में मूल रचना के अनुसार अनुवाद की आवश्यकता होगी। अनुवादक का चुनाव मूल रचना के देश-प्रदेश, सामाजिक स्थितियों तथा परिवेश की जानकारी के आधार पर करना होता है। अनुवादक का अर्थ केवल शब्दानुवाद ही नहीं भावानुवाद भी है। अनुवाद के समय और रूपांतर के समय भी मूल रचना के पात्रों के नाम, स्थानों के नाम आदि बदले जा सकते हैं जिससे स्थानीय श्रोता उस रचना का पूरा आनंद ले सकें और नामों तथा स्थानों से अपरिचय के कारण दुविधा न हो।

जब धारावाहिक की योजना तैयार की जा रही होती है तब यह बात आरंभ में ही तय हो जाती है कि इसका प्रसारण किस विधा में होगा। नाटकीय प्रस्तुति, भेंटवार्ताओं पर

आधारित, संगीतमय अथवा अन्य किसी विधा में। विधा का चयन हो जाने के बाद धारावाहिक प्रसारण की अवधि और एपीसोड्स (कड़ियों) की संख्या का निर्धारण करना होता है।

एपीसोड्स की संख्या और अवधि के निर्धारण के बाद प्रत्येक एपीसोड की रूपरेखा तैयार करनी होती है। उसके आरंभ, मध्य और अंत की स्थितियों का निर्धारण करना होता है। नाटकीय प्रस्तुति है तो चरित्रों का ग्राफ तय करना होता है कि प्रत्येक एपीसोड में किस चरित्र का विकास किस रूप में और किस सीमा तक होगा। इन सब तथ्यों की विस्तृत सूची तैयार करनी होती है। कई बार एक ही धारावाहिक के कई लेखक हो सकते हैं और एक कड़ी को भी एक से अधिक लेखक मिलकर लिख रहे होते हैं। ऐसे समय में पूर्व में तैयार की गई रूपरेखा और चरित्रों का विकास बहुत सहायक होता है।

रेडियो प्रसारण में केवल आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ की अदायगी पर ही रेडियो प्रसारण की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। इसलिए धारावाहिक का आलेख रेडियो की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए।

पात्रों के नाम मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। बल्कि नामों में भिन्नता हो जिससे आवाज की मार्फत श्रोता उनसे निकटता अनुभव कर सकें और उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें पहचान सकें।

पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। टेलीविज़न के कार्यक्रमों में चेहरों को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर पात्रों से पहचान कठिन नहीं होती लेकिन रेडियो में अधिक पात्र होने से उनके साथ पूरी तरह न्याय कर पाना सरल नहीं होता।

लेखक और रूपांतरकार को अपने आलेख में ऐसे प्रसंग और घटनाओं का समावेश करना चाहिए जिससे प्रस्तुति के समय संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करने में सहायता मिले। कार्यक्रम को रोचक और श्रवणयोग्य बनाने में ध्वनि प्रभावों और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

धारावाहिक के नाम पर प्रायः टेलीविज़न से प्रसारित होने वाले सीरियल का ध्यान आता है। लेकिन दोनों विधाएँ अलग-अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी सीमाएँ हैं। दोनों ही अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। टेलीविज़न पर आमतौर पर नाटक या लम्बी कहानी को आधार बनाकर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। जबकि रेडियो प्रसारण में धारावाहिक रूप से अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जैसे रूपक। आज़ादी की कहानी, आज़ादी के पचास वर्षों की उपलब्धियाँ, भारत की नदियाँ, भारत के मंदिर या पूजा स्थल, भारत की संत परंपरा आदि। उपन्यासों और जीवनियों का धारावाहिक प्रसारण किया जाता है। विभिन्न भाषाओं के पाठ प्रसारित किए जाते हैं। शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन और लोक संगीत, लोक वाद्यों की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम कड़ियों में प्रसारित होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में संगीत के स्थापित कलाकार से कोई जानकार व्यक्ति प्रश्न पूछता है, जानकारी प्राप्त करता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है और विशेषज्ञ उसका उत्तर देते हैं। साथ ही रिकार्डिंग्स भी सुनवाते हैं जिससे श्रोता को पूरी जानकारी मिल जाती है।

जब किसी रचना की नाटकीय प्रस्तुति धारावाहिक रूप में प्रसारित नहीं की जा रही होती है लेकिन धारावाहिक रूप में अन्य कार्यक्रम प्रसारित होना होता है तब लेखक को

अथवा भेंटकर्ता को काफी तैयारी करनी होती है। विशेषज्ञ महोदय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करना होता है। विषय के बारे में अध्ययन करना होता है। विशेषज्ञ महोदय की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है।

उद्घोषणाएँ

धारावाहिक प्रसारण के लिए जब किसी उपन्यास, मंचीय नाटक, कहानी, कविता, पौराणिक आख्यान, लोक कथाएँ, ऐतिहासिक घटनाएँ अथवा चरित्र, जीवनियाँ, संस्मरण अथवा अन्य रचना को चुना जाता है तब उसे रेडियो से प्रसारण के लिए रूपांतरित किया जाता है। यह रूपांतरण ही प्रसारित होता है। क्योंकि इसका प्रसारण कई कड़ियों में होता है और जरूरी नहीं कि सभी श्रोताओं ने आरंभ से ही इसे सुना हो। इसलिए धारावाहिक प्रसारण के लिए लिखी जाने वाली उद्घोषणाओं का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एपीसोड के आरंभ में पूर्व की घटनाओं की जानकारी संक्षेप में दी जाती है कि अभी तक आप इतना सुन चुके हैं। प्रत्येक एपीसोड के अंत में अगले प्रसारण के बारे में बताया जाता है। प्रसारण का दिन, तिथि, समय और मीटर बैंड।

उद्घोषणा में धारावाहिक का विषय, एपीसोड का शीर्षक, लेखक-प्रस्तुतकर्ता-रूपांतरकार का परिचय, कलाकारों के नाम, सहयोगियों के नाम आदि की जानकारी भी दी जाती है। यदि धारावाहिक का निर्माण किसी के सहयोग से किया गया है तो वह जानकारी और आभार प्रदर्शन भी इसमें शामिल होता है।

उद्घोषणा एक तरह से लेखक और प्रस्तुतकर्ता का वक्तव्य होता है। उद्घोषणा का लेखन लेखक अथवा प्रस्तुतकर्ता के द्वारा किया जाता है। उद्घोषणा की शैली, भाषा और शब्द चयन इस तरह से किया जाता है कि श्रोता पूरा कार्यक्रम सुनने के लिए अपना मन बनाए।

धारावाहिक प्रसारण एक चुनौती भरा काम है। जो चुनौती स्वीकार करते हैं उन्हें प्रसारण की इस अद्भुत विधा में सफलता का सुख मिलता है। एक सूक्ति याद आती है - समुद्र या नदी के किनारे बैठकर दूसरों को तैरता देखकर खुद तैरना नहीं सीख सकते। इसी तरह केवल प्रशिक्षक के निर्देश सुनकर या उन्हें रटकर और दुहराकर भी तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैरना सीखने के लिए समुद्र अथवा नदी में कूदना जरूरी है। निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। निरंतर अभ्यास ही वह कुंजी है जिससे सफलता का ताला खुलता है।

16.7 प्रस्तुतकर्ता

प्रस्तुतकर्ता टीम का कप्तान होता है। प्रस्तुतकर्ता ही वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले किसी प्रसारण के बारे में विचार करता है और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। विषय का चुनाव, रचना का चुनाव, विधा का चुनाव, प्रसारण का समय, अवधि, लेखक, कलाकार, रूपांतरकार तथा अन्य सहयोगियों का चयन करके टीम तैयार करता है। प्रस्तुतकर्ता को कई नामों से जाना जा सकता है। जहाज का कप्तान, हॉकी या क्रिकेट टीम का कप्तान, निर्देशक, प्रोड्यूसर या प्रस्तुतकर्ता। जो भी नाम दे लें उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह एक समन्वयकर्ता या आधुनिक भाषा में कहें मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है। प्रोफेशनल भाषा में कहें तो प्रस्तुतकर्ता की कल्पनाशीलता, श्रोताओं के मन को समझने की कला, रेडियो प्रसारण विधा का ज्ञान और अनुभव, धारावाहिक

को प्रभावशाली, उपयोगी और लोकप्रिय बनाने के लिए अपनायी जाने वाली नीति ही वह पैमाना है जिस पर एक छोर पर सफलता और दूसरे पर असफलता अंकित है।

प्रस्तुतकर्ता एक विशेषज्ञ डॉक्टर के समान होता है। डॉक्टर डाइग्नोसिस के आधार पर औषधि देता है उसी तरह प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सामग्री जुटाता है।

प्रस्तुतकर्ता लेखक-रूपांतरकार-अनुवादक के साथ मिलकर विस्तार से चर्चा करके पूरे धारावाहिक की रूपरेखा तैयार करता है। पात्रों का विभाजन, चरित्र चित्रण, प्रसंगों और घटनाओं का चयन, अनावश्यक अंशों को आलेख से अलग हटाना और प्रसारण योग्य आलेख तैयार करवाता है। एक समझदार प्रस्तुतकर्ता आलेख की कमियों को अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव के आधार पर ठीक करता है। रसहीन विषय को रसमय बनाता है। श्रोताओं के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन, संशोधन करता है और प्रत्येक एपीसोड का काल विभाजन करके संपादन करता है।

प्रस्तुतकर्ता उपयुक्त स्वर वाले कलाकारों का चयन करता है और रिहर्सल करता है। कलाकारों को निर्देश देता है कि उन्हें किन-किन स्थानों पर किस तरह के भाव अभिव्यक्त करना है।

प्रस्तुतकर्ता विषय के अनुरूप संगीत तथा ध्वनि प्रभावों का चयन करता है। आवश्यकता के अनुसार संगीत-गीत तथा ध्वनि प्रभावों की रिकार्डिंग करवाता है। प्रस्तुतकर्ता सभी सहयोगियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

जिस तरह एक सी सामग्री होते हुए भी हर हलवाई और गृहिणी द्वारा बनाई वस्तुओं का स्वाद अलग होता है, उसी तरह हर प्रस्तुतकर्ता की अपनी दृष्टि होती है और हर प्रस्तुतकर्ता का प्रोडक्शन अपना अलग ही रंग रखता है। सभी ने अनेक ख्यातिप्राप्त फिल्में देखी हैं। एक ही विषय को अलग-अलग निर्देशकों ने प्रस्तुत किया है। सभी की प्रस्तुतियाँ अलग हैं। किसी प्रोडक्शन को जनता ने सर आँखों पर बिठाया है तो किसी को नापसंद किया है। उसी तरह धारावाहिक प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर की सूझबूझ का मापदंड माना जाता है।

प्रोड्यूसर एक हरफनमौला व्यक्तित्व होता है जिस प्रसारण के हर क्षेत्र का ज्ञान अवश्य होता है। एक सफल प्रस्तुतकर्ता अपने आपको हमेशा एक विद्यार्थी मानता है और हर समय सीखने के लिए तैयार रहता है। नए-नए प्रयोग करने में रुचि रखता है।

प्रोड्यूसर की सफलता के पीछे उसके अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध होते हैं। एक कुशल मनोविज्ञानी की तरह उसका व्यवहार होता है। वह अपने सहयोगियों के सुझावों पर गंभीरतपूर्वक ध्यान देता है। उनके अच्छे काम की प्रशंसा करता है और टीम के कप्तान की तरह उन्हें प्रोत्साहित करता है।

16.8 कलाकारों का चयन

किसी भी प्रस्तुति के लिए अच्छे स्वरों की भागीदारी न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। धारावाहिक में भाग लेने वाले स्वर कलाकारों का चयन बहुत सूझबूझ के साथ करना होता है। कलाकार की आवाज और पात्र की भूमिका निभाने में उसकी दक्षता तो होनी ही चाहिए साथ ही उसका व्यवहार भी सहयोगी होना चाहिए। स्वर के अच्छा और प्रभावशाली होने के साथ ही भाषा का ज्ञान और उच्चारण विशेष महत्व

रखते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के विद्वान का चरित्र निभाने वाले कलाकार का यदि उच्चारण शुद्ध नहीं है और संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आवाज़ कितनी ही अच्छी क्यों न हो वह इस चरित्र के योग्य नहीं हो सकता। इसी तरह सेनापति की भूमिका निभाने वाले कलाकार की आवाज यदि पतली है तो वह न्यायसंगत नहीं होगी। सेनापति की भूमिका के लिए रोबदार आवाज अधिक उपयुक्त होती है। अध्यापक की भूमिका निभाने वाले कलाकार को यदि अपने संवाद बोलने में कठिनाई होती है, शब्द स्पष्ट उच्चरित नहीं होते हैं और गलत उच्चारण है तो कलाकार को बदलना होगा।

आवाज़ स्पष्ट, उच्चारण शुद्ध हों लेकिन स्वर में नाटकीयता का पक्ष कमजोर हो, संवाद के अनुकूल उतार चढ़ाव नहीं आते हों तो ऐसे कलाकार भी नाटकीय प्रस्तुति के हर रोल के लिए नहीं चुने जाने चाहिए। इसी तरह कोमल आवाजें कभी झगड़ालू पात्र की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं होतीं और कर्कश स्वर वाली महिला कलाकार प्रेमरस वाले संवाद आनंद के साथ नहीं बोल सकतीं।

कलाकारों का चयन करते समय यह बात भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि कलाकारों की आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती न हों, उनमें भिन्नता होनी चाहिए। क्योंकि श्रोता आवाजों से ही परिचय पाता है और एक ही तरह की आवाजें भ्रम पैदा कर सकती हैं।

कलाकारों का चयन किस तरह किया जाए? कलाकारों के चयन के अनेक तरीके हैं। एक तरीका है - स्वर परीक्षण। स्वर परीक्षण के लिए अनेक प्रकार के शेड्स वाले संवादों का आलेख तैयार किया जाता है अथवा धारावाहिक के कुछ आलेखों के चुने हुए अंशों को आमंत्रित कलाकारों से पढ़वाया जा सकता है।

कलाकारों के स्वर परीक्षण के समय प्रस्तुतकर्ता के साथ लेखक की उपस्थिति सहयोगी होती है। स्वर परीक्षण के समय पात्रों की आवश्यकता के अनुरूप कलाकारों का चयन किया जा सकता है।

स्वर परीक्षण के लिए संवादों की अदायगी माइक्रोफोन पर होने से कलाकार के भीतर छिपी क्षमताओं का ज्ञान सहजता से हो जाता है। बिना माइक्रोफोन के, जहाँ तक हो सके, स्वर परीक्षण न करें। ऐसे कलाकारों का भी चयन न करें जो स्वभाव से सहयोगी न हों।

ऐसे कलाकारों को प्राथमिकता दें जो समय का पालन करते हैं और रिहर्सल के लिए उपलब्ध रहते हैं। रिहर्सल के बिना प्रस्तुतकर्ता और कलाकार के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी रहेगी। रिहर्सल से जहाँ आलेख में सुधार होता है वहीं अनेक अटकने वाले शब्दों के पर्याय का चुनाव भी हो जाता है। सभी कलाकारों के बीच समरसता आ जाती है। रिहर्सल के पूर्व सभी कलाकारों को आलेख पढ़कर आना चाहिए। रिहर्सल के पहले दिन प्रस्तुतकर्ता धारावाहिक का उद्देश्य और पात्रों की भूमिका स्पष्ट करता है और फिर आलेख का पहला पाठन होता है। पाठन के समय टाइपिंग की गलतियों का सुधार और प्रस्तुतकर्ता के निर्देश प्राप्त हो जाते हैं।

हर कार्यक्रम एक टीम के प्रदर्शन के समान होता है इसलिए सभी सदस्यों के बीच तालमेल आवश्यक होता है। पात्रों की भूमिका के अनुरूप कलाकारों के चयन और पर्याप्त रिहर्सल से अच्छे कार्यक्रमों की नींव रख दी जाती है।

16.9 संगीत और ध्वनि प्रभाव

धारावाहिक के विषय के अनुरूप पूरे कार्यक्रम के लिए एक ऐसा आरंभिक संगीत तैयार कराना चाहिए जिसे सुनते ही श्रोता कार्यक्रम को पहचान जाएँ। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले महिला जगत, बालसभा या युववाणी कार्यक्रमों के आरंभ में प्रसारित होने वाली संगीत रचना आपने सुनी होगी। विविध भारती से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को भी आपने सुना होगा। हवामहल कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून भी आपने सुनी होगी। आप भले ही रेडियो सेट से दूर हों आपके कानों में सिग्नेचर ट्यून की आवाज आते ही आप पहचान जाते हैं कि अब कौन-सा कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। धारावाहिक कार्यक्रम के आरंभ होने की सूचना देने वाले संगीत का प्रयोग जहाँ एक ओर कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में सहायक होता है, पहचान स्थापित करता है वहीं इसका उपयोग प्रचार के लिए भी किया जा सकता है।

आरंभिक संगीत के साथ ही दृश्य परिवर्तनों के लिए भी संगीत की आवश्यकता होती है। धारावाहिक का संगीत तैयार करते समय संगीतकार के पास आलेख होने से बहुत सहायता मिलती है और आवश्यकता के अनुरूप संगीत के टुकड़े तैयार हो सकते हैं।

कड़ी के अंत के लिए भी संगीत की आवश्यकता होती है। आरंभिक संगीत के लिए जिस अंश का चयन किया गया है। उसका उपयोग अंत में भी किया जा सकता है अथवा प्रत्येक कड़ी के लिए अलग से भी अंत का संगीत तैयार कराया जा सकता है।

विषय के अनुरूप संगीत की आवश्यकता की पूर्ति दो तरह से हो सकती है। एक - संगीतकार से धारावाहिक की आवश्यकता के अनुरूप संगीत तैयार कराया जाए और दो - बाजार में उपलब्ध संगीत के टेप्स में से उपयुक्त अंशों का चयन किया जाए। बाजार में उपलब्ध कैसेट्स अथवा ग्रामोफोन रिकार्ड्स अथवा सी डी में से एक निश्चित अवधि तक का संगीत लिया जा सकता है अन्यथा कापीराइट के तहत रायल्टी देय होती है।

संगीत के साथ ही अनेक प्रकार की ध्वनि प्रभावों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि प्रभाव दृश्य की माँग के अनुरूप, कथोपकथन के अनुरूप और संवादों को प्रभावशाली बनाने के साथ ही ध्वनि चित्र उपस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ध्वनि प्रभावों से श्रोता की कल्पना को साकार होने में सहायता मिलती है और वह अधिक आनंद के साथ धारावाहिक अथवा अन्य कार्यक्रम में रुचि ले सकता है। उदाहरण के लिए युद्ध के प्रसंग के समय युद्ध के दृश्य को स्थापित करने वाली ध्वनियाँ श्रोताओं के लिए रुचिकर लगती हैं। इसी तरह जब भक्ति का प्रसंग हो, मंदिर का प्रसंग हो या अध्यात्म का प्रसंग हो तब ऐसे समय भक्ति से ओतप्रोत ध्वनि प्रभाव काम में लाए जाते हैं। जब हम किसी विशेष स्थान की बात कर रहे होते हैं तब उस स्थान का ध्वनि प्रभाव देना चाहिए। फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए मशीनों का ध्वनि प्रभाव, समुद्र को स्थापित करने के लिए समुद्र का ध्वनि प्रभाव, बरसात को स्थापित करने के लिए बरसते हुए पानी, बहते हुए पानी, हवा और बिजली की कड़क का ध्वनि प्रभाव, सड़क यातायात को स्थापित करने के लिए वाहनों का हॉर्न, भीड़ की आवाज आदि ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी प्रदेश की बात कर रहे होते हैं तब उस प्रदेश की पहचान वाला गीत, लोकगीत, संगीत और आवाजें प्रयोग में लायी जा सकती हैं। पंजाब के लिए भांगड़ा, तमिलनाडु के लिए भरत नाट्यम या असम को स्थापित करने के लिए बिहू।

रेडियो कार्यक्रम में ध्वनि प्रभावों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समय, काल और परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान समय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म का दृश्य स्थापित करना है तब हम पुराने दिनों में रिकार्ड किया गया ध्वनि प्रभाव काम में नहीं ला सकते हैं। पुराने समय में ट्रेन के आने जाने के लिए लोहे की पटरी बजाई जाती थी, अब उद्घोषणा होती है। इसी तरह पहले कोयले का इंजन काम में लाया जाता था, अब बिजली का इंजन काम में लाया जाता है।

इसी तरह बाजार में मिलने वाले रिकार्ड्स, सी डी अथवा कैसेट्स में विदेशी नेशनल पार्क्स के जानवरों की आवाजें मिलती हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपने टाइगर की तो बात की और अफ्रीका के लाइन की आवाज इस्तेमाल की।

संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग जहाँ तक हो सके वास्तविक रिकार्डिंग्स वाला होना चाहिए और इनकी रिकार्डिंग विशेष रूप से धारावाहिक के लिए की गई हो। तब गलतियाँ होने की कम संभावनाएँ रहती हैं। संगीत और ध्वनि प्रभाव मात्र अलंकरण नहीं हैं वे हमारी कथा के आवश्यक अंग हैं और कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं।

बहुत अधिक संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग अनावश्यक भी हो सकता है। इसलिए अनुभवी प्रस्तुतकर्ता सलाह देते हैं कि संगीत और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग न्योयोचित रूप से किया जाना चाहिए। बहुत कम अवधि के अंश भी प्रभावशाली नहीं माने गए हैं। आलेख की मांग के अनुसार इनका प्रयोग प्रभावशाली होता है।

लेखक को अपने आलेख में संगीत और ध्वनि प्रभावों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। क्योंकि जब लेखक आलेख तैयार कर रहे होते हैं तब उनके मन में जिस तरह के संगीत और ध्वनि प्रभावों की कल्पना होती है, हो सकता है प्रस्तुतकर्ता उस कल्पना को न कर सके। लेखक को स्वयं भी संगीत और ध्वनि प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। प्रतीकात्मक ध्वनि प्रभावों से बचना चाहिए। परिचित ध्वनियों को श्रोता पंसद करते हैं।

16.10 प्रसारण की अवधि

जिस प्रकार श्रोता समूह की पहचान से धारावाहिक कार्यक्रम की भाषा का स्तर और विषय का चुनाव सहज हो जाता है उसी तरह श्रोता समूह के निर्धारण से धारावाहिक की अवधि तय करने में सहायता मिलती है। बच्चों के कार्यक्रम में धारावाहिक प्रसारण की अवधि के लिए 7-8 मिनट पर्याप्त माना जाता है। सामान्य वर्ग के श्रोताओं के लिए धारावाहिक की नाट्य अथवा रूपक प्रस्तुतियों के लिए 25-30 मिनट की अवधि पर्याप्त होती है। युवाओं के लिए 15-20 मिनट, भेंटवार्ताओं और उद्धरणों पर आधारित धारावाहिक प्रसारण के लिए 12-15 मिनट और भाषा पाठ कार्यक्रम के लिए 10 मिनट की अवधि उपयुक्त मानी गई है।

आजकल कम अवधि के कार्यक्रमों के प्रति श्रोताओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन अवधि इतनी कम भी न हो कि धारावाहिक का प्रभाव ही न पड़ने पाए। सामान्य रूप से रुचिकर विषयों पर आधारित मनोरंजक धारावाहिकों की अवधि 20 से 30 मिनट तक होती है।

16.11 लोकप्रियता का आकलन

कोई धारावाहिक कितना लोकप्रिय है इसकी जाँच समय-समय पर की जानी चाहिए। इस जाँच के अनेक लाभ हैं। एक, यदि श्रोता धारावाहिक को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण ज्ञात हो जाएँगे और उन्हें आगामी कड़ियों में दूर किया जा सकेगा। यदि विषय नीरस हैं, श्रोताओं को भाषा बोझिल लग रही है अथवा चरित्रों का चित्रण दोषपूर्ण है या अन्य कोई कारण है जिससे धारावाहिक की उपयोगिता प्रभावित हो रही है तो इन तथ्यों की जानकारी लेखक और प्रस्तुतकर्ता को मिलनी चाहिए। बिना आकलन के प्रसारण करने से हो सकता है हमारा श्रम सार्थक न हो पाए।

लोकप्रियता की जाँच के अनेक आधार हो सकते हैं। यदि कोई धारावाहिक किसी विज्ञापन कम्पनी अथवा एजेंसी के द्वारा प्रायोजित है तो उसकी लोकप्रियता का एक आधार यह हो सकता है कि कितनी कड़ियों तक विज्ञापन मिलते रहते हैं। यदि कार्यक्रम प्रायोजित नहीं है लेकिन विज्ञापन मिलते रहते हैं तो विज्ञापन मिलते रहने तक की अवधि लोकप्रियता का आधार मानी जा सकती है।

लोकप्रियता की जाँच का एक सहज आधार श्रोताओं के पत्र होते हैं। इन पत्रों में श्रोता अपनी पसंद नापसंद व्यक्त करते हैं। श्रोताओं से मिलने वाले पत्रों की संख्या और उनमें अभिव्यक्त विचार मार्गदर्शक होते हैं। पत्रों से श्रोताओं की रुचि का भी ज्ञान होता है। श्रोताओं से प्राप्त पत्रों के उत्तर भी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। आजकल श्रोताओं को पुरस्कार देने की भी अनेक योजनाएँ चल रही हैं। श्रोताओं को अपने कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित करने में इनसे सहायता मिलती है। श्रोताओं के सुझावों को स्वीकार करने और नाम के साथ उनके सुझावों को प्रसारित करने से भी श्रोताओं की अभिरुचि बढ़ती है।

लोकप्रियता का एक आधार यह भी होता है कि कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी किस रूप में और किस सीमा तक होती है। मात्र नाम बोल देने से अब काम नहीं चलता। यदि धारावाहिक का स्वरूप ऐसा है कि उसमें श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं की रिकार्डिंग का भी समावेश हो सकता है तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। इससे श्रोता समुदाय की संख्या बढ़ती है। श्रोताओं के साथ निकटता के लिए आवश्यक है कि प्रसारणकर्ता उनमें रुचि लें, उनके पत्रों के उत्तर कार्यक्रम में दें और हो सके तो पत्र के द्वारा भी उत्तर दें। आजकल तो टेलीफोन पर भी श्रोता अपनी पंसद बताते हैं। श्रोताओं से संपर्क करके और प्रीपेड पत्र भेजकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। समाचार पत्रों में छपने वाली समीक्षाएँ भी लोकप्रियता घटाती बढ़ाती हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन अथवा समाचार प्रकाशन नए श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने का निमंत्रण हैं। प्रसारण केंद्रों से बारबार होने वाली उद्घोषणाएँ भी श्रोताओं के लिए उपयोगी होती हैं।

जिस तरह आप चाहते हैं कि श्रोता आपके कार्यक्रम सुनें और उनमें रुचि लें उसी तरह आपको भी श्रोताओं के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों और प्रतिक्रियाओं को महत्व देना है तथा उनमें रुचि लेनी है।

सच मानिए किसी भी कार्यक्रम की लोकप्रियता का पहला निर्धारण तो तभी हो जाता है जब उसका विषय मन में आता है। विषय के बाद कहानी, कहानी के बाद लेखन और फिर रिहर्सल। यह ऐसे चरण हैं जहाँ अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ती जाती है। विषय का निर्धारण करते समय एक या दो या तीन व्यक्ति हो सकते हैं। कहानी का

लेखन करते समय अनेक लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है। पूरी कहानी लिखने के पहले रूपरेखा पर विचार हो सकता है। आलेख की रिहर्सल के समय कलाकारों की प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं। हर समय सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और आवश्यक होने पर सुधार के लिए तैयार रहने वाली मानसिकता के लेखक हमेशा ही लोकप्रियता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

16.12 कुछ उदाहरण

उदाहरण-1

104 कड़ियों का धारावाहिक

"तिनका-तिनका सुख" निर्देशन : उषा भसीन
कड़ी संख्या एक लेखिका : अलका पाठक
संपादिका : ललनी भारद्वाज

1. उद्घोषणा .....
2. प्रायोजक .....
3. शीर्षक गीत .....

अंक एक

चम्पा मैं हूँ चम्पा नौगाँव की एक लड़की। यही मेरा परिचय है। मेरे इस गाँव के पास धीमे-धीमे बहती शारदा नदी इस गाँव में दुख-सुख में हमारा साथ देती है, पता नहीं कब से। (हंसी) मेरे लिए ये गांव एक कस्बे से कम नहीं है पर मेरे लिए यही मेरी दुनिया है। इस गाँव में लगभग एक हजार की आबादी है। आप जानते हैं हम सब गाँववासी आपके लिए हैं बिलकुल आप जैसे इस गाँव के जीवन में अनेक रंग हैं, मोर पंख जैसे। सब कुछ सुहाना-सुहाना, आइए मेरे साथ। गाँव के बीचो-बीच ये छोटी-सी दुकान। गाँव के मुखिया चौधरी जी से लेकर जुम्मन चाचा तक बाहर से आए और यहीं बस गए। सब बटोरते हैं अपने अपने सुख-दुख।

(हँसी)

चम्पा जरा देखूँ। यह कौन है? ओह! श्यामलाल जी हैं। बड़े दिलचस्प आदमी हैं। वाह! हो गए शुरू .... अच्छा आप बैठिए मैं फिर मिलूँगी।

(चम्पा के जाने का ध्वनि प्रभाव)

श्यामलाल अरे नालायक कहीं की। अरे कितनी बार कहा है, हिसाब-किताब ठीक से समझ कर लाया कर, अरे कितनी बार समझाते-समझाते मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई मैंने तो कह दिया कि जाओ ना, जो कुछ हिसाब होगा सतबीर से कह लेना।

मुनीम ले.... कौन श्यामलाल जी.....। ओ जो दस रुपये मैं कहाँ से दूँ.... जो मेरे हाथ लगे ही नहीं।

श्यामलाल अरे भईया वही तो कह रहा हूँ। तुमने दस रुपए सतबीर को दिए होंगे और पाँच रुपए का सौदा दिए होंगे, पाँच रुपए वापस दे तो रहा हूँ ये लिए जाओ।

मुनीम लेकिन पिछले हिसाब में थे ..... ओ तो .....

श्यामलाल तो सतबीर आए तो हिसाब कर लेना। अब तुम जाओ सवेरे-सवेरे मेरा दिमाग खराब मत करो। पता नहीं सवेरे-सवेरे कहाँ से आ जाते हैं .....

चार तीन नौ में तीन बारह, चार सत्रह, अरे भाई इसमें तीन रुपए का घाटा करवा दिया - अरे सतबीर

जुम्मन क्या हुआ श्यामलाल जी।

श्यामलाल अरे अरे, जुम्मन मियां। जुम्मन मियां आओ भाई आओ।

जुम्मन अरे श्यामलाल जी किसके साथ माथा फोड़ रहे हो?

श्यामलाल अरे भइया, ये सतबीर, इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसे अक्ल तक नहीं आई अभी तक ...

जुम्मन आ जाएगी, आ जाएगी, अरे हाँ जल्दी से यार एक बीड़ी का बंडल दो, बैल छोड़कर आया हूँ। खेत में अगर कहीं मालिक आ गया तो मारा गया ....

श्यामलाल हाँ ये लो .....

जुम्मन कितने पैसे हो गए .....

श्यामलाल पाँच रुपए हुए जुम्मन मियां।

जुम्मन अरे पाँच रुपए, सुबह-सुबह ही जेब काटना शुरू कर दिया।

श्यामलाल पिछले भी तो हैं, कुल मिलाकर पाँच रुपए हुए तुम्हारे .....

जुम्मन ठीक है फिर हिसाब कर लेंगे।

श्यामलाल सतबीर अरे ओ सतबीर।

सतबीर (दूर से आता स्वर) आया बापू। (पास आकर) हाँ जी।

श्यामलाल देर हो जाएगी तो बाबू सीट पर नहीं मिलेगा। ग्यारह बजे तो चाय का राष्ट्रीय समय हो जाएगा।

सतबीर बस बापू ना, निकल ही रहा हूँ। अर्जी देकर ही आऊँगा चाहे जितनी देर दफ्तर में बैठे रहना पड़े।

श्यामलाल जब तक तपस्या न करो, देवता प्रसन्न नहीं होते बेटा। देख अर्जी देकर दफ्तर में, फिर माल उठाना और लच्छूराम को कहना कि पिछली बार का निरोल वाला न दे ..... गाँव को साबुन नहीं डिटरजेंट चाहिए। पूरा शरारती हो गया है गाँव, और चार शीशी शैम्पू की भी।

सतबीर शैम्पू की शीशी (या) सैशे?

श्यामलाल शीशी नहीं, वही पुड़िया रुपए डेढ़ रुपए वाली।

सतबीर लोकल तो बारह आने की आ रही है। सो डलवा लूँ?

श्यामलाल डलवा लूँ, खोपड़ी में भी डाल लेना कि बारह आने की नहीं डेढ़ की है ... नहीं तो मेरा औतारी हरिश्चन्दर सबको बेच डालेगा बारह बारह आने की। फिर क्या तो तेरा बाप कमाएगा, क्या तेरे बच्चों के लिए।

सतबीर (रुककर) मैं क्या दुकान लुटाता रहता हूँ?

श्यामलाल नहीं यह नहीं कह रहा, ऐहतियात तो रखनी चाहिए।

सतबीर अच्छा, अच्छा।

श्यामलाल और रुपए अंदर की जेब में रखना। संभालकर।

सतबीर बापू तुम तो मुझे बच्चा समझते हो?

श्यामलाल समझता क्या हूँ , तू है ही बच्चा।

सतबीर अब तक।

श्यामलाल मूंछ आने से क्या मर्द हो गया? पैसे संभालकर ले जाना, सीधे जाना, सीधे आना।

सतबीर सड़क जहाँ-जहाँ मुड़ेगी वहाँ तो मुड़ना ही पड़ेगा बापू।

श्यामलाल ना, दीवार फोड़ कर निकल जाइयो बावला। जा अब जल्दी कर।

सतबीर बावला हूँ मैं?

श्यामलाल कतई ना मेरे होशियार।

(परिवर्तन सूचक संगीत)

(स्थान : जुम्मन का घर समय : प्रातःकाल)

(पृष्ठभूमि में बकरियों का मिमियाना-मुर्गियों का इधर-उधर भागना, जुम्मन उनके पीछे-पीछे भाग भाग कर पकड़ने का प्रयास)

जुम्मन अय हय इंसानों को मात कर रही हैं, खाने से पहले ही भाग लीं, अरे ले नहीं रहा हूँ कि भागी। भागी लो दाना खाना लो मेरी जान, मेरा दिल, मेरा जिगर, (बकरी का स्वर) आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मेरी लाडली, मेरी बन्नो .... तुम्हारे लिये भी हैं हरे-हरे पत्ते ..... हमें तो कोई ऐसे निहोरे कर कर के नहीं खिलाता .....

रुखसाना भागे जाओ मुर्गियों के पीछे ..... जितना जिसके पीछे दौड़ेंगे उतना ही दौड़ाए जाओगे।

जुम्मन जैसे तूने नहीं दौड़ाया था .....

रुखसाना हटो बड़े वो हो .....

जुम्मन वो हैं कि ये ... जो भी जैसे भी हैं, तो तुम्हारे .....

रुखसाना मत फुसलाओ .....

जुम्मन वरना .....?

रुखसाना नतीजा तो जो है।

जुम्मन (गहरी सांस) सो हम पर भारी है ही .....

(बकरियों के मिमियाने की आवाज) लो, लो हरे पत्ते, चिकने-चिकने .... ताजे डाल से टूटे।

रुखसाना फेरी लगा रहे हो?

जुम्मन फेरी क्या फेरे हैं मेरी बेगम .... रहट के बैल के .... घूमे जाओ, घूमे जाओ .....

नाई इतना मत घूमों मिया के धरती ही घूम जाए।

जुम्मन आदबा। लगावन भैया।

नाई राम राम भैया .... कहाँ घूम रहे थे।

जुम्मन कहाँ घूमना भाई .... अब तो यहीं जीना, यहीं मरना .....

नाई अरे भैया काहे को हिम्मत हारते हो। राम भला करे, कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी है।

जुम्मन अरे देखने की निगाह भी तो चाहिए।

नाई हाँ राम भला करे कि कोल्हू के बैल बने रहोगे तो निगाहें आएंगी कहाँ से। जा फज्जू दो चार अमरूद ला दे पेड़ से बच्चे कह रहे थे बड़े मीठे हैं।

जुम्मन पर भैया वो तो चौधरी के बाग के हैं।

नाई अरे तो क्या तुम रखवाले नहीं हो उस बाग के?

जुम्मन तो रखवाला मालिक तो न हुआ न?

नाई अरे राम भला करे समझो तो बहुत कुछ न समझो तो कुछ भी नहीं।

जुम्मन हम तो इतना ही समझे हैं कि जो मालिक हाथ उठा के दे दे, वही अपना इसके अलावा मिट्टी की भी गुनहगारी नहीं है।

नाई गुनहगारी न हमारी न तुम्हारी - राम भला करे - सोच अपनी-अपनी, (सहसा याद आया हो जैसे) लो मेरे भगवान, चौधराइन ने यो कही

जुम्मन ये तो चौधराइन की क्या है। गरीबों का ध्यान रखती हैं।

नाई जय जय कहवन के पीछे भीड़ तो रखनी ही पड़े है न? अब चौधराइन ध्यान मेरा रखेंगी .... मुझसे बोली कि आइयो और मैं कमबख्त यहीं बैठ गया (लपक्ता सा) चलूं।

फज्जू चच्चा अंगोछा रह गया .....

नाई लाओ .... जीते रहो .... एक दिन देह छोड़ कर भी भाग चलूंगा और कहने वाले कहते ही रह जाएँगे कि अपने आपको छोड़कर कहाँ चले गए....

जुम्मन अल्ला का नाम लो भइया अल्ला का।

नाई शुभ-शुभ ही हरेक सिकंदर की इतनी ही है कहानी - मिट्टी में मिली मिट्टी पानी में मिला पानी।

जुम्मन वाह क्या बात है। या खुदा मेरी कहानी कभी खत्म न करना, इसे चलते रहने देना।

उत्तरकथा :

आखिर वो कौन सी बातें हैं जहाँ,
दिन भी अंधेरी रातें हैं।
कोहरे की मैली चादर में भी।
आशा पंख फैलाती है।
तिनका-तिनका सुख पाए और,
गुलशन के ही हो जाएँ।

उदाहरण-2

"जीवन सौरभ - धारावाहिक"

द्वितीय कड़ी

(जीवन साथी का चुनाव - निर्णय किसका)

संयोजन : लेखन एवं प्रस्तुति - उषा भसीन

संकेत धुन

सूत्रधार पिछले कार्यक्रम में हमने युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं की चर्चा की थी। ये सपने, क्यों और किस कदर टूटते हैं, ये जानने के लिए हमें बहुत खोज खबर नहीं करनी पड़ी जिसके भी दिल का तार छेड़ने में हम सफल हुए, वहाँ से कुछ ऐसे ही स्वर सुनाई दिए।

एक युवक

मेरी शादी लगभग दो वर्ष पूर्व हुई। जिसे मैं शादी नहीं कहता अपनी बर्बादी कहता हूँ। क्योंकि मेरी शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई। मेरे दादा, दादी जी चाहते थे कि उनके सामने मेरी शादी हो जाए। मेरी उम्र 19 वर्ष थी उस वक्त। मैंने कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। तुम अगर शादी नहीं करते तो हमारे घर से चले जाओ। बीवी मेरी बिलकुल भी मेरे पसंद की नहीं है और वह गाँव की रहने वाली हैं, मैं अब यह सोचता हूँ कि घर वाले तो मुझे कोई खर्चा देते नहीं हैं। मैं पढ़ता भी हूँ और पार्ट टाइम में कुछ काम भी करता हूँ। अब मैं बी.ए. सैकिण्डियर कर रहा हूँ और बी.ए. फाइनल के बाद कुछ सर्विस लग जाए यह सोच के मैं पढ़ रहा हूँ। कोशिश तो मैं यह करता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। अपने कर्त्तव्यों को पूरा करती रहे, जो मेरे प्रति उसके बनते हैं। तो मैं उसके साथ निर्वाह कर सकता हूँ, नहीं तो आपस में अनबन हो सकती है। मैं उसे छोड़ सकता हूँ, वो भी मुझे छोड़ सकती है। अगर अब मेरी सर्विस नहीं लगती है और जो उसकी माँगें हैं वह पूरी नहीं कर पाता तो वह मुझे छोड़ सकती है।

उषा

लड़की के सपने होते हैं। सपने सजाए थे कि बच्चे होंगे और ये कुछ संभलेंगे पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जैसे हसबैण्ड का न कमाना, गलत मामलों में पड़ना, ड्रग्स वगैरह लेना और मतलब बच्चे होने के बावजूद भी घर से दो-दो, तीन-तीन महिने साल में गायब रहना। इस चीज़ से मुझे थोड़ी फीलिंग सी होती है कि शादी करके बहुत बुरा किया। पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन जब इंगेज़मेंट हुआ तब मालूम पड़ा। लेकिन उन्होंने बोला कि लड़की जात है अगर हम रिश्ता तोड़ भी दें तो आगे शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार रिश्ता तोड़ने के बाद। यही सब प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा जिसके कारण मैंने शादी की वो यह है कि मम्मी का बीमार रहना, पापा का जोर से बोलना, चिल्लाना, बात-बात पर डाँटना, मतलब थोड़ा की घर का भी मामला पड़ जाता है कि जैसे की ब्रदर का चार भाई हैं चारों की अलग-अलग दिशाएँ हैं। इस बीच मेरे फादर का कहना कि इसी बीच इसकी शादी नहीं हुई दोनों लड़कियों की। और मेरी बड़ी सिस्टर की ये लड़कियाँ तो कुंवारी रह जाएँगी। ये लड़के ले जाएँगे सारा कुछ, इसलिए जैसा है ठीक है। हो सकता है शादी के बाद सुधर जाए। आज की स्थिति तो मेरी ऐसी हो गई है एक तरफ मन करता है कि स्यूसाइट ही कर लूँ कर मन करता है छोड़ के चली जाऊँ कभी-कभी ऐसा मन करता है कि तलाक ही ले लूँ।

वेद प्रकाश दुबे

मैं विवाह करना चाहता था एक भारतीय लड़की से क्योंकि मैं उत्तर और दक्षिण की इन दोनों संस्कृतियों में एक अद्‌भुत समानता और एक अद्‌भुत आकर्षण पाता हूँ, लेकिन मेरे माता-पिता ने मेरा विवाह तय किया तो विवाह मैंने अपने माता-पिता

की इच्छा से किया, और एक भारतीय समाज में हमने जो नियम बना रखें हैं कि लड़कों को आज्ञाकारी होना चाहिए, लड़की को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लोगों पर अपनी वर्जनाएँ थोप देते हैं। मुझे लगता है कि हमारे दो खानदानों का विवाह हुआ। ये सिर्फ वेद प्रकाश और मधु का मामला नहीं है। इस देश में हजारों वेद प्रकाश हैं, हजारों मधुएँ हैं, जिन्हें जबरदस्ती कठपुतली की तरह विवाह मण्डप में बिठा के विवाह करवाया जाता है। मैंने एम.ए. किया है हिंदी में, दर्शनशास्त्र में अभी मैंने अपनी पी.एच.डी. पूरी की है।

भेंटकर्ता और फिर भी आप कठपुतली बनते हैं?

दुबे क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय समाज के मूल्य माता-पिता के द्वारा अपने ममत्व का मूल्य माँग लेना, मैं ही नहीं इस देश के हर नवयुवक और नवयुवती को, एक आध को छोड़ दें तो हरेक को कठपुतली बनना ही पड़ता है। उस विवाह में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमी रह गई कि मुझे और मेरी पत्नी को एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। विवाह के मूल में पैसा था, विवाह के मूल में रिश्तेदारों का दबाव था और विवाह के मूल में एक लड़की के पिता का दर्द था, कि मैं अपनी 24-25 वर्ष की लड़की को कब तक घर में बिठाए रखूँ, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार उन्हें चैन से जीने नहीं देते। मेरी पत्नी मूलतः उस परिवार से हैं जहाँ पैसा ही भगवान है लेकिन क्या होता है चिंतन, क्या होता है किसी दुःखी व्यक्ति की मदद करना, मैं नहीं समझता कि वो लोग उसको जानते भी हैं या उसको समझते भी हैं, या एक मरते हुए आदमी की संवेदना क्या होती है यदि कहीं उससे धन का लाभ है तो मैं समझता हूँ कि वो उस परिवार के लिए उसका आदर्श है उसमें मेरी पत्नी का दोष नहीं है। मैं अपनी पत्नी को बिलकुल दोषी नहीं पाता। क्योंकि बचपन से ही वो संस्कार उसमें फीड कर दिए गए हैं, बचपन से ही वो परिवेश देखा है और उस परिवेश की उसने कल्पना मेरे घर में आके मेरे परिवार में आकर की।

प्रश्न सूचक संगीत

शायद हममे से कुछ कहने लगें कि इनके माता-पिता ने गलत किया। इतना आसान नहीं है यह निर्णय दे देना। माता-पिता सामाजिक, पारंपरिक, आर्थिक और मानसिक अनेकों संकटों से गुजरते हैं अपनी संतान का भविष्य सुधारने के लिए संतान के सुख के लिए तन-मन-धन न्यौछावर कर देने वाले माता-पिता को दोषी ठहराना उचित होगा क्या? आखिर उनके भी तो कुछ अरमान हैं, कुछ इच्छाएँ हैं। क्या हैं ये? उन्हीं से सुनें-

इंदर सिंह (एक पिता) मैं एक अच्छे परिवार में और बहुत अच्छे विचार वाले परिवार में शादी करना पसंद करूँगा। जिससे की कभी कोई परेशानी न आए। और जो मेरे घर में मेरी बहू आए मेरे घर को संभाले और

मेरे घर को कॉपरेट करके, जोड़ के चलने की भावना रखे। मुनासिब पढ़ी लिखी भी हो, और सुशील हो सुंदर हो, ग्रेजुएट हो तो ज्यादा अच्छी बात है नहीं तो कम से कम इंटर तो होनी ही चाहिए। अपने सास-ससुर को सास-ससुर न समझे बल्कि माँ-बाप समझे। दामाद में, मैं सिर्फ दो चीज जरूरी चाहूँगा कि लड़का बेरोज़गार हो और बेऐब हो। किसी प्रकार का ऐब न हो उसमें जैसे आजकल का माहौल है। लोग ऐबों में पड़ जाते हैं तो ऐसा मैं कोई लड़का नहीं चाहूँगा।

श्री पटेल (एक पिता) उसका बैक ग्राउंड हम देखेंगे उसका बैक ग्राउंड उसके पैरेंटस का बैक ग्राउंड हम देखेंगे वह कहाँ रही है, कैसी उसकी पुरानी हिस्ट्री है देखने के बाद जो हम पसंद करेंगे कि हमारी फैमिली में चलेगी या नहीं चलेगी। ज्यादातर हम अपनी जाति की पंसद करेंगे क्योंकि हमारी जाति वाली हमारी जाति में ज्यादा सूट होती है।

श्रीमती माया निगम देखिए क्योंकि मेरे लड़कियाँ ज्यादा हैं लड़का तो एक ही है और जिस तरह की मेरी लड़कियाँ हैं मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी ऐसी ही आए। सुशील, सबको अपना समझने वाली, उसमें स्वार्थ की भावना न हो। मेरा तेरा करने की भावना न हो। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। हाँ लड़की जरूर मैं अच्छे माँ-बाप की चाहती हूँ, उन माँ-बाप की जो आपस में न लड़ते हों, मैं लड़की की खूबसूरती नहीं चाहूँगी, उनके माँ-बाप देखना चाहूँगी कि वो कैसे रहते हैं अपने घर में। अगर मेरी चली तो लड़की को शक्ल से देखकर बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं समझती हूँ मैं फेस रीडिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बातचीत करने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उठने-बैठने का तरीका, ये सारी बातें उसके अपने चरित्र में आ जाते हैं जैसे मैंने अपने दामाद देखे, मैं शक्ल देखकर समझ गई ये कैसे हैं। एक तो लड़का मिलना ही मुश्किल होता है। अगर मिलता भी है तो यूं समझिए कि लड़का खरीदने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर जेब में पैसे हैं उतने ज्यादा तो लड़का उतना अच्छा मिल जाएगा। वर्ना फिर अपने से भी गिरा हुआ लड़का देखिए। गिरे हुए से मतलब यह कि जैसे हम हैं, हम अपने से कम स्तर का ही लड़का देख पाएँगे हालांकि उसको भी देना पड़ेगा लेकिन उतना तो दे दिया जा सकता है अपनी जेब देखकर।

हमारे बच्चे जो हैं हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कभी भी नहीं जाते क्योंकि माहौल और वातावरण ही ऐसा है कि उनकी हर इच्छा पूरी की जाती है सिवाए शादी के। माँ-बाप बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं और उसकी परवरिश पर इतना पैसा खर्च करते हैं ताकि उनकी इच्छा के मुताबिक ही वो शादी करे और बाहर से न ला सके। मतलब किसी ऐसी लड़की को जिससे कि घर में एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाए। बच्चे के लिए भी कल को मुश्किल हो सकती है तो इसलिए हमारी यह इच्छा

होती है कि बच्चा हमारे कहने के मुताबिक चले तो हमारे बुढ़ापे का सहारा, उम्मीद हो सकता है।

एक माँ बच्चे कहाँ चाहते हैं बच्चे तो आजकल अपनी मर्जी चाह रहे हैं उनको तो वो ही अपनी और फिर बाद में तो रोएँगे बैठकर, नहीं आपस में बनेगी तो बाद में फिर माँ-बाप को सुधारना पड़ता है उस चक्कर को, माँ-बाप बीच में आएँगे। माँ-बाप बीच में आएँगे तो फिर माँ-बाप बुरे हो जाते हैं।

संगीत

सूत्रधार माता-पिता की अपनी धारणाएँ हैं युवाओं के अपने सपने। युवाओं के सपनों का वृक्ष माता-पिता के अरमानों की कब्र पर फले, ये भी तो उचित न होगा। जाहिर है एक रास्ता खोजना होगा विशेषज्ञों की सहायता से, श्रीमती कमलेश निश्चल :

श्रीमती कमलेश निश्चल मेरी तो अभी तक यही राय है जो माँ-बाप होते हैं किसी भी स्टेटस को बिलांग करें उनकी इच्छा यही होती है कि लड़की आएगी नम्रता से भरी हुई होगी उसके अंदर यह गुणा होगा कि सेवा करेगी वो, अकड़ उसमें नहीं होगी, पढ़ी-लिखी भी होगी, और दहेज घर के अंदर अच्छा लाएगी। लड़के की भी इच्छा यह होती है कि लड़की में नम्रता हो, सुशील स्वभाव की हो किसी से अकड़ के न बोले, मेरे माँ-बाप की सेवा करे। एक अंतर जरूर हो सकता है कि जहाँ पढ़ा लिखा लड़का है वो जरूर चाहेगा कि बहू जो आए वह मेरे साथ सोशली घूमे, समाज में मेरे साथ जाएगी तो अच्छी लगेगी थोड़ी सी अच्छी शक्ल की भी हो, बातचीत में भी अच्छी हो। मेरा ख्याल है वह दहेज की इतनी परवाह नहीं करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लड़का भी और उसके माँ-बाप भी ऐसी लड़की चाहते हैं जिसके अंदर सभी गुण एकत्रित हों। और यह मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान होता है वह अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। और उसके अंदर कुछ तो अच्छाईयाँ होंगी अच्छाईयों के साथ कुछ तो ऐसा होगा जो कि वो अवगुण समझेंगे। उसी को वो लोग पकड़ लेते हैं अच्छाईयाँ भूल जाते हैं उनकी सोच वैसी ही होनी चाहिए कि अगर उनकी लड़की हो तो क्या उसके अंदर सारे ही गुण हों। चाहे वह दूसरे की लड़की ला रहे हैं उसके लिए तो चाह रहें हैं कि सब गुण हों अपनी लड़की होगी तो उसके तो नहीं होंगे तो अगर वो आने वाली बहू को उस नज़र से देखें की कहीं हमारी लड़की होती तो हम क्या चाहते तो मुझे उम्मीद है कि यह उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि सारे ही गुण उस लड़की के अंदर हों। अब यह तो एजुकेशन से ही होता है। जब तक माँ-बाप खुद एजुकेट हो जाते हैं और अपने लड़के को भी साथ-साथ एजुकेट नहीं करते हैं तब तक यह समस्या, समस्या ही रहेगी। एजुकेशन से मेरा मतलब है पालन-पोषण जिसमें कि लड़के को सिखाया जाता है कि भई लड़के और लड़की दोनों में ही मिश्रण होता है गुण अवगुण का और यह नहीं है कि लड़का हो

तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और लड़की हो तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ समाज में यही होता है लड़का जो भी पाप कर आए या शैतानी कर आए उसको तो हँस के टाल दिया जाता है और लड़की कोई ज़रा-सी भी बात कह देती है तो उसको बहुत परेशानी कहते हैं।

संगीत

सूत्रधार डॉ. अरुण कुमार गुप्ता :

डॉ. गुप्ता अक्सर जहाँ पर कि अरेंज्ड मैरिज़ होती है उसमें देखा ये गया है कि ज्यादातर जो निर्णय हैं वो माँ-बाप ही लेते हैं या कोई-कोई परिवार ऐसा होता है जिसमें कि लड़के और लड़की की राय भी मांगी जाती है पर उन लड़के और लड़की को इतना मौका नहीं मिला होता कि वह ठीक तरह से अपने होने वाले जीवन साथी को समझ सकें। वो सिर्फ दो बार की मुलाकात होती है, यह देखा हुआ होता है। तो उसमें हम सिर्फ उसके रूप, आकार, या जैसा कि वह दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर और वो कितना कमाता है या वो कितना पढ़ा लिखा है या उसके पिता क्या करते हैं, उसके बाकी रिश्तेदार क्या करते हैं इस आधार के ऊपर अपना निर्णय ले पाते हैं। अक्सर माँ-बाप ये सोचते हैं कि उनका लड़का या लड़की इस लायक नहीं हैं कि वह सोच सके कि कौन जीवन साथी उनके लिए ठीक होगा। या कौन-सा परिवार उनके परिवार से मेल खा सकता है। इस बारे में वह सोचते हैं लड़का-लड़की ठीक राय नहीं बना सकते इसकी राय वह ही बना सकते हैं। या अक्सर एक जो होता है। माँ-बाप यह सोचते हैं कि जिस बच्चे को हमने बचपन से पाला-पोसा होता है उसको हम ज्यादा जानते हैं वह खुद को ज्यादा नहीं जानता। उसके बारे में हम हम ज्यादा सही निर्णय ले सकते हैं बजाय उस लड़के या लड़की के।

हर केस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि लड़के लड़की का निर्णय परिपक्व है या नहीं। कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते। होना यह चाहिए कि माता-पिता और बच्चे एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें किसी किस्म की धमकी या जोर दबाव का इस्तेमाल न किया जाए। इसकी आवश्यकता है। हमने देखा है कुछ ऐसे परिवारों में ऐसा होते हुए कि पिता लड़कों से कहता है कि अगर तुम इस परिवार से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा, तुम हो किस लायक। मेरे ही बिजनेस में तो लगे हुए हो। तुम कुछ कमा भी सकते हो, कर क्या सकते हो इस तरह नहीं करोगे तो मेरे कहने से तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी या लड़की को कहते हैं कि फिर कैसे तुम्हारी शादी होगी, सारी जिंदगी बैठी रहोगी तुम्हारी चार बहनों की और शादी करनी है, क्यों मना कर रही हो? तो इस किस्म से ज़ोर डाला जाता है

लड़की के ऊपर वो ठीक नहीं होता अगर बताना ही है तो कुछ इस तरह से बताइए कि उस लड़के के अंदर क्या खासियत है या उस परिवार में क्या खासियत है और किस तरह से उसको एडजस्ट करना है। उसको बताएँ कि उनकी क्या मज़बूरी है और वह किस तरह से खुश रह सकेगी, इस तरह से समझाएँ तो उचित रूप से और सही ढंग से शादी भी हो सकती है कहाँ पर हमने देखा कि लड़की को यह समझा दिया जाता है कि उस परिवार में जाओगी तो तुमको ये मिलेगा या ऐसा प्यार मिलेगा या ऐसी चीज़ें मिलेंगी जब कि बाद में वास्तविकता में ऐसा जरूरी थोड़े ही है कि सभी कुछ मिले उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से या कल्पना से कह दिया लेकिन जब लड़की उन इच्छाओं के साथ उस परिवार में जाती है और उसको वो सब कुछ नहीं मिलता तो वह दुखी होती है। ऐसे ही लड़के से कह दिया जाता है कि उसके रिश्तेदार उस-उस ओहदे पर बैठे हैं वो तुम्हारी इस तरह से मदद करेंगे या वो इतने पैसे वाले हैं। उनको ये उम्मीद रहती है कि हो सकता है हम दहेज नहीं माँगे तब भी इतना मिलेगा, नहीं मिलता तो बाद में लड़की को तंग करते हैं या उससे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते और फिर वहीं से मन मुटाव की शुरुआत हो जाती है। कई बार बच्चे के मन में यह तो होता है कि मैं इस किस्म की शादी करना चाहता हूँ, या इस समय पर शादी करना चाहता हूँ लेकिन वह इस बात को अपने माँ-बाप के सामने खुलकर बताएँगे नहीं वो सिर्फ टालते रहते हैं। उनको शायद यह डर रहता है कि स्वीकार न करें या उनको इस बात के लिए डांट पड़े या उनकी बात को महत्व न दिया जाए। इस डर से वह बताते नहीं। लड़के को तस्वीर दिखाई जाएगी, तो वह उसमें कुछ नुक्स निकाल देंगे। ताकि बात टलती रहे। अगर माँ-बाप और बच्चे के बीच में खुला रिश्ता नहीं होगा तभी इस किस्म की परेशानी पैदा होती है। अगर खुला रिश्ता होगा, तब वह खुलकर बात कर सकेंगे, एक दूसरे को बता सकेंगे।

संगीत

सूत्रधार कहते हैं न शुरुआत अच्छी हो तभी परिणाम भी अच्छा होता है, और अच्छी शुरुआत इसी सामंजस्य पर आधारित होगी - जहाँ तक सामंजस्य की बात है, वो तो हमें हर पग पर तलाशना होगा। ये आप जानेंगे अगली कड़ी में जिसका शीर्षक है "प्रेम विवाह"

संगीत

प्रश्न जीवन साथी के चुनाव का निर्णय करने से पहले, युवाओं और माता-पिता को, क्या सोच विचार करना चाहिए?

संकेत धुन (फेड इन)

बैक ग्राउंड में समापन उद्घोषणा

"यह थी इस श्रृंखला की पहली कड़ी
संयोजन एवं प्रस्तुति - उषा भसीन
सहयोग - राजीव सक्सेना एवं कोमल वर्मा"

संकेत धुन

16.13 सारांश

धारावाहिक लेखन खुले आकाश के समान है। इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। स्थितियों की चर्चा की जा सकती है लेकिन सभी स्थितियों का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। असीमता ही वह पक्ष है जो रूटीन होने से बचाता है। पुनरावृत्ति प्रायः पसंद नहीं आती। लेखक को हमेशा नए-नए प्रयोगों के लिए तत्पर रहना चाहिए। तभी तो हम नए सृजन का सुख पा सकते हैं।

रेडियो प्रसारण एक अदृश्य ध्वनि चित्र का निर्माण करता है। इसलिए रेडियो कार्यक्रमों के लेखक को जहाँ ध्वनियों के महत्व का ज्ञान होना चाहिए वहीं शब्दों से चित्र बनाने की कला भी आनी चाहिए। रेडियो लेखन बहुत सरल और बहुत कठिन होता है। सरल इस रूप में कि जो आप बोलते हैं, खुद पसंद करते हैं और जो सुनना चाहते हैं, वैसा ही आप अन्य श्रोताओं के लिए लिखें। कठिन इसलिए कि जब व्यक्ति बोलता है और जब लिखता है तब दोनों समय अंतर को दूर करने की कोशिश नहीं करता। लिखते समय सरल नहीं लिखता। सरल लेखन प्रभावशाली होता है। सरल और प्रभावशाली लेखन निरंतर अभ्यास से आता है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास यही है सफलता की कुंजी।

कोई आपको लेखक नहीं बना सकता। आपको स्वयं लेखक बनना है। हाँ, लेखन में सहायता अवश्य मिल सकती है। जैसे, आप जिस विधा में धारावाहिक का आलेख लिखना चाहते हैं उस विधा के कार्यक्रम सुनें। उन्हें कैसेट पर रिकार्ड करके बार-बार सुनें। प्रतिष्ठित धारावाहिक कार्यक्रमों के आलेख प्राप्त करके उनका अध्ययन करें। धारावाहिक लेखकों से मिलें और चर्चा करें। जो कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं उन पर सलाह लें। अपने निकट के रेडियो स्टेशन से संपर्क बनाएँ। रेडियो प्रसारण के लिए लेखन चन्दन के समान है। चन्दन जितना घिसा जाता है उतना ही सुंगध देता है।

16.14 प्रश्न

1. धारावाहिक लेखन की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए लेखक को क्या-क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? विस्तार से समझाइए।
2. किसी उपन्यास या नाटक को आधार बनाकर रेडियो धारावाहिक का स्क्रिप्ट तैयार कीजिए।

इकाई 17 जन-सहभागिता कार्यक्रम

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य
17.1 प्रस्तावना
17.2 जन-सहभागी कार्यक्रमों की आवश्यकता
  17.2.1 प्रासंगिकता
  17.2.2 जन-प्रतिनिधित्व
  17.2.3 सामाजिक समानता
  17.2.4 अपनत्व की भावना
  17.2.5 जनतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि
  17.2.6 कार्यक्रम अनुसंधान में सहायता
17.3 जन-सहभागी कार्यक्रमों के प्रकार
  17.3.1 निष्क्रिय सहभागिता
  17.3.2 परामर्शी सहभागिता
  17.3.3 अंतर-क्रियात्मक सहभागिता
  17.3.4 सीधी सहभागिता
  17.3.5 निर्णय सहयोगी सहभागिता
17.4 जन-सहभागी कार्यक्रमों के लाभ
17.5 जन-सहभागी कार्यक्रमों में बाधाएँ
17.6 जन-सहभागी कार्यक्रमः आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ
17.7 जन-सहभागिता बढ़ाने के तरीके
  17.7.1 पत्रोत्तर
  17.7.2 वॉयस-मेल
  17.7.3 मोबाइल फोन
  17.7.4 वॉक्स-पॉप
  17.7.5 वार्तालाप या चैट शो
  17.7.6 रेडियो ब्रिज
17.8 फोन-इन कार्यक्रम
  17.8.1 डॉयल-इन
  17.8.2 डॉयल-आउट
17.9 फोन-इन कार्यक्रमों का प्रबंधन
  17.9.1 तकनीकी सुविधाएँ
  17.9.2 फोन-इन कार्यक्रम का संचालन
17.10 सारांश
17.11 प्रश्न

17.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम रेडियो के सहभागिता कार्यक्रमों की चर्चा करने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़कर आप इन कार्यक्रमों के महत्व, आवश्यकता और लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस इकाई में जन सहभागिता कार्यक्रमों को आयोजित करने में आने वाली बाधाओं, सहभागिता बढ़ाने के तरीकों और जन-सहभागिता कार्यक्रम के विभिन्न प्रकारों तथा उनमें सूत्रधार की भूमिका को रेखांकित करने के साथ-साथ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने की दिशा में पहल कर सकेंगे।

17.1 प्रस्तावना

जनतंत्र का अर्थ है- जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सर्वत्र जनता की भागीदारी। यही कारण है कि हमारे

संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में वाणी की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मन की बात को निर्भीकता से कह सके। उसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए समुचित मंच मिल सके। जनसंचार माध्यम - रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र - जनहित को ध्यान में रखकर जनता की आवाज को ही प्रकट करते हैं।

जनसंचार माध्यमों का विकास ही समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ है। समाज को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए प्रारंभ से ही ऐसे साधनों की आवश्यकता रही है जो हमारे आसपास के परिवेश पर पैनी नजर रख सकें, खतरे की जानकारी दे सकें, विचारों और तथ्यों को पूरे देश में फैला सकें, समाज की विरासत, परम्पराओं और अपेक्षाओं को जीवन्त बनाए रखें। जनसंचार माध्यम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस के मंच उपलब्ध कराते हैं। वे राष्ट्र में जनमत निर्माण या "एजेंडा सेटिंग" में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार माध्यमों की इस ताकत पर आधिपत्य की कोशिशें सदैव होती रही हैं। यही कारण है कि रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र तक सूचना के एकतरफा बहाव - ऊपर से नीचे की ओर - को ही संपोषित करते रहे हैं। जनतंत्रीय प्रणाली में मजबूती आने के साथ ही सूचना के दुतरफा बहाव - ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर - की मांग बढ़ी है। अब हर मतदाता अपनी राय ऊपर तक पहुंचा कर निर्णय की प्रक्रिया में सहभागी बनना चाहता है। रेडियो के स्थल रिकार्डिंग पर आधारित कार्यक्रमों, परिचर्चाओं और आमंत्रित श्रोताओं की कड़ी में टेलीफोन की मदद से प्रस्तुत किए जा रहे फोन-इन कार्यक्रमों ने जन-सहभागिता बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आकाशवाणी के स्थानीय रेडियो केन्द्र (लोकल रेडियो स्टेशन) तो जनसहभागिता पर ही निर्भर हैं।

रेडियो में जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ही देश भर में सामुदायिक रेडियो केन्द्र (कम्युनिटी रेडियो स्टेशन) खोलने का प्रावधान भी हुआ है। सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना और संचालन का पूरा दायित्व स्थानीय निकायों - ग्राम पंचायत, म्युनिसपल कारपोरेशन आदि, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं - का होगा। वे ही कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उनका प्रसारण दस-किलोमीटर के दायरे में बहुत ही कम शक्ति के ट्रांसमिटरों से करेंगे।

17.2 जन-सहभागी कार्यक्रमों की आवश्यकता

रेडियो कार्यक्रमों में जन-सहभागिता की आवश्यकता क्यों है? रेडियो तो पहले से ही "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के दर्शन पर आधारित सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करता आ रहा है। श्रोतागण पत्रों के माध्यम से कार्यक्रमों में भागीदारी करते रहे हैं। श्रोताओं के समक्ष आयोजित कार्यक्रमों में उनकी सीधी भागीदारी होती है। फोन-इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों के साथ-साथ श्रोताओं की आवाज भी प्रसारित होती है। वे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं । कार्यक्रमों में जन अभिरुचि के अनुरूप सुधार करने की अनुशंसा के लिए कार्यक्रम सलाहकार समितियों के अतिरिक्त अन्य कई समितियाँ भी सामायिक सुझाव देती रहती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य में इतनी जन-सहभागिता पर्याप्त नहीं है। प्रसार भारती के गठन के बाद जन-सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता और बलवती हुई है। टेलीविजन के उपग्रही चैनलों की बाढ़ और निजी रेडियो चैनलों के उद्‌भव के साथ ही श्रोताओं को अपने से जोड़े रखने में फोन-इन और

अन्य सहभागी कार्यक्रम सफल रहे हैं। जनसहभागिता कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैं :

- प्रासंगिकता
- जन-प्रधिनिधित्व
- सामाजिक समानता
- अपनत्व की भावना
- जनतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि
- कार्यक्रम अनुसंधान हेतु सीधी प्रतिक्रियाएँ

17.2.1 प्रासंगिकता

जन-सहभागिता कार्यक्रम समय की माँग के अनुरूप हैं। कार्यक्रमों में श्रोताओं की सीधी भागीदारी से विषय के नए आयामों का पता चलता है। सामाजिक समस्याओं, नई आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को सटीक ढंग से समझने में सहायता मिलती है। रेडियो कार्यक्रम की योजना एक तिमाही पूर्व ही तैयार कर ली जाती है। कार्यक्रम निर्माण से पहले मासिक और साप्ताहिक आधार पर विषय वस्तु की सामयिकता परखी जाती है। वैश्वीकरण के इस दौर में विषयों की प्रासंगिकता बनाए रखने में फोन-इन और रेडियो-ब्रिज जैसे कार्यक्रम सहायता देते हैं। बदलती प्रौद्योगिकी भी इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है।

17.2.2 जन-प्रधिनिधित्व

रेडियो कार्यक्रम अक्सर स्टुडियो में वार्ताकारों, कलाकारों और विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। विषय की अकादमिक और व्यावहारिक जानकारी भले इन विशेषज्ञों को हो और वे ऊपरी तौर पर जन-अभिरुचियों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने का आभास देते हों, किन्तु देश की अधिकांश जनता के मानस का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक ग्रामीण, कृषक, मजदूर या घरेलू महिला की वास्तविक चिंताओं को समझना कठिन होता है। जन-सहभागी कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रसारण में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। इससे श्रोताओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है ।

17.2.3 सामाजिक समानता

जनसंचार माध्यमों की विशेषता के कारण उनमें बुद्धिजीवी वर्ग, आभिजात्य वर्ग और समाज के शक्तिशाली वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो गया है। आम धारणा है कि उच्च और शिक्षित वर्ग के लोगों में समुचित संप्रेषण शक्ति होती है। ऐसे लोग ही अपने विचारों को सुगठित रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। रचनात्मकता भी विशेष प्रकार की देन समझी जाती है। जन-सहभागिता कार्यक्रम इन भ्रमों को तोड़ने में सहायता करते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग कार्यक्रमों में सीधी भागीदारी कर जनसंचार माध्यमों का बराबरी से उपयोग कर सकते हैं।

17.2.4 अपनत्व की भावना

जन-संचार माध्यमों की लोकप्रियता तभी बढ़ती है, जब दर्शक, श्रोता और पाठक उस माध्यम को अपनाने को आतुर हों। विशेष अभिरुचियों का ध्यान रखकर विशिष्ट श्रोतावर्ग को आकर्षित किया जाता है। रेडियो के विभिन्न चैनल इसी आधार पर लोकप्रिय हो रहे हैं। निजी चैनलों का ध्यान नई पीढ़ी के श्रोताओं को खींचने में लगा है। वे सूचना और मनोरंजन के मिले जुले कार्यक्रम "इन्फोटेनमेंट" के जरिए युवावर्ग का दिल जीत रहे हैं।

जनहितैषी कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले लोग आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों और केन्द्रों पर निर्भर हैं। कृषकों के लिए आज भी किसान भाइयों के कार्यक्रम - खेती-गृहस्थी - लोकप्रिय हैं। इन कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने से लोगों में माध्यम के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ती है।

17.2.5 जनतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि

जनतंत्र का मूलमंत्र है - प्रशासनिक व्यवस्था में हर स्तर पर जन-सहभागिता। इसलिए आजकल पारदर्शी प्रशासन की चर्चा है। केवल आम चुनावों में मतदान के जरिए अपनी सरकार चुनने से प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। रेडियो सहित सभी जनसंचार माध्यम जनमत तैयार करने और एजेंडा निर्धारित करने (जनमत निर्माण) में सहायक होते हैं। जन-सहभागी कार्यक्रमों के ज़रिए जनतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने में मदद मिलती है।

17.2.6 कार्यक्रम अनुसंधान में सहायता

जन-सहभागी कार्यक्रमों में श्रोता सीधी भागीदारी कर न केवल विषयवस्तु बल्कि विधाओं के चयन, और प्रस्तुतीकरण के बारे में भी सीधी राय व्यक्त कर सकते हैं। इससे कार्यक्रमों में सुधार के अलावा जन-मानस को समझने वाले अनुसंधानों की सहायता मिलती है।

17.3 जन-सहभागी कार्यक्रमों के प्रकार

रेडियो प्रसारण में जन-सहभागिता कार्यक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं । सुविधा के लिए उन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

- निष्क्रिय सहभागिता
- परामर्शी सहभागिता
- अन्तर क्रियात्मक सहभागिता
- सीधी सहभागिता
- निर्णय में सहायक सहभागिता

17.3.1 निष्क्रिय सहभागिता

रेडियो कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी सदैव बनी रहती है। वे मन ही मन कार्यक्रमों में भागीदारी करते रहते हैं । अपनी प्रतिक्रिया आपस में व्यक्त करते हैं। रेडियो व्यस्त समाज में सामाजिक स्नेहक (सोशल लुब्रीकेंट) का काम करता है। वह लोगों को चर्चा के लिए समुचित सामग्री उपलब्ध कराता है । एकतरफा उद्घोषणाएँ, सूचनाएँ, समाचार आदि निष्क्रिय सहभागिता का अवसर अधिक प्रदान करते हैं। लोग पत्रों के माध्यम से कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएँ, फरमाइशें और शुभकामनाएँ भेजकर कार्यक्रमों में सहभागी बन जाते हैं।

17.3.2 परामर्शी सहभागिता

श्रोताओं की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं। वे पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याएँ भेजते हैं। प्रसारणकर्ता लोगों की समस्याओं के बारे में स्थल रिकार्डिंग भी करते हैं। टेलीफोन और वॉयसमेल के जरिए भी उनकी रिकार्डिंग की जाती है। विषय विशेषज्ञ भी स्टुडियो में आकर उनकी समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों में उचित परामर्श दे सकते हैं। अनेक बार समस्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने

और उनके संभावित समाधानों के लिए पूरी रिकार्डिंग ही बाहर की जाती है। भेंटवार्ताएँ और साक्षात्कार भी परामर्शी सहभागिता के उदाहरण हैं।

17.3.3 अंतर-क्रियात्मक सहभागिता

"फोन-इन " जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण अब श्रोताओं और विशेषज्ञों के बीच किसी भी निर्धारित विषय पर विचारों का आदान-प्रदान संभव हो सका है। दुतरफा संवाद की सुविधा के कारण प्रश्नों का तत्काल समाधान हो जाता है। सीधी बातचीत में आत्मीयता रहती है। "फोन-इन ", "रेडियो-ब्रिज " आदि कार्यक्रम अंतर-क्रिया का अवसर प्रदान करते हैं ।

17.3.4 सीधी सहभागिता

रेडियो के अनेक कार्यक्रमों में श्रोताओं की सीधी भागीदारी संभव है। आजकल स्टुडियो में आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वार्तालाप, "चैट शो ", प्रश्नोत्तरी, परिचर्चा, प्रश्नमंच आदि ऐसे ही कार्यक्रम हैं। संगीत सभाओं के आयोजन भी आमंत्रित श्रोताओं को सीधी सहभागिता का अवसर प्रदान करते हैं।

17.3.5 निर्णय-सहयोगी सहभागिता

बजट जैसे संवेदनशील विषय पर आम आदमी की प्रतिक्रिया सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार नई नीतियाँ बनाते समय जनमत तैयार करना होता है। रेडियो ज्वलंत विषयों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर, वृत्त रूपकों के माध्यम से आम लोगों की राय रिकार्ड कर निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।

17.4 जन-सहभागी कार्यक्रमों के लाभ

जन-सहभागी कार्यक्रमों के अनेक लाभ हैं। कार्यक्रमों में सीधी भागीदारी से कार्यक्रम का महत्व बढ़ता है। कार्यक्रम में भागीदारी से श्रोता भी अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी राय का महत्व है। रेडियो जैसे जनसंचार माध्यम बिना भेद-भाव के उसे अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्रोता को इससे आत्मसंतोष और गौरव का अनुभव होता है। उसमें अपने माध्यम से लगाव होने लगता है। आत्मीयता भी बढ़ती है। प्रसारणों का लक्ष्य क्या है? प्रसारण सदैव श्रोताओं को विशेष प्रयोजन से लक्षित करते हैं। प्रसारणों का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार है। लोगों का जीवन स्तर उनकी भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर है। जन-संचार माध्यमों का पहला कर्त्तव्य लोगों को जीवन की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करना है। उसके बाद वे लोगों को अच्छा जीवन स्तर पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जन-सहभागी कार्यक्रम इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं।

17.5 जन-सहभागी कार्यक्रमों में बाधाएँ

जनसहभागी कार्यक्रमों के अनेक लाभ होने के बावजूद सभी प्रसारण केन्द्रों से उन्हें प्रसारित करना संभव नहीं हो पाता। कुछ केन्द्रों से वे प्रसारित भले ही होते हों, उनकी संख्या आवश्यकता से कम होती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ये बाधाएँ तकनीकी, प्रशासनिक या व्यक्तिगत हो सकती हैं। नई प्रौद्योगिकी के विस्तार के बावजूद सभी केन्द्रों पर "फोन-इन " और "रेडियो ब्रिज " जैसे कार्यक्रम प्रसारित करने की

तकनीकी सुविधाओं का अभाव सा है। टेलीफोन विभाग पर निर्भरता के कारण लाइनें व्यस्त रहती हैं। प्रसारण की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। जनसहभागी कार्यक्रमों को संभाल सकने वाले प्रसारणकर्मियों की भी कमी हो सकती है। कार्यालयीन समय के पहले या बाद में प्रसारित होने वाले जनसहभागी कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होती है। अनेक बार समुचित विषय-विशेषज्ञ निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं होते। श्रोताओं और विषय विशेषज्ञों के बीच भाषा की समस्या भी हो सकती है।

समुचित संप्रेषण की कमी, कार्यक्रम का उपयुक्त प्रचार-प्रसार और आचार संहिताओं के कारण भी जनसहभागिता कार्यक्रम आसानी से आयोजित नहीं हो पाते। इन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

17.6 जन-सहभागी कार्यक्रमः आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ

रेडियो के एकतरफा प्रसारित कार्यक्रम ज्ञान अथवा जानकारी देने, मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और प्रोपैगेंडा करने में मदद करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में सूचना का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। ज्ञान की बाल्टी से भरे हुए लोग उसे श्रोताओं के लिए उड़ेलते रहते हैं। यह माना जाता है कि श्रोता को आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता है और प्रसारणकर्ता का दायित्व उसे ज्ञान उपलब्ध कराना है। अंतर-क्रियात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य दुतरफा भागीदारी है। आलोचना, राय, परामर्श, प्रतिक्रिया और अनुभूतियों को व्यक्त करने में सहायता देना है। इसमें विचारों का आदान-प्रदान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही दिशाओं में हो सकता है।

रेखाचित्र-1

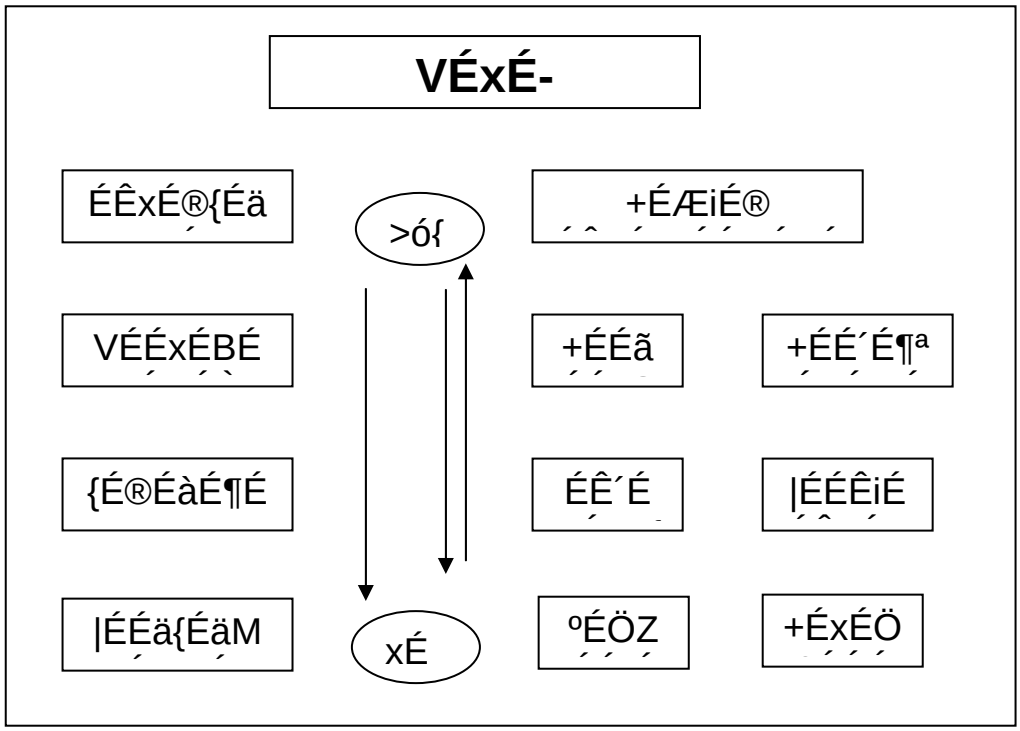

जनसहभागिता कार्यक्रमों में सहभागी बनने वाले श्रोताओं और प्रसारणकर्मियों की अपनी-अपनी आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ होती हैं। प्रसारणकर्मी अपने कार्यक्रम के माध्यम से बड़े-बड़े लोगों को भागीदारी हेतु आमंत्रित करते हैं। वे चाहते हैं कि समस्त आभिजात्य और बुद्धिजीवी वर्ग में उनके कार्यक्रमों की चर्चा हो। उच्चस्तर पर निर्णय लेने वाले उनके कार्यक्रमों से प्रभावित हों। वहीं सहभागी श्रोताओं की अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं होती हैं।

रेखाचित्र-2

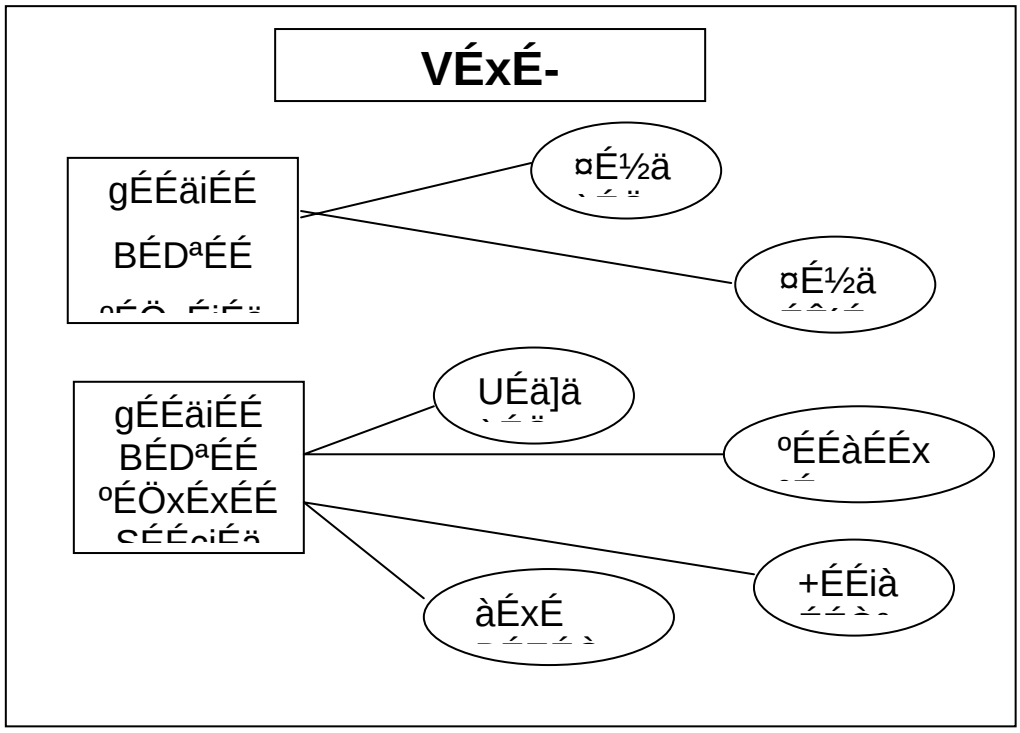

वे अपने आसपास के जीवन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। उनकी रुचि अपने जैसे सामान्य लोगों की राय जानने में होती है। वे मन को छू लेने वाले विषयों पर आत्मीय प्रस्तुति की अपेक्षा रखते हैं। जन सहभागी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं को इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। (रेखा चित्र-2)

17.7 जन-सहभागिता बढ़ाने के उपाय

कार्यक्रमों में जनसहभागिता बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। तकनीकी सुविधाओं के अभाव में भी अनेक प्रकार के जनसहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

17.7.1 पत्रोत्तर

कार्यक्रमों की लोकप्रियता सदैव से रही है। अभी प्रशंसात्मक पत्र, फरमाइशी कार्यक्रम, शुभकामना संदेश आदि के पत्र कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। आलोचनात्मक पत्र कम शामिल होते हैं। विभिन्न विषयों पर श्रोताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके विचारों को पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जा सकता है।

17.7.2 वॉयस-मेल

टेलीफोन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वॉयस-मेल की सुविधा का उपयोग विषय-विशेष पर लोगों की राय संक्षेप में रिकार्ड करने में किया जा सकता है। उनकी आवाज को सम्मिलित करके रोचक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

17.7.3 मोबाइल फोन

सूचना-तकनीक में हो रही नई-नई खोजों के साथ मोबाइल फोन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। एसएमएस (शार्ट मेसेज सर्विस) सुविधा का उपयोग प्रसाणकर्मी अपने कार्यक्रमों में धड़ल्ले से कर रहे हैं। आंखों देखा हाल सुनाते समय भीड़ में से चुनिंदा लोगों के विचार भी प्रसारित किए जा सकते हैं। इंटरनेट की ई-मेल सेवा के आधार पर भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। अब मोबाइल फोन पर ई-मेल सुविधा भी उपलब्ध है।

17.7.4 वॉक्स-पॉप

वॉक्स-पॉप रेडियो की ऐसी विधा है जिसमें आम आदमी की राय को संक्षेप में रिकार्ड कर लिया जाता है। पूरा कार्यक्रम ऐसे ही साक्षात्कारों पर आधारित होता है। इससे किसी भी विषय पर जन-सहभागिता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

17.7.5 वार्तालाप या चैट शो

स्टुडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष चैट शो का आयोजन किया जाता है। इसमें विषय विशेषज्ञों का एक छोटा सा दल या एक सेलेब्रिटी को वार्तालाप के लिए बुलाया जाता है। आमंत्रित श्रोता उससे सीधे सवाल पूछ सकता है। विषय के विभिन्न आयामों के बारे में जान सकता है। सेलेब्रिटी के जीवन से जुड़े संस्मरणों को सुन सकता है।

17.7.6 रेडियो ब्रिज

जन-सहभागिता कार्यक्रम का एक अन्य रूप रेडियो ब्रिज कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक रेडियो केन्द्र को उपग्रह या टेलीफोन लाइनों के जरिए छः या आठ केन्द्रों से जोड़ा जाता है । मुख्य केन्द्र में बैठे विशेषज्ञ और श्रोता अन्य केन्द्रों के स्टुडियो में मौजूद विशेषज्ञों और श्रोताओं से परस्पर बातचीत कर सकते हैं। चुनाव प्रसारणों के समय ऐसे रेडियो ब्रिज कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जाते हैं।

17.8 फोन-इन कार्यक्रम

रेडियो में जन-सहभागिता बढ़ाने के लिए आजकल फोन-इन कार्यक्रमों का चलन बढ़ रहा है। इन कार्यक्रमों में श्रोता फोन के जरिए सीधे ही प्रस्तुतकर्ता या विषय-विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। यह बातचीत रेडियो सेट पर सुनी जा सकती है। फोन-इन कार्यक्रम आमतौर से दो प्रकार के होते हैं :

1. डायल -इन
2. डायल-आउट

17.8.1 डायल-इन

ऐसे फोन-इन कार्यक्रमों में श्रोता अपने घर या पीसीओ (पब्लिक काल बूथ) से रेडियो केन्द्र के स्टुडियो में फोन करके कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यह फोन काल श्रोता के घर से पहले स्टुडियो से लगे एक बूथ में पहुंचती है। वहाँ बैठे सहायक फोन रिसीव करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद उस काल को स्टुडियो में बैठे प्रस्तुतकर्ता को फारवर्ड कर देते हैं। वहाँ यह फोन काल प्रस्तुतकर्ता के साथ-साथ विशेषज्ञ भी हेडफोन के माध्यम से सुनते हैं। प्रस्तुतकर्ता श्रोता से परिचय जानने के बाद प्रश्न पूछने का अनुरोध करता है। इसके बाद ही विशेषज्ञ उत्तर देते हैं। कई बार स्टुडियो में दो या तीन विशेषज्ञ हो सकते हैं।

17.8.2 डायल-आउट

इस प्रकार के फोन-इन कार्यक्रम में स्टुडियो से बाहर फोन करने की सुविधा होती है। इससे प्रस्तुतकर्ता या उसके सहायक श्रोताओं को फोन कर उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस व्यवस्था से श्रोताओं को फोन-इन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बार-बार टेलीफोन नहीं करना पड़ता। सहायक को टेलीफोन का नम्बर लिखा देने के बाद उनसे सम्पर्क किया जाता है। इससे भागीदारी बढ़ती है। डायल-आउट कार्यक्रम के माध्यम से कभी-कभी श्रोताओं को चकित करने में भी सहायता मिलती है। रेडियो केन्द्र टेलीफोन डायरेक्टरी में से कुछ नाम चुनकर उन्हें फोन करके कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
प्रसारण की दृष्टि से भी फोन-इन कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

1. सीधे प्रसारण वाले फोन-इन कार्यक्रम।
2. रिकार्ड किए गए फोन-इन कार्यक्रम।

सीधे प्रसारण वाले फोन-इन कार्यक्रम

सीधे प्रसारित होने वाले फोन-इन कार्यक्रमों में कार्यक्रम संचालक, विशेषज्ञ और श्रोताओं की बातचीत सीधी प्रसारित होती है। कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान ही परिवर्तन हो सकता है। उसमें सम्पादन करना संभव नहीं होता।

रिकार्ड किए गए फोन-इन कार्यक्रम

रिकार्ड किए गए फोन-इन कार्यक्रम की प्रक्रिया तो सीधे प्रसारण जैसी ही होती है किन्तु पूरे कार्यक्रम को पहले रिकार्ड कर लिया जाता है। सम्पादन के बाद उसका प्रसारण किया जाता है। अक्सर सीधे प्रसारित हो रहे कार्यक्रम की रिकार्डिंग साथ-साथ कर ली जाती है। ऐसे कार्यक्रम बाद में पुर्नप्रसारित करने में सुविधा रहती है।

फोन-इन कार्यक्रमों का उपयोग अब सभी प्रकार के श्रोताओं के लिए होने लगा है। स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, महिला जगत और समाचारों के प्रसारण में भी फोन-इन कार्यक्रमों का उपयोग बढ़ रहा है। एफ.एम. चैनल श्रोताओं की पसंद के गीत सुनाने, उनसे अनौपचारिक बातचीत करने और श्रोताओं की उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए फोन-इन कार्यक्रमों का प्रयोग करते हैं। एफ.एम. चैनल में आमतौर से प्रस्तुतकर्ता सीधे ही टेलीफोन पर बात करता है। वह स्वयं भी टेलीफोन डायल कर श्रोताओं से बातचीत कर लेता है। फिल्मी गीतों पर आधारित लम्बे कार्यक्रमों में रोचकता लाने के लिए श्रोताओं की भागीदारी सहायक है। फोन-इन कार्यक्रम के माध्यम से वे बड़े अधिकारियों से सीधी बातचीत कर अनेक समस्याओं का समाधान भी करा लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित परामर्श देने के लिए फोन-इन कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञानवाणी चैनल पर भी फोन-इन कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

फोन-इन कार्यक्रम की मदद से दूर-दराज के क्षेत्रों में उपस्थित विशेषज्ञों और सेलिब्रिटीज से भी साक्षात्कार लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) केन्द्र ने मुम्बई के अनेक नामी फिल्मी सितारों और गायकों से साक्षात्कार फोन के माध्यम से कर लोकप्रियता अर्जित की है।

17.9 फोन-इन कार्यक्रमों का प्रबंधन

फोन-इन कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए समुचित तकनीकी प्रबंध और कार्यक्रम की सुदृढ पूर्व-योजना तैयार करना आवश्यक है। कार्यक्रम संचालक और प्रस्तुतकर्ता के मस्तिष्क में फोन-इन कार्यक्रम का उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए।

17.9.1 तकनीकी सुविधाएँ

फोन-इन कार्यक्रम के लिए अलग से टेलीफोन नम्बर वाले उपकरण स्टुडियो में उपलब्ध होने चाहिए। कार्यालय के सामान्य टेलीफोनों पर लोग कार्यक्रम से हटकर अनेक कारणों से टेलीफोन करते रहते हैं। वे लाइनें व्यस्त हो सकती हैं। इसीलिए केन्द्रों पर टेलीफोन लाइनों की अलग व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। इससे श्रोताओं को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वैसे तो फोन-इन कार्यक्रमों के लिए अलग से टेलीफोन उपकरण आते हैं। किन्तु आमतौर से जिन तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। उनमें सम्मिलित हैं -

- प्रसारण से हटकर टेलीफोन पर उत्तर देने की सुविधा
- एक साथ एक से अधिक टेलीफोन कॉल (4 या 5) रिसीव करने का प्रबंध
- कॉल को रोके (होल्डिंग) रखने की सुविधा ताकि उसे समुचित समय पर स्टुडियो से जोड़ा जा सके। स्टुडियो में निरंतर वार्तालाप जारी रहता है । उसे समुचित स्थान पर ही काटा जा सकता है।
- स्टुडियो से बाहर डायल करने की सुविधा ताकि श्रोताओं (प्रतीक्षारत) से पुनः सम्बंध स्थापित हो सके।

फोन-इन कार्यक्रम में प्रयोग आ रहे टेलीफोन के विशेष उपकरणों में उपर्युक्त सभी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछेक तकनीकी व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं।

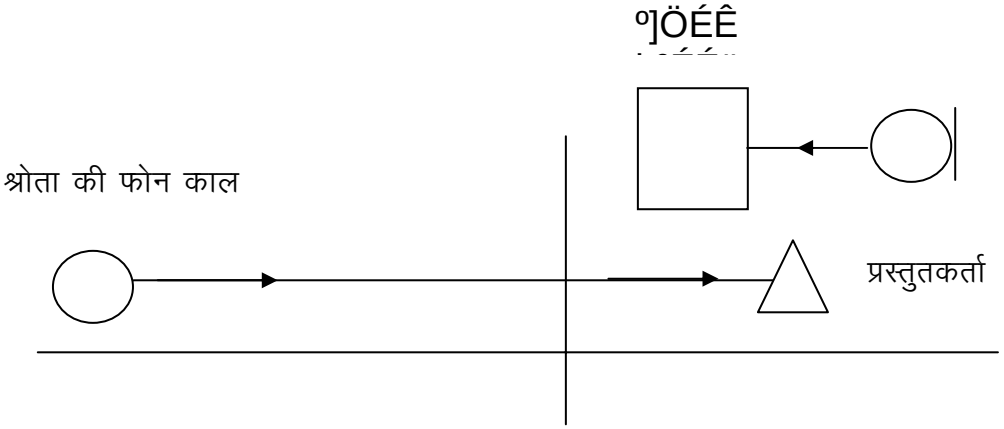

चित्र-1 श्रोता और प्रस्तुतकर्ता के बीच सीधा टेलीफोन

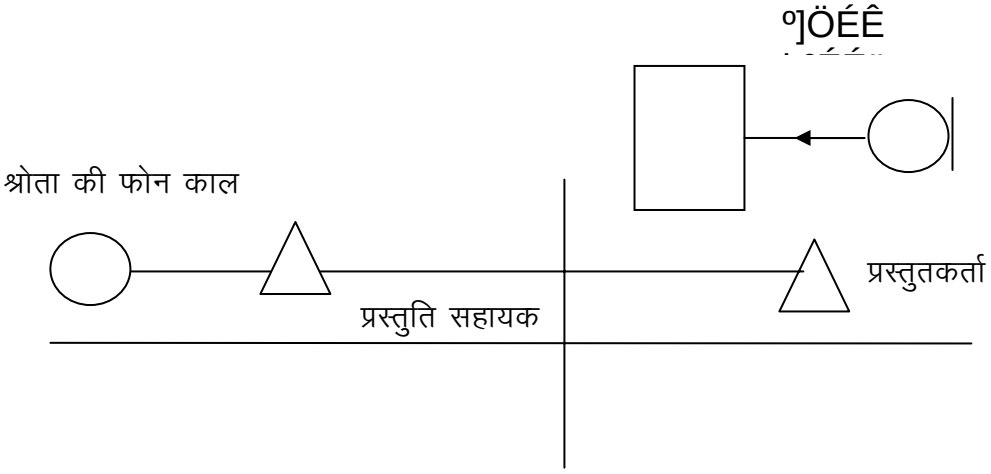

चित्र-2 श्रोता का टेलीफोन पहले एक प्रस्तुति सहायक सुनता है और प्रस्तुतकर्ता को उसकी सूचना देता है।

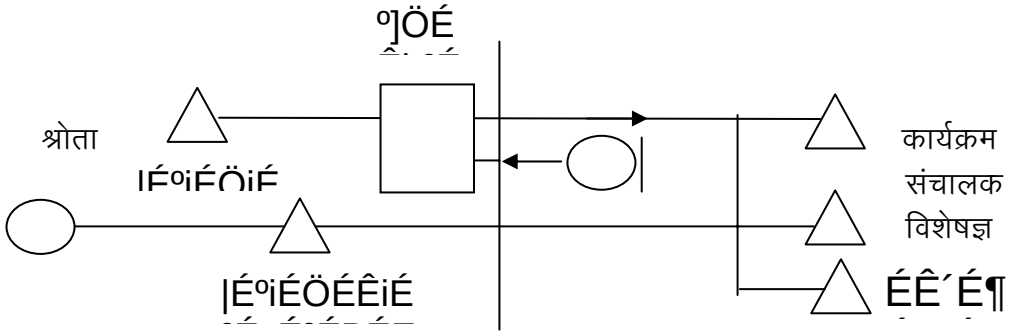

चित्र-3 विषय विशेषज्ञ, कार्यक्रम संचालक, प्रस्तुति सहायक और प्रस्तुतकर्ता के बीच संबंध

17.9.2 फोन-इन कार्यक्रम का संचालन

फोन-इन कार्यक्रमों में प्रस्तुति सहायक, प्रस्तुतकर्ता प्रोड्यूसर-कार्यक्रम प्रभारी और कार्यक्रम संचालक की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं।

प्रस्तुतकर्ता

फोन-इन कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को निम्न बिंदुओं पर विचार कर समुचित व्यवस्थाएँ करनी चाहिए ।

- फोन-इन कार्यक्रम हेतु टेलीफोन व्यवस्था की जाँच-पड़ताल।
- टेलीफोन करने वाले श्रोताओं चाहे वे प्रसारित न भी हों की कुल संख्या का लेखा-जोखा रखने का प्रबंध।
- कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य का निर्धारण।
- विशेषज्ञों का चुनाव और वैकल्पिक व्यवस्था।
- आवश्यक संदर्भ सामग्री का प्रबंध।
- कार्यक्रम की रिकार्डिंग साथ-साथ करने की व्यवस्था।
- विशेषज्ञों को कार्यक्रम की कार्यप्रणाली, पृष्ठभूमि आदि की समुचित जानकारी प्रदान करना।

प्रस्तुति सहायक

- प्रसारण से पहले श्रोता की टेलीफोन कॉल सुनकर उन्हें समुचित निर्देश देना जैसे अपना प्रश्न संक्षिप्त रखें। अपना ट्रांजिस्टर सेट फोन से दूर रखें अन्यथा प्रतिध्वनि सुनाई देगी।....थोड़ी ही देर में आपको स्टुडियो से जोड़ रहा हूं.....कृपया लाइन पर बने रहें आदि।
- रजिस्टर में श्रोता का नाम और टेलीफोन नम्बर दर्ज करना।
- तकनीकी कर्मचारियों से सहायता के लिए समन्वय बनाए रखना।
- कार्यक्रम की समय-सीमा का ध्यान रखना और प्रस्तुतकर्ता/कार्यक्रम संचालक को संकेतों से उसका स्मरण दिलाना।
- कार्यक्रम को साथ-साथ टेप/सीडी पर रिकार्ड करना।
- प्रस्तुतकर्ता के निर्देशों का पालन करना।

कार्यक्रम संचालकः सूत्रधार

फोन-इन कार्यक्रम में स्टुडियो से उसका समुचित संचालन करने के लिए कार्यक्रम संचालक या सूत्रधार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में श्रोताओं का सीधा संबंध पहले उसी से स्थापित होता है। कार्यक्रम संचालक के प्रमुख के दायित्व इस प्रकार हैं :

- फोन-इन कार्यक्रम की शुरूआत में श्रोताओं और आमंत्रित विशेषज्ञों का स्वागत माइक्रोफोन पर करना। विशेषज्ञों का परिचय देना।
- श्रोताओं को फोन-इन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना और कार्यक्रम का टेलीफोन नम्बर बताना और बीच-बीच में उसकी आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति करना।
- फोन-इन कार्यक्रम के मुख्य विषय की भूमिका बांधना और विषय-विशेषज्ञों से बातचीत की शुरूआत करना।
- श्रोताओं के फोन सुनकर समुचित विशेषज्ञों से उनके प्रश्नों के उत्तर देने का अनुरोध करना। आवश्यक होने पर पूरक प्रश्न पूछना और श्रोता के मूल प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करना।
- अनावश्यक प्रश्न को शालीनता से काटकर बातचीत जारी रखना।

एक अच्छा फोन-इन कार्यक्रम संचालक वही हो सकता है जिसका सामान्यज्ञान अच्छा हो, जो सामयिक घटनाओं के प्रति सचेत हो और जिसकी रूचि सभी प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत करने में हो। उसे अवसर के अनुकूल निर्णय लेने के लिए चुटीलेपन, शांति और कभी-कभार कुछ सख्ती करने की आदत भी होना चाहिए। श्रोताओं और विशेषज्ञों से उसका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। सीधे अपनी बात पर आने, सही तथ्यों को प्रस्तुत करने, भावनाओं में बहने से बचने और ऊंची आवाज में बात न करने की आदत होनी चाहिए। उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता और सभी विशेषज्ञ एक साथ बात न करें अन्यथा सबकी बातचीत महज शोर में बदल सकती है। टेलीफोन कॉलों में से सभी को कार्यक्रम में सम्मिलित करना संभव नहीं होता। कार्यक्रम संचालक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि श्रोता किस प्रकार के फोन सुनना पसंद नहीं करते। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

- हर फोन-इन कार्यक्रम में 'नियमित' रूप से भागीदारी चाहने वाले श्रोता।
- अशालीन भाषा, आक्रामक प्रश्न, अनावश्यक विवाद और धमकाने वाले श्रोताओं के फोन।
- विशेषज्ञ को बीच-बीच में बार-बार टोकने वाले श्रोता।
- जिनकी आवाज़ स्पष्ट न हो । प्रसारण योग्य स्वर न होने पर भी श्रोताओं को अरुचि होती है।
- सस्ती लोकप्रियता की ललक वाले श्रोता जो विषय पर बात न करके केवल अपने ज्ञान और उपलब्धियों का बखान करने में रूचि रखते हैं।
- ऐसे श्रोताओं से बचने के लिए कार्यक्रम संचालक क्या करें ? वे शालीनता के साथ कुछ उत्तर दे सकते हैं । उदाहरणार्थ-
- मुझे खेद है इस विषय पर पहले ही बताया जा चुका है.....
- इस कार्यक्रम में आपकी समस्या का समाधान संभव नहीं है.....आप.....से सम्पर्क कर सकते हैं।
- आपका प्रश्न आज के कार्यक्रम के विषय से जुड़ा नहीं है.....फिर कभी इसका समाधान करेंगे।
- लगता है टेलीफोन लाइन से खराब आवाज़ आ रही है.....बात समझना कठिन है.....
- लगता है आप विषय से हट रहे है.....मूल मुद्दा है.....

- अभी कई लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं.....
- धन्यवाद.....

फोन-इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जन-भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके लिए सभी को मिल-जुलकर कारगर प्रयास करना चाहिए।

17.10 सारांश

जनतंत्र में देश की हरेक गतिविधि में जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जनसंचार माध्यम भी इसके अपवाद नहीं है। समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो जैसे सशक्त जनसंचार माध्यम जन-सहभगिता के अपने कार्यक्रमों में जन-भागीदारी के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। सम्पादक के नाम पत्र, जनमत संग्रह और कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी इसके प्रमाण हैं।

रेडियो में जन-सहभागिता बढ़ाने की कोशिशें प्रारंभ से ही होती रही हैं। अनेक फरमाइशी कार्यक्रम श्रोताओं की भागीदारी और पत्रों के माध्यम से ही सफलतम माने गए। श्रोता अपना नाम रेडियो पर सुनकर अपने को गौरवान्वित मानते रहे। स्थल रिकार्डिंग पर आधारित कार्यक्रमों, डाक्युमेंटरीज़, वॉक्स-पॉप , फोन-इन कार्यक्रम रेडियो ब्रिज आदि कार्यक्रम जन-सहभागिता बढ़ाने में कारगर रहे हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित कार्यक्रम-संगीत सभाएँ, प्रश्नमंच, चैटशो आदि ने भी जन-भागीदारी को बढ़ावा दिया है। जन-सहभागी कार्यक्रमों में सबसे अधिक लोकप्रियता फोन-इन कार्यक्रमोंको मिल रही है। फोन-इन कार्यक्रमों डायल-इन और डायल-आउट दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनके उचित संचालन के लिए प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुति सहायक, तकनीकी अनुभाग, कार्यक्रम संचालक और स्टुडियो में उपस्थित विषय-विशेषज्ञों तथा श्रोताओं के बीच समुचित सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम को रोचक, उपयोगी और सफल बना सकते हैं।

17.11 प्रश्न

1. जनसहभागिता कार्यक्रमों की आवश्यकता और उपयोगिता का विवेचन कीजिए।
2. विभिन्न प्रकार के जनसहभागिता कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए और बताइए कि रेडियो कार्यक्रमों में जनसहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?

इकाई 18 संगीत कार्यक्रम

इकाई की रुपरेखा

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 संगीत का सामान्य ज्ञान
  18.2.1 शास्त्रीय संगीत
  18.2.2 सुगम संगीत
  18.2.3 लोक संगीत
  18.2.4 आदिवासी संगीत
  18.3.5 तटीय संगीत
  18.2.6 फिल्म संगीत
18.3 आकाशवाणी से प्रसारित संगीत के प्रमुख कार्यक्रम
  18.3.1 संगीत पत्रिका
  18.3.2 संगीत रूपक
  18.3.3 आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष संगीत सभा
  18.3.4 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम
18.4 स्वर परीक्षा
18.5 संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति
18.6 कार्यक्रम समायोजना को प्रभावित करने वाले कारक
  18.6.1 स्थानीय परिवेश
  18.6.2 भौगोलिक आधार
  18.6.3 सामाजिक संरचना
  18.6.4 सांस्कृतिक विरासत
18.7 सारांश
18.8 प्रश्न

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से आप रेडियो में संगीत कार्यक्रमों की समायोजना एवं प्रस्तुति के बारे में परिचित होंगे। संगीत के सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होगी। रेडियो द्वारा प्रसारित संगीत की विभिन्न विधाओं के बारे में आप जान सकेंगे। रेडियो में स्वर परीक्षा की अवधारणा के बारे में आपको ज्ञान होगा। संगीत की प्रस्तुति में महत्वपूर्ण कारक और अन्य तत्व जो प्रस्तुति में सहायक होते हैं उनके बारे में जानकारी।

18.1 प्रस्तावना

भारतीय शास्त्रीय संगीत चाहे वे उत्तर भारतीय संगीत हों या कर्नाटक संगीत (हिन्दोस्तानी संगीत) या फिर विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत इन सब विभिन्न विधाओं को संजोने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय करने में, उसे संग्रह करने में, कलाकारों को लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी एक मात्र अग्रणी संस्था रही है । इसी के फलस्वरूप आज आकाशवाणी के पैनल पर 40 हजार से भी अधिक कलाकार हैं जिनमें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत शामिल है। आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों ने जहाँ संगीत को घर-घर तक पहुँचाया वहीं केन्द्रीय एकांश ने संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रमों एवं संगीत सम्मेलनों में विभिन्न स्थानों पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष चिरपरिचित

कलाकारों को प्रस्तुत कर, भारतीय संस्कृति की इस महत्वपूर्ण धरोहर को अभी तक संजोए रखा है। शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीयता को बनाए रखने में आकाशवाणी की स्वर परीक्षा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक सिद्ध हुई है। जिसकी साख राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुति चाहे वह फिल्म संगीत हो या लोक संगीत या फिर शास्त्रीय संगीत उनको प्रभावित करने में उस क्षेत्र का सांस्कृतिक परिवेश, जनाभिरूचि और प्रशासनिक संरक्षण अपना प्रमुख स्थान रखता है। इस इकाई के माध्यम से आप ये स्पष्ट रूप से जान पाएँगे कि संगीत की विभिन्न विधाएँ चाहे वो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन या फिल्म संगीत, इनका तकनीकी विश्लेषण क्या है और एक प्रसारणकर्ता की हैसियत से इस ज्ञान के माध्यम द्वारा आप एक संगीत के अच्छे कार्यक्रम को कैसे प्रस्तुत कर सकेंगे, इन सब में यह सहायक होगी।

18.2 संगीत का सामान्य ज्ञान

"गीतं, वाद्यं च नृत्यं, त्रयं संगीतमुच्चते" (संगीत रत्नाकर)। गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का सम्मिश्रण संगीत कहलाता है। 'संगीत' शब्द 'गीत' शब्द में 'सम' उपसर्ग लगाकर बना है। 'सम' यानी 'सहित' गीत अर्थात गायन। 'गायन के सहित' अर्थात अंग भूत क्रियाओं (नृत्य) एवं वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। आकाशवाणी क्योंकि श्रव्य संस्था है इसलिए यहां पर हम सिर्फ गायन और वादन की चर्चा करेंगे।

गायन-वादन में स्वर का बड़ा महत्व है। ऐसी मधुर ध्वनि जो व्यवस्थित हो और जो कानों को अच्छी लगे उसे स्वर कहा जाता है। स्वर के दो प्रकार हैं पहला आहत-जो कानों के द्वारा सुना जा सके। अनाहत जो मात्र महसूस किया जा सके। जिसे भारतीय योगियों और मनीषियों ने अपने योग शास्त्र में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उत्तर भारत हो या कर्नाटक संगीत इनमें सात स्वर पाए जाते हैं।

1. षड़ज् - सा
2. ऋषभ - रे
3. गांधार - ग
4. मध्यम् - म
5. पंचम् - प
6. धैवत - ध
7. निषाद - नी

इन सातों स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक तीन प्रकार के हैं - मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, तार सप्तक। भारतीय शास्त्रकारों ने स्वरों में श्रुतियों का बड़े सुंदर ढंग से विवेचन किया है। भारतीय संगीत में 22 श्रुतियों का वर्णन मिलता है। इसमें षड़ज् की चार, ऋषभ की तीन, गांधार की दो, मध्यम् की चार, पंचम् की चार, धैवत की तीन तथा निषाद की दो श्रुतियां मानी गई हैं :

श्रुति विभाजन

षड़ज

1. तीव्रा
2. कुमुद्वती
3. मन्दा
4. छन्दोवती

ऋषभ

1. दयावती
2. रंजनी
3. रक्तिका

गांधार

1. रौद्री
2. क्रोधा

मध्यम

1. वज्रिका
2. प्रसारिणी
3. प्रीति
4. मार्जनी

पंचम

1. क्षिति
2. रक्ता
3. संदीपनी
4. आलापिनी

धैवत

1. मदन्ति
2. रोहिणी
3. रम्या

निषाद

1. उग्रा
2. क्षोभिणी

भारत में संगीत की दो पद्धतियां हैं उत्तर भारतीय संगीत एवं कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत संगीत शेष भारत में।

1. दोनों पद्धतियों में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर स्थान है
2. दोनों पद्धतियों में आलाप गायन स्वीकार किया गया है।
3. दोनों में ही आलाप तथा बंदिशें गाई जाती हैं।
4. उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाटों से रागों से उत्पत्ति मानी है किन्तु कर्नाटक संगीत में 72 जनक मेलों का प्रमाण मिलता है।
5. दोनों पद्धतियों में ताल भिन्न-भिन्न होते हैं।

उत्तर भारतीय संगीत में निम्न विधाओं का प्रसारण आकाशवाणी से नियमित रूप से किया जाता है।

18.2.1 शास्त्रीय संगीत

गायन

ध्रुपद

ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। इनमें वीर, श्रृंगार और शांत रस का बाहुल्य होता है। ध्रुपद लय प्रधान होता है। इनमें तानों का प्रयोग नहीं होता।

धमार

धमार का अर्थ भड़काना, शब्द करना और बजाना है। धमार शैली में लय की चंचलता होती है और कलाकार लय के विभिन्न चमत्कार इसके अंतर्गत प्रदर्शित करता है।

ख्याल

ख्याल की सांगीतिक रचना लालित्य से परिपूर्ण होती है। जैसे मीड़, मुर्की, खटका, कण आदि। ख्याल में तानों का प्रयोग होता है तथा इसमें तालबद्ध मूर्छना का प्रयोग होता है। ख्याल दो प्रकार के होते हैं- विलंबित एवं द्रुत ख्याल। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ विचार या कल्पना है। ख्याल शब्द ध्यान का भी अनुवाद है।

ठुमरी, दादरा

ठुमरी

ठुमरी का विषय नायिका के अंदर की असंख्य भाव लहरियों का चित्रण, स्वरों का भावानुकूल वैचित्रिक प्रयोग प्रमुख पक्ष है। ठुमरी में स्वर और शब्द दोनों परस्पर पूरक हैं। दादरा भी इसी का उप अंग है।

टप्पा

इस शैली का प्रचार पंजाब में 18 सौ शताब्दी में शौरीमियां ने किया। इसमें शब्दों के साथ-साथ गले की तैयारी और उसकी तीव्रता का प्रदर्शन किया जाता है।

वादन

इस विधा के अंतर्गत भारतीय संगीत मानक के अंतर्गत जो भी वाद्य आता है उसे आकाशवाणी केन्द्र प्रसारित करते हैं।

मुख्य वाद्य

सारंगी, सितार, सरोद, वायलिन, गिटार, बांसुरी, दिलरूबा, तारशहनाई, शहनाई, नादस्वरम्, विचित्र वीणा, रूद्र वीणा, सरस्वति वीणा, मृदंगम्, पखावज, तबला, कंजीरा, धटम्, आदि।

18.2.2 सुगम संगीत

इस विधा के अंतर्गत निम्नलिखत उप विधाएँ शामिल की जा सकती हैं :

भजन

इस विधा में ऐसी रचनाएँ शामिल की जाती हैं जिसमें भक्ति रस और करूण रस का प्राधान्य हो। आकाशवाणी इस विधा के द्वारा भक्ति रस के प्रमुख कवि और आचार्य जैसे सूरदास, तुलसीदास, नानक, मीरा इत्यादि, इसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के भी, उस प्रदेश में बोली जाने वाली बोली में भी भक्ति रचनाएँ प्रसारित करती हैं।

गीत

ऐसी रचना जिसमें भाव अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है और ये किसी भाषा विशेष या बोली विशेष में लिखे जाते हैं। ऐसी कविता जो विधिवत संगीतबद्ध की जा सके; गीत की श्रेणी में आती है ।

ग़ज़ल

ग़ज़ल अरबी भाषा का स्त्री लिंग शब्द है जिसका अर्थ प्रेम पात्र से वार्तालाप। उर्दू, फारसी और हिन्दुस्तानी ज़ुबां में मिली-जुली कविता को हम ग़ज़ल कह सकते हैं। एक ग़ज़ल में कम से कम पांच शेर होते हैं और प्रत्येक शेर में एक स्वतंत्र भाव होता है। सारे शेर एक ही रदीफ़ और काफ़िया में होते हैं।

कव्वाली

कौल का अर्थ कथन, वचन, बात, प्रवचन, प्रतिज्ञा या विशिष्ट उक्ति है। कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता है। कव्वालों की गान शैली कव्वाली और कव्वालों की गान शैली में गाई जाने वाली ग़ज़लें गेय रूप में कव्वाली कहलाती हैं। कव्वाली में तान, पल्टा, ज़मज़मा, बोल बांट सभी कुछ होता है।

18.2.3 लोक संगीत

जिसका स्वरूप लोक रंजनकारी हो तथा विशिष्ट जन समुदाय की समझ तक ही जो मर्यादित न हो, उसे लोक संगीत कहा जाता है। लोकगीतों का कोई विशिष्ट लेखक नहीं होता अपितु ये समूह द्वारा प्रस्फुटित लोकात्मा के भावों की अभिव्यक्ति हैं।

18.2.4 आदिवासी संगीत

ये संगीत किसी समुदाय विशेष द्वारा गाया बजाया जाता है और इसमें अधिक वाद्यों का प्रयोग नहीं होता और उन गीतों की भाषा एवं लय अत्यधिक सरल होती है। स्वरों का वैचित्र्य भी इसमें बहुत कम परिलक्षित होता है।

18.2.5 तटीय संगीत

ऐसा संगीत जो समुद्र के तट या नदी के तट पर रहने वाले लोगों द्वारा गाया-बजाया जाता है। इस प्रकार के गीत मछुवारों द्वारा गाए-बजाए जाते हैं। इन गीतों का सबसे ज्यादा सदुपयोग भारतीय सिनेमा ने किया है, इन गीतों में पुकार और हृदय का दर्द साफ तौर पर दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा उदहारण बंगाल की भटियाली है और केरल के मछुआ गीत।

18.2.6 फिल्म संगीत

भारतीय समाज के रीति-रिवाजों और उनमें प्रचलित संगीत का सही रूप, साधारणीकरण करके फिल्म उद्योग ने प्रस्तुत किया है। भारत में प्रचलित चाहे शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, ग़ज़ल, गीत, दादरा, लोकगीत इन सब का प्रस्तुतीकरण फिल्मों ने इस अंदाज़ से प्रस्तुत किया कि जन-साधारण को वो रुचिकर लगे और इस उद्देश्य में फिल्म संगीत पूरी तरह खरा उतरा है। इसी का कारण है कि आज फिल्म संगीत भारतीय संगीत की शेष विधाओं पर हावी हो गया है। आकाशवाणी एक मात्र संस्था रही है जिसने फिल्म संगीत और फिल्मी गायकों को घर-घर तक पहुंचाया है। आकाशवाणी के 50 प्रतिशत प्रसारित संगीत के कार्यक्रमों में आधा फिल्म संगीत का योगदान रहता है।

18.3 आकाशवाणी से प्रसारित संगीत के प्रमुख कार्यक्रम

18.3.1 संगीत पत्रिका

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संगीत में होने वाली विभिन्न ताजा घटनाओं का समावेश किया जा सकता है तथा किसी विशेष विषय पर साक्षात्कार या संगीत-विद्वानों के साथ बैठकर उस विषय पर गहन चर्चा की जा सकती है। इस कार्यक्रम के द्वारा संगीत में नए-नए प्रयोगों एवं उसमें आने वाली तकनीकी सूचनाओं के बारे में बातचीत की जाती है ताकि

हमारे संगीत श्रोता जिसमें कलाकार, विद्वान एवं संगीत के विद्यार्थी शामिल हैं इसका फायदा उठा सकें। ये कार्यक्रम खासतौर से संगीत के शोधकर्त्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है।

18.3.2 संगीत रूपक

यह एक ऐसी विधा है जिसमें सांगीतिक छंदों द्वारा किसी एक भाव को या विशेष कथानक को संगीतबद्ध किया जाता है। आकाशवाणी की ये अपने आप में एक मौलिक विधा है। इसमें प्रत्येक छंद में अलग-अलग धुनों एवं संगीत ध्वनि प्रभाव द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रोता उस कथा विशेष में अधिक रूचि लेता है। इसकी अवधि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हो सकती है। इस तरह के संगीत रूपक किसी विशेष पर्व या महत्वपूर्ण घटना या उत्सव को लेकर तैयार किए जा सकते हैं। इसी श्रेणी के अंतर्गत संगीत नाटक (वर्स प्लेज़) को भी शामिल किया जा सकता है।

18.3.3 आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष संगीत सभा

आकाशवाणी का सबसे अधिक योगदान भारतीय संगीत को जीवित रखने में रहा है तथा उसमें सहायक रही है इसके द्वारा आयोजित संगीत सभाएँ। भारतीय परम्परा में लोक गीतों, आदिवासी गीतों तथा अन्य संगीत विधाओं के दंगल गाँवों में और कस्बों में हुआ करते थे और जिसका बाहुल्य प्रत्येक प्रांत में देखने को मिलता था। किन्तु शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत को विधिवत मंच पर लाने की जिम्मेदारी आकाशवाणी ने निभाई। इसके अंतर्गत आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र ने अपने क्षेत्र के उभरते कलाकार एवं दूसरे क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकारों को एक ही मंच पर लाकर श्रोताओं के समक्ष एक तरफ जाने माने कलाकारों को लाया वहीं दूसरी ओर उभरते कलाकारों को प्रतिष्ठित कलाकार बनाने में अवसर भी प्रदान किया। इसी स्पर्द्धा के फलस्वरूप आज आकाशवाणी ने छोटे-बड़े सभी कलाकारों को मिलाकर करीब 40 हजार कलाकार प्रस्तुत किये हैं जो कि अपने आप में विश्व में बहुत बड़ी संख्या है। इन सभाओं के द्वारा आकाशवाणी अपने कलाकारों को समय में मर्यादित रहने की शिक्षा, कम समय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की भावना, वहीं दूसरी ओर श्रोताओं में दत्तचित्त होकर सुनने का अभ्यास और समय पर आने और जाने की मर्यादा की परम्परा आकाशवाणी ने ही डाली है, जबकि ये परम्परा और किसी संस्था में कम पाई जाती है।

क्षेत्रीय सभा

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रत्येक केन्द्र अपने क्षेत्र के कलाकारों को मंच प्रदान करता है। इसी शृंखला के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र एक शृंखला बना कर एक कलाकार को अपने-अपने क्षेत्र के मंच पर मौका देता है जिसके फलस्वरूप एक होनहार कलाकार को राष्ट्रीय मंच मिल सके। उसे बाह्य एजेंसी जैसे कि रिकार्डिंग कम्पनियाँ, फिल्म जगत और अन्य संस्थाएँ सुन सकें और कलाकार की लोकप्रियता को चारचांद लग सके। आज जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वो इन्हीं मंचों की देन हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम आकाशवाणी श्रोताओं के समक्ष तो पेश करती ही है, साथ ही अपने केन्द्र से इसको प्रसारित भी करती है। ताकि ऐसे श्रोता जो उस सभा में शामिल न हो सकें उस कलाकार का रसास्वादन कर सकें। इस प्रकार की रिकार्डिंग प्रांतीय स्तर पर भी प्रसारित करते रहते हैं।

संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी संगीत सभाओं का आयोजन स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी करती है और ये संगीत सम्मेलन केन्द्रीय एकांश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसमें देश के लब्ध-प्रतिष्ठित कलाकार भाग लेते हैं और उन्हीं सभाओं का प्रसारण एक माह तक लगातार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

18.3.4 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम

ऐसे कलाकार जिनका प्रदर्शन क्षेत्रीय सभाओं में उत्कृष्ट रहा हो, आकाशवाणी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शास्त्रीय संगीत का कलाकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने को जीवन का सबसे उत्कृष्ट क्षण मानता है। क्योंकि इसी कार्यक्रम के द्वारा उसे राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और उसके बाद ही चाहे वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो उसे मान्यता प्रदान करती है। आकाशवाणी प्रत्येक शनिवार, रविवार को इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय प्रसारण करती है। माह में एक बार सुगम और क्षेत्रीय संगीत के कार्यक्रम पेश किये जाते हैं, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के सुगम संगीत या लोक संगीत को शामिल किया जाता है।

18.4 स्वर परीक्षा

आकाशवाणी जो आठ दशकों से अपने श्रोताओं की सेवा में संलग्न है जिसने भारतीय संगीत चाहे वो शास्त्रीय हो या लोक इसको संजो के रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रारंभ में कलाकारों को माइक तक लाने में आकाशवाणी को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारतीय संगीत रजवाड़ों में, मंदिरों में या कोठों तक सीमित था। कलाकारों के अंदर व्याप्त रूढ़िवादिता और रजवाड़ों से प्रदत्त पांडित्य या उस्ताद होने कि इज्ज़त तथा अपनी वो कला जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से अर्जित किया उसके बँट जाने का भय - ये सब व्यवधान 1950 के दशक में आकाशवाणी को झेलने पड़े। किन्तु आकाशवाणी के कुशल प्रशासनकर्ताओं ने हार नहीं मानी और उन्होंने प्रतिष्ठित कलाकारों को आकाशवाणी के स्टुडियो तक लाने में सफलता प्राप्त की। धीरे-धीरे कलाकारों की संख्या बढ़ी और आकाशवाणी के सामने ये समस्या आयी कि विधिवत चयन कैसे किया जाए? इसी पर काबू पाने के लिए आकाशवाणी ने स्वर परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत पहले कलाकारों का स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर चयन किया जाता है, तत्पश्चात केन्द्रीय स्तर पर महानिदेशालय में म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड द्वारा कलाकार को श्रेणी प्रदान की जाती है और ये श्रेणी निम्न प्रकार की होती है :

1. बी
2. बी-हाई
3. ए
4. टॉप

टॉप श्रेणी आकाशवाणी के द्वारा कलाकारों के प्रति एक सम्मानजनक सूचक होती है। इस उपाधि को प्रदान करने के लिए देश के लब्द्ध प्रतिष्ठित सात कलाकारों का एक बोर्ड होता है जो ये निश्चित करता है कि किस कलाकार को टॉप श्रेणी प्रदान की जाए। आकाशवाणी के द्वारा प्रदत्त उक्त श्रेणियों की मान्यता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। वर्तमान में यदि आप रेडियो से श्रेणी प्राप्त नहीं हैं तो आपको कोई भी संगीत संस्था चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय - अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के

लिए झिझकती है। वर्तमान में आकाशवाणी ने ऐसी श्रेणी का प्रावधान रखा है जिसके अंतर्गत देश के ऐसे वयोवृद्ध कलाकार जिन्होंने भारतीय संगीत की टॉप श्रेणी में रहकर रचनात्मक सेवा की है उनको आकाशवाणी ने एक विशेष दर्जा प्रदान किया है।

18.5 संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति

किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पूर्व उसका विधिवत समायोजन करना बहुत आवश्यक है यदि आपके परिवार में ही आय का सही रख-रखाव व्यवस्थित न हो तो परिवार का चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रसारण में कार्यक्रम की विधिवत रूप रेखा और उसका सुनियोजित समायोजन नहीं किया जाए तो अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करना मुश्किल होगा। कार्यक्रम समायोजन का महत्व सबसे पहले यदि विधिपूर्वक कार्यक्रम को समायोजित किया जाए तो उससे कथानक के केन्द्र बिन्दु की सही प्रस्तुति करने में प्रस्तुतकर्त्ता को सहायता मिलती है। और यदि केन्द्र बिन्दु का सही निरूपण होता है तो उसका प्रभाव श्रोताओं पर सही दिशा में पड़ता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति करने जा रहे हैं और उसमें उस्ताद अब्दुल करीम ख़ां पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना है तो हमें ध्यान देना है कि खां साहब किस घराने से संबंधित रहे? उन्होंने किनसे तालीम ली? उनके गाने में क्या खासियत थी? उन्होंने किस प्रकार से अपनी आवाज़ कलाम को बनाया? उनके समय में संगीत का संरक्षण कैसा था? क्या उनकी संगीत शैली वर्तमान परिवेश में ग्राह्य है या नहीं? इन सब बिन्दुओं पर यदि कोई प्रस्तोता ध्यान नहीं देगा तो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब पर कार्यक्रम निरर्थक साबित होगा।

किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए उसका दूरदर्शी होना आवश्यक है। यदि ये तत्व कार्यक्रम में विद्यमान नहीं हैं तो वे कार्यक्रम शोधपूर्ण कदापि नहीं हो सकते। अच्छे कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि उस कार्यक्रम की आलोचना और समालोचना हो ताकि भविष्य के कार्यक्रम की प्रस्तुति और अच्छी हो सके।

18.6 कार्यक्रम समायोजना को प्रभावित करने वाले कारक

18.6.1 स्थानीय परिवेश

किसी भी संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति पर वहाँ के स्थानीय परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर शास्त्रीय संगीत का बाहुल्य है और आप रेडियो से ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसमें शास्त्रीय संगीत नगण्य और दूसरा संगीत अधिक, तो निश्चय ही वहाँ का स्थानीय श्रोता आपके कार्यक्रमों की अनदेखी करेगा इसलिए एक अच्छे प्रस्तोता के लिए स्थानीय परिवेश का गहन अध्ययन करना आवश्यक है।

18.6.2 भौगोलिक आधार

किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति में उस क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ उस क्षेत्र के ध्वनि संस्कार, वाद्य यंत्र इत्यादि को प्रभावित करती हैं। यदि आप शुष्क प्रदेश में प्रसारण कर रहे हैं तो आपको ऐसे संगीत को प्रसारित करना पड़ेगा जिसमें उस क्षेत्र के कलाकारों की भागीदारी अधिक हो तथा सुलभ हो। ऐसे ही सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ये सिद्धांत लागू होता है।

18.6.3 सामाजिक संरचना

संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए किसी क्षेत्र विशेष में किस तरह के समाज का प्राधान्य है, यह बात प्रस्तोता को ध्यान में रखनी होगी। मानो एक ऐसा समाज जो संगीत को महत्व नहीं देता है और वहां पर संगीत कार्यक्रमों का बाहुल्य हो तो निश्चय ही यह कार्यक्रम निरर्थक सिद्ध होगा, किन्तु एक अच्छे प्रसारणकर्ता की हैसियत से यह सराहनीय होगा यदि आप संगीत के प्रति उस क्षेत्र में भी सशक्त जन अभीरूचि पैदा करें ताकि उस क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा को उन लोगों तक ला सके जो लोग कल तक इसे पसंद नहीं करते थे।

18.6.4 सांस्कृतिक विरासत

संगीत के कार्यक्रम की प्रस्तुति में उस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तत्व को मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। यदि आप ग्वालियर से शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तानसेन के ऊपर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको बहुलता में तानसेन के ऊपर सामग्री उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि तानसेन उस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर हैं।

एक अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए प्रस्तोता का जिज्ञासु एवं शोध दृष्टियुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय उसको ये ध्यान में रखना होगा कि उसके कार्य क्षेत्र में कितने संगीत महाविद्यालय हैं? कितनी संगीत संस्थाएँ हैं, संगीत विद्यार्थी कितने हैं? श्रोताओं में संगीत अभिरूचि कैसी है? संगीत के लिए शासकीय संरक्षण कहां तक प्राप्त है? अच्छा हो यदि संगीत प्रस्तोता को संगीत का सामान्य ज्ञान एवं संगीत के वाद्यों की जानकारी भी हो। उत्तर भारतीय संगीत में रागों का समय चक्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उचित हो यदि कुछ रागों के समय का ज्ञान संगीत प्रस्तोता को हो। सामान्य जानकारी के लिए कुछ रागों का नाम एवं समय यहां देना उचित होगा।

प्रातःकालीन रागः- भैरव, तोड़ी, विभास, रामकली

दोपहर के रागः- शुद्ध सारंग, वृंदावनी सारंग, बड़हंस सारंग तथा अन्य सारंग के प्रकार

अपराह्न के रागः- भीम पलासी, पटदीप, बरवा, मुल्तानी

सांय कालीन रागः- भूपाली, मारवा, हमीर, सांज, रेवा, मधुवंती

रात्रि कालीन रागः- मालकोंस, नट, बागेश्वरी, केदार, दुर्गा इत्यादि

कुछ राग ऐसे हैं जो सदासुहागिन हैं जिन्हें उप शास्त्रीय संगीत में गाया-बजाया जाता है जैसे भैरवी, खमांज, सोहनी, मिश्रदेश, पीलू इत्यादि।

एक अच्छे प्रस्तोता के लिए आवश्यक है कि वो अपने साथ कार्य करने वाले साथियों के साथ मधुर संबंध रखे तथा उसे स्टुडियो, माइक, कंसोल तथा एडीटिंग और डबिंग का पूरा ज्ञान हो।

18.7 सारांश

आकाशवाणी एकमात्र ऐसी संस्था रही है जिसने शास्त्रीय संगीत चाहे वो उत्तर भारतीय हो या कर्नाटक - इसको यथास्थिति में रखने का पूर्ण योगदान दिया है। संगीत जैसा क्लिष्ट विषय जिसको समझने के लिए बरसों की तपस्या आवश्यक है, उसको सरल

रूप में आकाशवाणी प्रस्तुत करती रही है। चाहे वो कर्नाटक संगीत की कृति हो या उत्तर भारतीय संगीत का ध्रुपद, ख्याल या सुगम संगीत के भजन, ग़ज़ल या फिर फिल्म संगीत के सुहावने गीत। आकाशवाणी से प्रसारित संगीत शिक्षा कार्यक्रम चाहे वो संगीत पत्रिका हो या संगीत के विशेष शोधपूर्ण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के द्वारा संगीत के विद्यार्थी तथा संगीतज्ञों सभी को समान रूप से लाभ होता है। आकाशवाणी ने गत आठ दशकों में अपने अथक प्रयासों से चाहे वो आकाशवाणी से प्रसारित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या फिर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष संगीत सभा - उनके जरिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार प्रस्तुत किए हैं। इस पर आकाशवाणी को गर्व है। इन सब कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, चाहे वो समाजिक हों या शासकीय, भौगोलिक हों या मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक हों या ग्रामीण यदि उनकी अनदेखी की गई तो अच्छे प्रस्तोता अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक अच्छे प्रसारणकर्ता बनने के लिए शोधपूर्ण दृष्टि रखना आवश्यक है।

18.8 प्रश्न

1. भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां हैं?
2. आकाशवाणी के केन्द्रीय एकांश द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं?
3. आकाशवाणी द्वारा आयोजित स्वर परीक्षा में कितनी श्रेणियां होती हैं?
4. कार्यक्रम समायोजना को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं?
5. संगीत की कौन-कौन सी विधाएं आकाशवाणी से प्रसारित की जाती हैं?

इस खंड के लिए अभ्यास

अभ्यास-1

1. कृपया निम्नलिखित जानकारी को रेडियोवार्ता के रूप में लिखिए

"हाल ही के वर्षों में बड़े शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण से उत्पन्न जटिलताओं की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। यद्यपि वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार अनेक संदूषकों पर जानकारी उपलब्ध है परंतु अब भी कई संदूषक अज्ञात बने हुए हैं। मनुष्य की सभी गतिविधियों, जीवित पदार्थों की जैविक क्रियाओं के परिणामस्वरूप वायुमंडलीय गैसों, वाष्पकणों, धूलकणों और एथरोसॉल (वायु विलय तत्वों) से निरंतर प्रभावित होता रहता है। इन तत्वों की प्रकृति, उनके गुणों और व्यवहार पर अध्ययन करना वायु प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।

जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से उत्सर्जित पदार्थ प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों के उद्योगों में उत्सर्जित पदार्थों तथा रासायनिक खादों, विलायकों, जीवाशी दवाइयों आदि के व्यापक प्रयोग को वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा सकता है।

मनुष्य को फेफड़े का कैंसर उत्पन्न होने के लिए प्रदूषण एक कारक हो सकता है। सिगरेट, आहार, व्यायाम में कमी, उच्च रक्तदाब और रक्त में लिपिड की मात्रा बढ़ना ऐसे पर्यावरणी कारक हैं, जिनकी हृदयरोग विकसित होने में भूमिका पाई गई है।

विश्व बैंक द्वारा भारत के 36 शहरों में वायु प्रदूषण/स्वास्थ्य के खतरों पर किए गए अधिकांश अनुमानों से संकेत मिला है इन शहरों में वर्तमान स्तर के वायु प्रदूषण के प्रभाव के कारण 40,000 से अधिक असामयिक मौतें हुईं। वायु प्रदूषण घटाकर इन मौतों को रोका जा सकता है।"

2. निम्नलिखित विषयों पर रेडियोवार्ता के आरंभिक अंश लिखिए :
   - क. दहेज प्रथा और युवा
   - ख. पर्यटन और मेरा शहर
   - ग. पर्यावरण

3. आप रेडियो पर प्रसारित होने वाला एफ.एम. कार्यक्रम सुनें। यदि आपके शहर तक एफ.एम. कार्यक्रम न पहुँचता हो तो विविध भारती के उन कार्यक्रमों को सुनें, जिनकी कम्पेयरिंग की जाती है। इसके आधार पर कम्पेयरिंग की प्रमुख विशेषताओं को नोट करें। इसके बाद आप स्वयं एक गीत-संगीत का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें सूचना और शिक्षा का भी पुट हो। आप इसमें स्वास्थ्य संबंधी, रोज़गार संबंधी व अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ दे सकते हैं।

अभ्यास-2

1. आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रमों को सुनें और विवरण तैयार करें।

विवरण में : प्रसारण केंद्र, दिनांक, समय, विषय, शीर्षक, लेखक और प्रस्तुतकर्ता के साथ ही कार्यक्रम की अवधि का उल्लेख करें। सुने गए कार्यक्रम के बारे में अपनी राय कम से कम एक पेज पर लिखें।

2. विश्व के अनेक महत्वपूर्ण रेडियो प्रसारण केंद्रों में से कुछ एक को सुनें। जैसे बीबीसी, एबीसी, वायस ऑफ अमेरिका आदि।

3. आकाशवाणी और विश्व के अन्य केंद्रों से प्रसारित रूपकों का तुलनात्मक अध्ययन करें और अपनी टिप्पणी लिखें।

4. आपने रेडियो रूपक से मिलती जुलती कौन कौन सी विधाओं में कार्यक्रम सुने हैं, उनके नाम, विषय और एकरूपता के आधार स्पष्ट करें?

5. अन्य विधाओं और रूपक कार्यक्रमों को सुनने के बाद रूपक के संबध में कोई राय बनी? अन्य विधाओं के साथ तुलना करते हुए अपना मत स्पष्ट करें?

6. आपकी राय में क्या रेडियो रूपकों और डाक्यूड्रामा का वर्गीकरण करना उचित है : यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों?

7. अपनी पसंद के विषय पर आधारित रूपक की उद्घोषणा लिखें।

8. रेडियो रूपक और डाक्यूड्रामा के प्रसारण सुनकर उनकी उद्घोषणा से अपनी उद्घोषणा का मिलान करें।

9. संदर्भ के लिए संलग्न रूपक आलेख की उद्घोषणा का अध्ययन करें।

10. क्या आपकी राय में उद्घोषणा में प्रस्तुत विषय के बारे में बताया जाना चाहिए अथवा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल करना चाहिए।

अभ्यास-3

1. कुछ श्रोताओं से जानकारी लेकर अपना उत्तर लिखें कि किस विधा में धारावाहिक प्रसारण लोकप्रिय हैं।

2. किसी प्रसिद्ध बहुचर्चित रचना को आधार बनाकर धारावाहिक प्रसारण के लिए एक आलेख तैयार कीजिए अथवा अपनी स्वयं की रचना को धारावाहिक प्रसारण के लिए रूपांतरित कीजिए।

3. अपने मन पसंद धारावाहिक के दो एपीसोड्स की संपूर्ण उद्घोषणाएँ लिखिए।

अभ्यास-4

1. दहेज प्रथा भारतीय समाज की बहुत ही अमानवीय प्रथा है। इस पर लगभग 15 मिनट का रेडियो नाटक लिखिए। विषय आपके समक्ष है। इसके लिए स्थितियों और घटनाओं का चयन अपने आस-पास के परिवेश और अपनी जानकारी के आधार पर कीजिए।

2. आपके समाज में बाल मजदूरी एक रोग की तरह व्याप्त है। घरों, दुकानों, फैक्टरियों आदि जैसे स्थानों पर बाल श्रमिक अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बाल मजदूरों पर रेडियो रूपक तैयार करते समय आप साक्षात्कार के लिए कहाँ-कहाँ जाएँगे। किन-किन लोगों से साक्षात्कार करेंगे तथा उनसे क्या-क्या प्रश्न पूछेंगे। व्यक्तियों तथा उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाइए।

3. यहाँ हमने ‘ऊंची होती दीवार’ नामक एक कहानी दी है। इसका रेडियो रूपांतर प्रस्तुत कीजिए। संवादों के साथ-साथ समुचित प्रस्तुति निर्देश भी दीजिए।

ऊँची होती दीवार

घर पहुँचा तो गीता को गुस्से से भरा हुआ पाया। शाम को आफिस से लौटने पर सबसे पहले मुझे इच्छा होती है एक कप चाय की, चाय पीने के बाद ही मैं किसी दूसरी ओर ध्यान दे पाता हूँ और चाय मिलने में देर होने पर एकदम आपा खो देता हूँ। गीता मेरी इस आदत से पूरी तरह परिचित है। इसलिए मुझे देखते ही वह चुपचाप उठी और रसोई की ओर चल दी। मगर उसके तेवर और उसके जाने का ढंग देखकर ही मैं अनुमान लगा गया कि कुछ गड़बड़ है। मगर चूंकि दफ्तर से थका शरीर और उससे अधिक थका हुआ मन लेकर लौटना होता है इसलिए मैं बिना बात किए कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कुछ बीवियों को इतना भी सलीका नहीं होता है कि वे दिन भर के थके हारे पति का घर पहुँचने पर मुस्कराते हुए स्वागत करें, या आते ही दो एक मीठी बात करें और हो सके तो पति के सिर को नर्म-नर्म अंगुलियों से सहला ही दें। वैसे तो आयु के हिसाब से नर्म अंगुलियों वाली बात अशोभनीय लगती है, फिर भी दिल किसका नहीं चाहता और मैं कौन बूढ़ा हो गया हूँ? अभी पैंतालीस ही तो पार किए हैं। मेरे विचारानुसार स्कूलों में प्रत्येक लड़की को अनिवार्य रूप से यह शिक्षा देनी चाहिए कि पति को कैसे खुश रखा जाता है और व्यवहाराचार के मोटे-मोटे नियम बतलाए जाने चाहिए।

कुर्सी पर पड़े-पड़े मैं यह सोचने लगा कि इस हिसाब से मैं अभाग्यशाली हूँ कि मुझे सलीके वाली पत्नी नहीं मिली। पढ़ी लिखी होने पर भी उसमें वह नम्रता और सहजपन नहीं आया। जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है।

फिर यह सोचकर प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कोई लड़की नहीं है, सिर्फ लड़का ही है। अगर लड़की होती, तो न जाने कैसा स्वभाव पाती? इस वक्त तो बी.ए. कर गई होती और शायद अब तक उसकी शादी भी हो गई होती। शादी के बाद उसका पति भी इसी तरह अनुभव करता जिस तरह मैं गीता के प्रति करता हूँ तो कितना बुरा होता? मन ही मन वह शायद मुझे और गीता दोनों को ही गालियाँ देता। यह भी अच्छा है कि सिर्फ अनिल ही है, कोई डर खौफ वाली बात नहीं। अनिल का ध्यान आते ही मैंने चारों और नज़र दौड़ाई, वह मुझे नज़र नहीं आया। रसोई की तरफ मुँह करके मैंने प्रश्न किया -"अनिल कहाँ है"

रसोई से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने ऊंचे से आवाज़ दी -"गीता" प्रत्युत्तर में केवल एक अनावश्यक सी "हूँ" सुनाई दी।

"अनिल कहाँ है?"
"जाएगा कहाँ, होगा वहीं पर।"
"वहीं कहाँ?"
"अपनी बहिन के पास।"
मैंने अगला सवाल करना उचित नहीं समझा।
गीता ने चाय का प्याला सामने पड़ी मेज़ पर लाकर रख दिया और आप सामने आकर बैठ गई।

*****

प्रसूति गृह में लेबर रूम के आस-पास घूमते हुए मुझे दो घंटे हो चले थे। मन बुरी तरह से आशंकित था और दिल घबरा रहा था। कुछ देर पहले एक नर्स निकली थी और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वह भागती हुई अस्पताल के दूसरे हिस्से की ओर चली गई थी। कुछ क्षणों के उपरांत वह दवाइयों की कुछ शीशियाँ लेकर लौटी तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ सका था :

"सिस्टर, सब ठीक तो है?"

"ठीक तो है पर शायद आप्रेशन करना पड़े" और इसके साथ ही वह अंदर चली गई। खट्ट से दरवाजा बंद हुआ और मैं अवाक् खड़ा रह गया। साथ खड़ी, गीता की माँ रोने लगी। मैंने उन्हें ले जाकर बेंच पर बिठाया और सांत्वना देने लगा मगर मैं स्वयं बुरी तरह परेशान था। कुछ देर बाद मैं उन्हें कमरे में बिठा आया और स्वयं फिर लेबर रूम के इर्द-गिर्द चक्कर काटने लगा।

बड़ी अजब सी अनुभूति हो रही थी, अंदर से रह-रहकर गीता के कराहने के स्वर उभर रहे थे, उन स्वरों की आर्द्रता सीधे दिल को छू रही थी। वेदना के उस करुण क्रन्दन को सुनकर मैं गीता की पीड़ा और छटपटाहट का अनुमान लगा सकता था। मेरा दिल हो रहा था कि दरवाजा खोलकर मैं अंदर चला जाऊँ परंतु मैं अस्पताल में था अपने घर में नहीं। मैं और भी एकाग्रता से अंदर की टोह लेने लगा।

उन बेचैनी के क्षणों में मैंने अनुभव किया कि बच्चे के जन्म पर माँ का वास्तव में पुनर्जन्म होता है और फिर बच्चा पैदा करना अपनी ही पत्नी के साथ अत्याचार से कम नहीं।

एकाएक गीता के स्वरों में तनाव आ गया जैसे उसका माँस नोचा जा रहा हो और उसके रोने की आवाजें ऊँची होती चली गईं और फिर एकाएक बंद हो गईं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं बाहर बरामदे में गिर पड़ूँगा। मैं सिर पकड़कर बेंच पर बैठ गया।

इस अवस्था में मैं कोई पन्द्रह मिनट बैठा रहा परंतु मैंने अनुभव किया जैसे पन्द्रह या उससे भी अधिक युग बीत गए हों और बैठा-बैठा बूढ़ा होता जा रहा हूँ।

डॉक्टर बाहर निकली तो उसने मेरी ओर सहानुभूति की दृष्टि से देखा, मेरी बदहवासी का अनुमान लगाया और बोली -"आपकी पत्नी बिलकुल ठीक है परंतु हमें खेद है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके।" इससे पूर्व कि मैं पूछूँ श्क्यों डाक्टर? श वह सहृदय नारी बोली - डिलीवरी इस ढंग से हुई है कि बच्चा बच ही नहीं सकता था।" मैंने भगवान को नमन किया कि गीता तो ठीक से है। बच्चे का क्या है फिर हो जाएगा।

अस्पताल छोड़ते समय डाक्टर ने झिझकते हुए कहा -"आपको अप्रिय तो लगेगा परंतु अप्रिय होने से प्रकृति का चक्कर नहीं रुक जाता। आपकी पत्नी अब फिर माँ नहीं बन सकेंगी।"

इस घटना के बाद मेरे और गीता के मध्य शून्य भरता चला गया। दफ्तर से लौटने पर हम दोनों पाँच-सात मिनट की बात कर पाते तो लगता जैसे अब आगे बात करने को कुछ रह नहीं गया है। बातों की श्रृंखला बार-बार जोड़ने पर भी चाशनी के तार की तरह टूट-टूट जाती। परिणाम यह होता कि मैं चाय पीकर बिस्तर पर लेट जाता या बाहर आंगन में कुर्सी डाल सुबह के पढ़े समाचार पत्र की बासी खबरों का पुनरावलोकन करने लगता। गीता आंगन में टहलने लगती। मैं कभी बाहर घूमने का सुझाव देता तो वह टाल जाती। एकाध बार मेरे बहुत हट करने पर वह गई तो उससे बोझिलता कम नहीं हुई, बढ़ी ही। हम दोनों साथ-साथ चुपचाप चलते रहते, मैं उससे दिल बहलाने वाली एकाध बात करना चाहता परंतु वह औपचारिक रूप से ही मुस्करा पाती।

अस्पताल से आने के बाद वह एकदम गंभीर रहने लगी। चुपचाप वह शून्य में कुछ खोजती रहती। घर में अजीब सा खालीपन भर गया।

दफ्तर में बैठे-बैठे जब घड़ी पांच बजने की सूचना देती तो मेरा मन भारी हो उठता। आफिस की चहल-पहल में दिल लगा रहता था, घर जाने पर फिर उसी भयावह चुप्पी में प्रवेश करना पड़ता। परिणामतः मैं घर लौटने से कतराने लगा, मेरा प्रयास होता कि अधिक से अधिक समय बाहर ही काट दिया जाए।

समय के साथ-साथ मेरी और गीता की दूरी बढ़ती चली गई और उसके साथ ही जीवन में बिखराव आता गया।

*****

उस दिन दफ्तर से घर लौटा तो मुझे कुछ प्रसन्न कर देने वाली अनुभूति हुई। और दिनों की अपेक्षा वातावरण हल्का और आनन्दमय दिखा।

गीता ने घर के दरवाजे पर मुस्करा कर मेरा स्वागत किया। मेरे हाथ से टिफिन लेकर पुराने दिनों की तरह अपनी मुग्ध कर देने वाली आँखों से हंसी और जिज्ञासा बिखरेती हुई वह कमरे के अंदर मेरे साथ-साथ आई। चाय की टेबिल पर रौनक थी और मैं अपने आपको उन पुराने दिनों में पा रहा था।

चाय के बाद गीता ने एक पत्र मेरे हाथ में रख दिया। पत्र माँ का था, लिखा था -"कंचन के घर पुत्र रत्न ने जन्म लिया है, माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं।"

कंचन मुझसे सिर्फ दो साल ही छोटी है परंतु उसकी शादी मेरी शादी से तीन साल पहले हुई थी। शादी के एक साल पश्चात् उसके यहाँ लड़का हुआ फिर दो साल के अंतर पर पुत्री और फिर लगभग ढाई वर्ष उपरांत ससुराल में उसका तीसरा प्रसव हुआ। माँ कुछ दिनों से वहीं पर थीं। उसके बारे में ही लिखा था माँ ने।

पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई और उससे अधिक इस बात पर कि इस समाचार ने गीता में नई चंचलता ला दी थी। उस शाम हम घूमने के लिए निकले, गीता ने पुराने दिनों की तरह अपने को संवारा। उस शाम ऐसा लगा जैसे जिंदगी ठहरी हुई नहीं है, अपितु धारा की तरह निरंतर प्रवाहित है।

रात को सोते समय सामीप्य के मधुरतम क्षणों के उपरांत गीता ने कहा -"क्यों जी ऐसे नहीं हो सकता कि दीदी का बच्चा ही गोद ले लें।"

प्रस्ताव मेरे लिए चौंकाने वाला नहीं था। मैं सोच रहा था कि सचमुच ही गीता को, मुझको, हमारे घर और हमारे जीवन को एक शिशु की आवश्यकता है।

कंचन से और उसके पति राजेश से चर्चा की तो उनका उत्तर उत्साहप्रद नहीं था, उन्होंने बात की ओर ध्यान नहीं दिया। गीता का उत्साह ठंडा होकर ठोस धरा पर आने लगा और उसके साथ ही घर में बोझिलता का वातावरण भी फिर से फैलने लगा।

पति की अनुपस्थिति में मैंने कंचन को पिघलाया, अपने संबंध का वास्ता दिया। गीता ने याचना भरी आँखों से बच्चा माँगा और मां की सिफारिश से कंचन मान गई।

उसने कह सुनकर राजेश को राजी किया। और एक दिन चार मास का अनिल मंत्रोचारण के साथ गीता की झोली में डाल दिया गया।

*****

बच्चे के आने के साथ-साथ घर में खोई खुशियाँ लौट आईं। घर का सूनापन बच्चे की मधुर सुखप्रद किलकारियों से भर गया। हम दोनों घंटों उसके साथ खेलते रहते, उससे बातें करते रहते। छोटा-सा बच्चा बोलता भला क्या? मगर फिर भी हमें ऐसा लगता कि जैसे वह बातें कर रहा हो। वह जरा-सा मुस्कराता तो हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़ते। मुझे ऐसे लगता कि जैसे बच्चे के रोने में माँ-बाप के लिए अजीब सी सुखद अनुभूति है। ग्रीष्म की चांदनी रात में जब अनिल के रोने की आवाज निद्रा खोलती तो मुझे बड़ा भला लगता। कुछ ऐसा अनुभव होता कि जैसे मेरा घर सचमुच ही अब घर है। अनिल के आने से पहले यही घर सिर्फ एक चारदीवारी थी। ईंट और सीमेंट की बेजान दीवारें, और खामोश छत के सिवाय कुछ नहीं था, केवल सिर छिपाने का साधन मात्र था। घर तो अब हुआ जिसमें अनिल के हंसने की लहरें उठती हैं, बच्चे के रोने की तरंगे फैलती हैं।

प्रायः हम अनिल को अपने साथ सुलाने के लिए आपस में होड़ लगा लेते। वह चाहती कि अनिल उसके साथ सोये और मैं स्वयं उसे अपनी छाती से सटाकर उसको और स्वयं को सुलाना चाहता। सोते हुए बच्चे को देखना भी स्वयं में एक हाबी है, निष्कपट और निश्चल चेहरे को बिजली की रोशनी में निहारना स्वयं में एक मनोरंजन है।

*****

अगले कई साल पतझड़ नहीं आया। केवल बसंत ही हमारे घर में रहा। मेरा दफ्तर से देर से लौटना बंद तो हो ही गया अब मेरा प्रयत्न रहता कि मैं जल्दी घर लौट आऊँ, अनिल को हवा में उछाल दूँ, वह खिलखिला कर हंस दे और मैं उसको गले से लगा लूँ। अनिल ने गीता की तो काया ही पलट दी उसका सारा ध्यान अनिल पर केंद्रित होकर रह गया था। कई बार तो वह मेरी भी उपेक्षा कर जाती।

पिछला एक वर्ष हमारे परिवार के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। साल के शुरू में जब राजेश का ट्रांसफर लुधियाना में हुआ। मैं बहुत खुश था कि कंचन और राजेश अब हमारे साथ रहेंगे। अब साल में एक या दो बार मिलने की बजाय हम रोज आपस में मिल सकेंगे। मेरे बहुत कहने सुनने पर भी राजेश ने एक अलग मकान किराए पर ले लिया। हमारा शहर में पैतृक मकान है, मैं चाहता था कि राजेश कंचन और उनके दोनों बच्चे हमारे साथ रहें। यदि एक बच्चे के घर में आ जाने पर इतनी खुशी भर सकती है तो फिर तीन हो जाने से कितना आनंद आएगा? मगर राजेश नहीं माना, पता नहीं क्यों?

परंतु मेरी यह खुशी अधिक देर न टिक सकी। जब कंचन आई थी तो उसका बेटा पिछले दो महीनों से बीमार चला आ रहा था। लुधियाना पहुँचकर एकाएक बेटे की हालत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई। लगभग डेढ़ मास रहने के बाद उसका देहांत हो गया। दोनों घरों में शोक का गहरा धुआं फैल गया। अब भी उस बच्चे की तस्वीर रह-रहकर मेरी आँखों के सामने तैर जाती है। कितना भोला था और कितना नटखट था। अनिल से उसकी आकृति भी कितनी मिलती जुलती थी। सच किसी ने कहा है कि बच्चे का दुःख उसकी मां ही समझ सकती है। उस मौत ने कंचन को निचोड़कर रख दिया, उसका हंसता हुआ प्रत्येक पल खिला रहने वाला गुलाब जैसा चेहरा पतझड़ के पत्ते की तरह पीला और बेजान हो गया। राजेश की सांत्वना, मेरा और गीता का ढ़ाढस, माँ का

स्नेह कुछ भी उसका मन न बहला सका। प्रत्येक पल वह सूनी-सूनी आँखों से शून्य की ओर देखा करती। बैठे-बैठे स्वयं में रो देती और कई बार अनिल को जोर से अपने सीने से लगा लेती। हम रोज शाम को उसे मिलने जाते। अनिल को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक आ जाती और वह लपक कर अनिल को अपनी गोदी में उठा लेती, राजेश मुझे बताता कि वह अगर हंसती है तो केवल उन पलों में जब हम उनके घर होते हैं, बाकी सारा दिन वह चुपचाप पड़ी रहती है।

उधर माँ की सांस भी लड़खड़ा रही थी, उसको लकवे का तीसरा अटैक हुआ। आधा शरीर सुन्न लिए हुए वह चारपाई पर पड़ी-पड़ी कंचन का दुख बाँटने की चेष्टा करती। हम उसके ठीक होने की कामना करते मगर उसे ठीक नहीं होना था, नहीं हुई और एक दिन अपनी यादें छोड़ कर वह भी हम लोगों से अलग हो गई। कंचन के सूखते हुए आंसू फिर प्रवाहित होने लगे। और मैं सोचने लगा कि यह साल कितना अशुभ सिद्ध हो रहा है। दोनों परिवारों में से एक-एक प्राणी भगवान ने क्यों अपने पास बुला लिया है?

माँ की मौत के बाद मैंने कंचन को अपने घर से नहीं जाने दिया। कुछ दिन इकट्ठे रहने से आदमी दुःख भूल जाता है यही सोचकर राजेश ने भी अपनी रजामंदी व्यक्त कर दी थी।

उन कुछ दिनों में कंचन और अनिल बहुत निकट आ गए। अनिल को नहलाना धुलाना, तैयार करना सभी कुछ कंचन ने अपने हाथ में ले लिया। वह स्वयं उसको अपने हाथों से भोजन खिलाती, स्कूल का काम करने में सहायता करती और रात को अपने साथ ही सुलाती। गीता वैसे ही आने-जाने वाले और शोक प्रकट करने आए लोगों में उलझी रही और अनिल की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाई उन दिनों। उन पन्द्रह दिनों में अनिल और कंचन एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे वर्षों से एक साथ रह रहे हों।

जीवन जब फिर पुरानी चाल पर आया तो मैंने गीता में प्रत्यक्ष ही एक परिवर्तन का अनुभव किया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कंचन और अनिल की घनिष्ठता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है, वह उसको शंकारहित दृष्टि से नहीं देख पा रही। रिश्तेदारों से निपट कर उसने एकाएक अपना सारा ध्यान अनिल की ओर कर दिया। अनिल का छोटे से छोटा काम भी वह स्वयं करती। कंचन अगर हाथ बटाने की चेष्टा करती तो वह उसे अस्वीकार कर देती। प्रत्येक पल गीता स्वयं को अनिल के आसपास रखती।

कंचन और राजेश जब वापिस अपने घर गए तो संबंधों में इतनी उष्णता नहीं रही थी जितना आने के समय । कंचन का जाने को मन नहीं कर रहा था परंतु गीता का व्यवहार उतना स्नेह और आग्रहपूर्ण नहीं रह गया था कि वह अधिक दिन ठहर जाती। मेरे बहुत कहने सुनने का भी अधिक प्रभाव नहीं हुआ। मैं ऐसे अनुभव करने लगा जैसे मैं इस समस्या पर रचनात्मक दृष्टि से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा अस्तित्व एक तटस्थ दृष्टा से अधिक कुछ नहीं है। गीली आँखों से कंचन ने एक बार अनिल को चूमा और फिर अपनी बेटी उषा का हाथ पकड़कर रिक्शे में सवार हो गई।

गीता ने कंचन के घर आना-जाना बहुत कम कर दिया। अगर मैं बहुत कहता सुनता तो अनमने भाव से मेरे साथ हो लेती। और उसका प्रयत्न होता कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ से हट लिया जाए। धीरे-धीरे मैंने गीता को कहना ही बंद कर दिया

और जब कभी इच्छा होती तो स्वयं जाकर या किसी दिन अनिल को साथ लेकर कंचन राजेश और उषा को मिल आता। परंतु गीता मेरा वहाँ बार-बार जाना पसंद नहीं करती थी। जब मैं जाता तो घर में किसी न किसी बात पर जरूर चखचख मचती सो मैंने गीता को कहना ही बंद कर दिया। क्योंकि राजेश और कंचन का अनुरोध रहता कि अनिल को अवश्य उनसे मिला लाऊँ, मैं प्रायः चोरी से अनिल को अपने साथ ले जाता। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला अनिल घर के वातावरण को अब ताड़ गया और वह भी चुप ही रहता।

दोनों परिवारों में अलगाव बढ़ता ही चला गया, हम एक दूसरे से दूर सरकते चले गए। गीता के मन में डर और भयावह कल्पना की दीवार ऊँची होती चली गई।

कंचन के यहाँ अनिल उषा से खूब हिला-मिला रहता और फिर मौका मिलते ही वह किसी को बताए बिना स्वयं उषा के पास जाने लगा। गीता की लाड़ और लताड़ दोनों की ही वह अवहेलना करने लगा।

चाय पीते-पीते मैंने हवा में तनाव कम करने का प्रयास करते हुए गीता की ओर मुस्करा कर देखा मगर वह बिलकुल तटस्थ रही और उठकर कमरे में चली आई।

"गीता ....." मैंने अपने स्वर को आवश्यकता से अधिक मुलायम बनाते हुए कहा।
अंदर से उत्तर नहीं आया।
"गीता, चलो कहीं घूम आएँ।"
"मुझे नहीं जाना कहीं घूमने-वूमने।"

मुझे ऐसा लगा जैसे गुस्से से मेरी नसें फटने लगी हों। मेरा दिल हुआ कि मैं चाय का अधभरा कप और प्लेट गीता के सिर पर दे मारूँ। "मरो नहीं जाना तो..... यह लो अपनी चाय और अपना घर।"

इसी समय अनिल घर में घुसा। एकाएक मुझे न जाने क्या हुआ और जोर से एक थप्पड़ उसके मुँह पर दे मारा। मार अचानक थी, वह फर्श पर जा गिरा और गला फाड़-फाड़कर रोने लगा। और मैं घर से बाहर चला गया।

इस खंड के लिए उपयोगी पुस्तकें

1.	मेयर मेडलीन सी.	रेडियो राइटर्स हैंडबुक, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (सीटो) बैंकाक, थाईलैंड, 1968
2.	कुमार सिद्धनाथ	रेडियो वार्ता शिल्प, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली-110 002, 1992
3.	कुमार सिद्धनाथ	वार्ता लेखन : भाषा और शिल्प, रेडियो लेखन कार्यशाला, आकाशवाणी, शिवपुरी, 1992
4.	कुमार सिद्धनाथ	रेडियो नाटक शिल्प, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
5.	चंचल, रामकुमर चतुर्वेदी	वार्ता लेखन : विभिन्न शैलियाँ, रेडियो लेखन कार्यशाला, आकाशवाणी, शिवुपरी, 1992
6.	चिरंजीत	रंगारंग, आत्माराम एंड संस, दिल्ली, सं. - 1959
7.	गंगाधर मधुकर	रेडियो लेखन, बिहार ग्रंथ अकादमी, पटना, प्र.सं. 1979
8.	राकेश मोहन	साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
9.	बाजपेयी राधेश्याम	हिंदी नाट्य कला तथा रेडियो नाटक, अटलांटिक पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1977
10.	खन्ना हरिश्चंद्र	रेडियो नाटक, आत्मारांड एंड संस, नई दिल्ली
11.	गुप्त, डॉ. जयभगवान	हिंदी रेडियो नाटक, अद्यतन अध्यन, मंथन पब्लिकेशंस, रोहतक, 1982
12.	गुप्त, बृजमोहन	जनसंचार : विविध आयाम, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 1992